खण्ड-301, अंक-3
शुक्रवार, 22 पौष, शक संवत् 1894
(12 जनवरी, 1973 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 301 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 12 जनवरी, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--367

अजय सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमददुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकांत बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री

ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्णाकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री

गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
घंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेज पाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण वन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाल सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
वंशगोपाल शुक्ल, श्री
वंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री

बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
विशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
माखन लाल, श्री
माला प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नवी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजविहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
राम चरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्यारे शुक्ल, श्री

राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामविलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्षमण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजय पाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री

वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भू नारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिंडारा, श्री
शान्ती देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्री रामसिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सैयद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री

सन्तराम, श्री
सन्त् राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखबीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैय्यद मुर्तजा अली खां, नवाब
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह , श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोटः पंचायती राज मंत्री श्री बलदेवसिंह आर्य भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 12 जनवरी, 1973

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सरकारी गल्ले की दुकानों में खाद्यान्न की कमी

1—श्री कृपा स्वरूप वश्य (जिला बदायूं)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बदायूं नगर में सस्ते गल्ले की दूकानों पर 1 नवम्बर, 1972 से गेहूं नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

खाद्य तथा रसद राज्य मन्त्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

जी नहीं। यह सत्य नहीं है कि बदायूं नगर में 1 नवम्बर, 1972 से सस्ते गल्ले की दुकानों पर गेहूं नहीं दिया जा रहा है।

2—श्री बंशगोपाल शुक्ल (जिला लखनऊ)—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री कृपा कर के बतायेंगे कि स्थानीय लखनऊ शहर में जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर आटा (मैदा निकाला हुआ) दिया जा रहा है क्या रिजेक्टेड आटा है ? यदि हां, तो इस प्रकार से खराब आटे को देने का क्या कारण है और क्या सरकार उक्त आटे के स्थान पर जनता को गेहूं देने का तुरन्त विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

लखनऊ शहर में सस्ते गल्ले की दूकानों पर जो मैदा निकाला हुआ (रिजेक्टेड आटा दिया जा रहा है वह रेजेक्टेड आटा नहीं है। शेष भाग के उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता।

**3—श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या खाद्य मंत्री को पता है कि दिनांक 22-12-1972 से लखनऊ शहर में राशन की दूकानों पर गेहूं कार्ड होल्डरों को प्राप्त नहीं हो रहा है? यदि हां, तो इस परेशानी को दूर करने हेतु शासन ने तुरन्त क्या उपाय किये?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

यह सही नहीं है कि 22 दिसम्बर, 1972 से लखनऊ शहर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से कार्ड होल्डरों को गेहूं नहीं प्राप्त हो रहा है।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि दिसम्बर मास में 25 तारीख तक सस्ते गल्ले की दुकानों पर गेहूं नहीं दिया गया और जो गेहूं दिया गया वह भी जो कार्ड पर लिखा था, उस अनुपात पर नहीं, केवल 10/10 बोरे दिया गया, जोकि बहुत कम कार्ड-होल्डर्स प्राप्त कर सके?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जी हां, इसमें तथ्य है। इसमें ऐसा है कि हम को गेहूं का जो आवंटन गवर्नमेंट आफ इण्डिया से 70,000 टन प्रति मास मिलता था, वह घटकर 35,000 टन हो गया। इस लिये जितनी मात्रा कार्ड पर लिखी है, उतना नहीं दे सके।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या यह बात सही है कि 12 जनवरी तक सस्ते गल्ले की दुकानों को गेहूं कतई नहीं दिया गया और डी० एस० ओ० के स्टाक में गेहूं नहीं है?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

कतई नहीं दिया गया, यह बात सही नहीं। दिया गया है, सम्भव है कहीं न पहुंच सका हो।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

बदायूं में आज की तारीख तक सस्ते गल्ले की दुकानों पर गेहूं नहीं पहुंचा है, इसकी मुझको पूर्ण जानकारी है। तो क्या यह बात सही है?

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दें केवल बदायूं ही में नहीं, सारे प्रदेश में, डेढ़-दो महीनों से गेहूं, चावल, आटा और अन्य चीजें सस्ते गल्ले की दुकानों पर नहीं दी जा रही हैं। डी० एस० ओ० विज्ञप्ति निकाल देते हैं। तो कोई कमेटी ऐसी बिठायेंगे कि जो जांच करे कि क्यों नहीं ये चीजें मिलतीं, इलाहाबाद, लखनऊ और वाराणसी, कहीं नहीं ये चीजें मिलतीं—तो क्या मंत्री जी ऐसा आश्वासन देंगे कि वे उपलब्ध करायी जावेंगी?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

माननीय सदस्य का प्रश्न दो तरह का हो गया। एक बार तो उन्होंने कहा कि कोई कमेटी बिठायेंगे जो डी० एस० ओ० के स्टाक की जांच करे दूसरी बार कहा कि गल्ला इनको कैसे उपलब्ध करायें। क्या माननीय सदस्य अपनी मन्सा स्पष्ट कर देंगे?

श्री रामगोपाल संड—

बदायूं के लिये कह दिया गया कि 10 बोरी के हिसाब से दिया था जबकि श्री कृष्ण-स्वरूप वैश्य ने कहा कि नहीं दिया गया। इलाहाबाद में 180 दूकानें हैं लेकिन किसी को

गल्ला नहीं दिया गया। आप कहेंगे कि 10 बोरी इलाहाबाद में भी दिया गया। तो क्या इस गलत सूचना की जांच करेंगे और उपलब्ध गेहूं की व्यवस्था करेंगे--गेहूं, चावल अन्य चीजों की ।

यादवेन्द्र सिंह--

श्रीमन, हर जिले में खाद्य सलाहकार समितियां हैं । हर जिले के जिलाधीश को आदेश भेजते हैं कि वे तत्काल अपनी खाद्य सलाहकार समितियों की मीटिंग बुला लें जिसके सदस्य विधान सभा के सदस्य और सभी जन-प्रतिनिधि होते हैं। यह पूरे देश और प्रदेश के खाद्यान्न का सवाल है। उनकी राय से विभाग लाभ उठावेगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। आपने कहा कि हर जिल में खाद्य सलाहकार समितियां हैं । तो जिलाधिकारियों ने आपके पास अपने-अपने जिले में गेंहूं और मोटे अनाजों के रिक्वायरमेंट का जो एस्टीमेंट भेजा है, उसका कितना प्रतिशत हर जिलाधिकारी को देने का प्रयास करेंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह--

जो कुछ भी जिलाधिकारियों ने मांगा है उसका एक रीजनेबिल प्रतिशत देने का प्रयास करूंगा ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बदायूं में जहां वह खुद निश्चित नहीं हैं कि कार्ड-होल्डर को गल्ला देने के लिये पर्याप्त मात्रा में गल्ला मौजूद है और दूसरे जिलों में भी जहां गल्ला कार्ड होल्डर को देने के लिए मौजूद नहीं है, ऐसी व्यवस्था करेंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह--

जी हां ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या आपने ऐसी राजाज्ञा प्रसारित कर दी है कि 14 दिन में केवल एक किलो गेहूं प्रति व्यक्ति मिलेगा ?

श्री यादवेन्द्र सिंह--

एक किलो नहीं, डेढ़ किलो ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

क्या खाद्य त्रंत्री इस बात को देखते हुए कि पिछले दो महीने से लगातार खाद्य की सस्ती दूकानों पर गेहूं खत्म है, चीनी खत्म है, आटा खत्म है, उसकी मात्रा में कटौती की जा रही है और स्थानीय अधिकारियों से पूछने पर बताया गया कि सरकार ने इसमें कटौती की है और आपका भी एक बयान आया था कि सरकार के पास बहुत स्टाक है तो क्या कारण है कि उस स्टाक को रिलीज नहीं कर रहे हैं और आम जनता को राहत नहीं दे रहे हैं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह--

प्रश्न जरा ऐसा हो गया कि उन्होंने कहा कि गल्ला एकदम नहीं है और फिर कहा कि कटौती की जा रही है । तो जब नहीं है तो कटौती किस चीज की की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष--

वह पूछ रहे हैं कि खाद्य सरकार के पास काफी होते हुए भी यह कटौती क्यों की जा रही है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह--

कटौती का जहां तक प्रश्न है, मैंने यह कहा कि खाद्यान्न सरकार के पास है। गेहूं और आटे में कटौती की बात कही। और भी खाद्यान्न हैं उनको भी देने का प्रयास करूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हूं।

श्री अध्यक्ष--

जब स्वयं मौजूद हैं जवाब देने के लिए तो विशेषाधिकार का क्या सवाल है?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं। आपका बयान है गेहूं और आटे के बारे में कि आपके पास काफी स्टाक है, फिर राशन की दूकानों में कटौती क्यों की गयी? क्यों नहीं मिल रहा है? मेरी जानकारी है कि हमें कटौती करके मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष--

उनका स्पष्ट प्रश्न है कि गेहूं और आटा आपके पास काफी होते हुए भी आपने उसकी कटौती की।

श्री यादवेन्द्र सिंह--

जब मैंने बयान दिया था तब जरूर काफी था आज कम हो गया है, इसलिए कटौती है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

व्यवस्था का प्रश्न है। अभी मंत्री जी ने कहा था कि यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि माननीय मंत्री जी इसको मजाक में उड़ा दें। मैंने यह कहा था कि आपके पास स्टाक है तो पहला जो आपका जवाब आया था वह यह आया था कि हमारे पास स्टाक है और "है" का मतलब प्रेजेंट-टेंस है। यह नहीं कि "पहले था"। तो मैं व्यवस्था चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को हक है कि इस तरह से गुमराह कर दें।

श्री अध्यक्ष--

खाद्य मंत्री जी ने यह कहा है कि जब स्टेटमेंट दिया था उस वक्त था। अब नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप उनको डिफेन्ड कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

क्या यहां से जिलाधिकारियों को इस प्रकार के कोई आदेश आये हैं कि वे अपनी रिक्वायरमेंट को न भेजें क्योंकि सरकार के पास स्टाक नहीं है। और क्या 4 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं देने के लिये सरकार के पास स्टाक है या नहीं?

श्री यादवेन्द्र सिंह--

4 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमास देने के लिये स्टाक नहीं है। जिलाधिकारियों को ऐसे कोई आदेश नहीं भेजे गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न 2 व 3 भी एक साथ ले लिये जायें। उसके बाद प्रश्न पूछिये। वे प्रश्न भी इसी विषय पर हैं। इसलिये उनका उत्तर भी आ जाने दीजिये।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या 3 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से देने के लिये जितने कार्ड होल्डर्स हैं उन सबके लिये पर्याप्त गेहूं सरकार के पास स्टाक में है, यदि हां, तो राशन की दूकानों पर गेहूं न पहुंचने का क्या कारण है?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

पूरे प्रदेश में जितने कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिये 4 किलो के हिसाब से देने के लिये 70 हजार टन की आवश्यकता हर माह पड़ती है। इसके अलावा रोलिंग फ्लोर मिल्स के लिये जो गेहूं दिया जाता है वह भी मिला कर कुल 1 लाख 7 हजार टन गेहूं की आवश्यकता है। 70 हजार टन के मुकाबले पिछले माह एफ0 सी0 आई0 से केवल 35 हजार टन गेहूं आवंटन के लिये मिला। जो भी गेहूं सरकार ने खरीदा वह एफ0 सी0 आई0 के लिये ही खरीदा और वहां से ही देश भर के लिये गेहूं का आवंटन होता है। इसलिये कमी करना आवश्यक हो गया। प्रयास हो रहा है कि 35 हजार टन से अधिक गेहूं हमें मिले। वैसे हमारे पास मोटा अनाज भी है जैसे मक्का, ज्वार तथा चावल। यह भी देने का प्रयास कर रहे हैं। ताकि प्रदेश में भूख की स्थित न आवे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

भूखे की स्थिति तो प्रदेश में आ गयी है। एफ0 सी0 आई0 ने इनको गल्ला देना मना कर दिया है। वह सारा महाराष्ट्र को डाइवर्ट कर दिया गया है। इनके पास आज गेहूं का एक दाना भी देने के लिये नहीं है। क्या यह बतायेंगे कि इस वक्त इनके कब्जे में कितना गेहूं है, आज की तारीख में?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

इस महीने के लिये 35 हजार टन का आवंटन हुआ था, अब तक उसमें से कितना निकल चुका है, कितना गोदामों में है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

(शोर)

श्री बंशगोपाल शुक्ल—

क्या यह सही है कि मंत्री जी ने भी राशन की दुकान से अपने लिये आटा मंगाया था, किन्तु फिर उसे वापस कर दिया? यदि हां, तो वापस क्यों किया गया?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, मेरे घर पर भोजन की व्यवस्था माननीय शुक्ल जी ही स्वयं करते हैं। मंगाया गया, मैं इतना ही जानता हूं, वापस किया गया यह वही बता सकते हैं।

(शोर)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जो आटा मंत्री जी खाते हैं वह हमें भी दिलवा दीजिये।

(व्यवधान)

श्री बंशगोपाल शुक्ल—

क्या यह सही है कि जो आटा राशन की दूकानों पर दिया जा रहा है उसमें गोबर की मिलावट होती है और इस सम्बन्ध में कई शिकायतें समाचार पत्रों में भी छपी हैं?

श्री यादवेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह रिजेक्टेड आटा नहीं है, बल्कि रिजल्टेंट आटा है। रिजल्टेंट आटा वह होता है कि पहले गेहूं से सूजी व मैदा निकाल लेते हैं फिर बचे हुये भाग का आटा बनाते हैं। लखनऊ शहर में अक्टूबर माह में होलमील आटा 230.94 टन तथा रिजेल्टेट आटा 27 टन, नवम्बर में होलमील आटा 342.09 टन तथा रिजल्टेंट आटा 154 टन, दिसम्बर में 1,261 टन होलमील तथा 313 टन रिजल्टेंट आटा बाटा गया। यह आटा रिजेक्टेड नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या माननीय खाद्य त्रंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि केन्द्र सरकार ने उनको पत्र लिखकर मना कर दिया है कि अब हम और गल्ला आपको नहीं दे पाएंगे, आप बाजरा-ज्वार आदि मिला कर देने का प्रबन्ध कर लें ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो आज गल्ले की कमी हो रही है, उसका एक कारण यह भी है कि सस्ते गल्ले की दुकानों की बड़ी कमी है ? तो क्या वह और दुकानें खोलने की कृपा करेंगे ? इसके अलावा जैसा आपने बताया देश और प्रदेश में गल्ले की कमी है, तो कनाडा से जो जहाज गेहूं के आ रहे हैं, उसके लिये पहले से आपने एलाटमेंट करा लिया है या नहीं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, मैं पेड़ पर कटहल और ओट में तेल की बात पर विश्वास नहीं करता। जैसे गल्ला आ जाएगा हमें मिलेगा ही। हम नौ करोड़ की आबादी रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें कोई इग्नोर कर दे।

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)--

क्या खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में जो आटा मिल थी उसके लाइसेंस को सस्पेंड किया गया था, क्योंकि वह कूड़ा-करकट पीस रहा था ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फिर उसके लाइसेंस को बरकरार करने की आज्ञा क्यों दी गई है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)--

क्या मंत्री जी स्पष्ट रूप से आश्वासन देंगे कि आइन्दा आप फी व्यक्ति कार्ड-होल्डर्स को कितना चावल, आटा और मोटा अनाज देने जा रहे हैं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह--

जनवरी महीने में, ऐसा तय किया गया है, 3 किलों गेहूं, 2 किलो आटा और एक किलो चावल प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। अगर कोई आदमी एक किलो गेहूं छोड़ दे तो उसको 1 किलो चावल और मिल सकेगा पहाड़ी और पूर्वी इलाके में।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

अभी इन्होंने कहा 4 किलो गेहूं निर्धारित किया गया, फिर इन्होंने कहा 3 किलो। जब कि 3 किलो के बजाय इनके पास स्टाक 2 किलो का पड़ रहा है। फिर भी यह 3 किलो कह रहे हैं और 2 किलो के हिसाब से इनके पास स्टाक में गल्ला है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष--

लेकिन एक किलो कोई छोड़ता है तो उसके एवज में चावल दिया जायगा।

श्री रामबिलास पांडेय--

तीन किलो गहूं के हिसाब से इनके पास गेहूं नहीं है । फिर यह क्यों कहते ह कि तीन किलो गेहूं देंगे । पहले कहा था कि चार किलो गेहूं देंगे, हमारे पास गेहूं भरा पड़ा है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि सस्ते गल्ले की दूकानों पर गेहूं न होने के कारण आज मार्केट में गेहूं 125 रुपये क्विंटल हे और भाव ज्यादा बढ़ता जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। प्रश्न पूछिए।

श्री रामबिलास पांडेय--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह जनवरी मास में जैसा कह रह हैं तीन किलो गेहूं दिया जायगा, यह दे सकेंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह--

अब तक ऐसा ही निश्चय है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायं)--

क्या मंत्री जी बताएंगे कि राशन की दूकानों पर गेहूं न मिल रहा है और न मिलेगा, उसके ऊपर आप विचार कर रहे हैं ? सरकार के गुप्त आदेश हैं, गेहूं मिलता नहीं है, क्या इसकी जांच करवाएंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह--

अगर ऐसी कोई सूचना माननीय सदस्य दें तो जरूर जांच करवाएंगे।

मोहम्मद असरार अहमद--

किसी भी शहर में तीन महीने से राशन, गेहूं वगैरह मिल ही नहीं रहा है। मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, चर्चा करवा दें।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह कहा कि सूचना दें। तो यह स्पष्ट सूचना दी गयी है कि इतने महीने से दिया नहीं जा रहा है, जब नहीं दिया जा रहा तो सूचना तो मिल गयी ।

श्री यादवेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, हर प्रश्न पर जब-जब यह कहा गया कि इस महीने में नहीं मिला है, मैंने क्षेत्रवार बताया कि किस-किस जिले में क्या पोजीशन थी । उसका उत्तर दिया कि मिला। अगर कोई कहता है कि फलां दूकान पर नहीं मिला है तो उस दूकान विशेष की सूचना मुझे मिलनी ही चाहिए ।

(व्यवधान और शोर)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

अध्यक्ष जी, नियम 49 में चर्चा करवा दें।

श्री मनोहरलाल--

बहुत विषम परिस्थिति है। आप चर्चा करवा दें।

श्री अध्यक्ष—

इस विषय को अब समाप्त करता हूं। नियम 51 में आप प्रश्न पूछ लीजियेगा। यह स्वीकार हो गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

51 में फायदा नहीं होगा। या तो 49 में करवाएं या 52 में करवाएं। इन मंत्री से त्यागपत्र दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 में स्वीकार हो चुका है।

जिला कारागार, गोरखपुर में बन्दी राम लाल की मृत्यु तथा छात्रों पर लाठी चर्ज

**4—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 26-12-72 को गोरखपुर के जिला कारागार में जेल अधिकारियों के आदेश पर छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया, जिससे काफी गम्भीर छात्रों को चोटें आईं। यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

कारागार तथा आबकारी उपमंत्री (श्री रामपूजन पटेल)—

जिला कारागार गोरखपुर में छात्र विचाराधीन बन्दियों ने 25-12-72 की सुबह से इस बात पर आन्दोलन आरम्भ किया कि आजीवन कारावास बंदी रामलाल 25-12-72 को जेल में लापरवाही तथा सर्दी के कारण मरा। 25-12-72 को अपराह्न में उन्होंने हिंसात्मक कार्यवाही भी शुरू करके जेल के अनुशासन को अपने हाथ में लेने की चेष्टा की, कुछ जेल सम्पत्ति को नष्ट किया वार्डरों पर ईंटे फेंकें और उनसे चाभियां छीन लीं जिससे जेल का काम अस्त-व्यस्त हो गया। उन्होंने जेल के डाक्टर तथा वार्डरों को सुबह से 3.50 बजे तक अस्पताल में बन्द रखा। स्थिति पर काबू पाने के लिए एलार्म किया गया और बल का प्रयोग किया गया। हल्की लाठी चार्ज के फलस्वरूप 19 छात्र बन्दियों, 10 बन्दी रक्षकों व नम्बरदारों तथा 4 अन्य बन्दियों के साधारण चोटें आईं। उनका तुरन्त विधिवत उपचार किया गया और उसी शाम सिविल सर्जन ने उनको देखा। घटना की जांच सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

लड़कों का यह कहना है कि श्री रामलाल हरिजन की मृत्यु जेल में सर्दी और लापरवाही के कारण हुयी ह। क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मृत्यु किस कारण हुयी ?

कारागार एवं आबकारी मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण दिया है मैं उसको पढ़ देता हूं।

Cause of death due to acute carpulmonle due to massive pulmonary artery embolism.

उनका ब्लड जम गया था जिसके कारण उनके हार्ट पर एटैक हुआ और वे मर गये।

श्री विश्वनाथ कपूर—

कोट हो गया या लापरवाही के कारण और सर्दी के कारण क्योंकि उनका कोई उच्चार नहीं हुआ था। क्या यह सही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ब्लड के क्लाट होने का कारण तो कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। सर्दी भी उसका एक कारण थी और भी कई कारण हो सकते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

इस मामले में विलम्ब हुआ और लड़कों की मांग थी कि तुरन्त जांच होनी चाहिए। उसमें लड़के ही नहीं बल्कि कैदी भी शामिल हो गये थे। उन सब पर लाठी चार्ज किया गया? क्या यह उनकी मांग नहीं थी।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मांग का जो प्रश्न है उसको जरा स्पष्ट करें, यह तो भाषण हो गया।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इतने पर भी भाषण हो गया, आगे भगवान जाने क्या होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या लड़कों और कैदियों ने यह मांग की थी कि उस मामले की जांच किसी जेल अधिकारी के अतिरिक्त किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा करायी जाए और जांच तब तक करा ली जाए जब तक कि उसका मृतक शरीर वहां पर पड़ा हुआ था। इस मांग को न मानने का क्या कारण था?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर विद्यार्थियों और बन्दियों ने आन्दोलन किया, यह सही है कि उन्होंने डाक्टर को बन्द कर दिया और वे काफी उद्दंडता का व्यवहार करने लगे। वहां के जेल अधिकारी सिटी मैजिस्ट्रेट के पास गये और कलेक्टर के पास गये और कहा कि जेल में अनुशासन खत्म हो गया है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

झूठ है इन्तहा। साढ़े तीन बजे तक न कोई अधिकारी पहुंचा और न मैजिस्ट्रेट ही गये। क्या यह सही है कि जेल अधिकारियों ने बदले की भावना से प्रेरित होकर जेल के अन्दर छात्र कैदियों को पीटा क्योंकि उन्होंने राशन की सामग्री के सम्बन्ध में बातों को उठाया था जिनके न मिलने के कारण कैदियों में असन्तोष था और दूसरा कारण यह भी था कि एक कैदी ठंड से मर गया?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह बात माननीय सदस्य की गलत है कि जानबूझकर छात्र बन्दियों पर लाठी चार्ज किया गया बल्कि कारण यह था कि जो उन्होंने जेल का अनुशासन अपने हाथ में ले लिया था उसको समाप्त करने हेतु हल्का लाठी चार्ज किया था।

श्री दीनदयालमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

क्या यह सही है कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के पहले लड़कों ने कहा था कि जांच हो जाय और उसको छिपाने के लिये जेल के अधिकारियों ने लड़कों पर लाठी चार्ज किया?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

छात्रों की कोई मांग नहीं थी कि पोस्ट मार्टम के पहले जांच हो जाय। जब कोई मर जाता है उसकी सब से अच्छी जांच पोस्ट मार्टम के द्वारा ही हो सकती है। वैसे बिना डाक्टरी मुआयने की जांच हो नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष—

क्या पोस्ट मार्टम हो गया था?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां।

श्री रामबिलास पांडेय—

क्या सरकार को जानकारी है कि लड़कों को डिप्टी जेलर ने भी मारा है और लड़के गम्भीरतापूर्वक घायल हुए ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जब छात्र बन्दियों ने वहां के अनुशासन को अपने हाथ में ले लिया, ईंट-पत्थर फेंके, डाक्टर को मारा, चाभियां छीन लीं तो उन्होंने हल्का लाठी चार्ज किया अपने बचाव के लिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया वह तो जेल के अधिकारियों का वर्शन हो गया। मैं खुद वहां गया था और लड़कों का वर्शन सुनने के बाद मैंने एक पत्र लिखा मंत्री महोदय को। क्या मंत्री महोदय उस पत्र को पढ़ने की कृपा करेंगे और बतायेंगे कि उन्होंने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य का पत्र प्राप्त हुआ। पहले वहां सिटी मैजिस्ट्रेट ने जांच आरम्भ कर दी थी। जब तक जांच रिपोर्ट न आ जाय कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। शासन के आदेश कल गये हैं कि गोरखपुर का कमिश्नर इसकी जांच करे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैंने निवेदन किया था कि वह पत्र पढ़ दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

संक्षेप में आप बतला दें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय, कारागार मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ । महोदय, दिनांक 29 दिसम्बर, 72 को जिला जेल गोरखपुर में बन्द छात्र कैदियों से मिलने का अवसर मिला उस समय उस जेल में गोरखपुर विश्वविद्यालय के 21, डी0 बी0 कालेज के 1 और बहराइच के 5 छात्र बन्दी थे। बन्दी छात्रों में से सर्वश्री राम छबीला मिश्र, अमरेन्द्र कुमार मिश्र, रामधनी सिंह, विजयकुमार सिंह, भयंकर सिंह, राजाराम पांडेय, जैचन्द सिंह, गंगा सिंह, गनपत सिंह, जगदम्बा प्रसाद मिश्र, अजय कुमार सिंह, जगदीश लाल श्रीवास्तव, राजधारी सिंह, अर्जुन शाही, कान्तिकुमार सिंह, लाल जी यादव, महेन्द्र प्रताप सिंह, अवधेश कुमार मिश्र, कमला मिश्र, रामचन्द्र वर्मा और अनिल कुमार के शरीर पर चोट थी जो जेल अधिकारियों द्वारा 25–12–72 को अपराह्न साढ़े तीन बजे सायं से 5 बजे सायं तक किये गये लाठी चार्ज के परिणाम स्वरूप आई थी। छात्र बन्दियों और कैदियों से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि उस जेल का रामलाल नामक कैदी को पर्याप्त ओढ़ने की कमी के कारण सर्दी और बुखार हो गया था। उसके साथी कैदी उसे जेल अस्पताल में दाखिल करने के लिये ले गये। डाक्टर ने उससे कहा कि या तो पैसा दो या नसबन्दी कराओ तभी भर्ती की जायेगी । रामलाल जेल में पैसा का प्रबन्ध न कर सका और न नसबन्दी कराने को ही राजी हुआ। फलस्वरूप उसको अस्पताल में भर्ती नहीं दी गई 24,25 दिसम्बर की दरम्यानी रात लगभग साढ़े तीन बजे रात डाक्टर आया और रामलाल के शव को बैरेक से निकाल कर अस्पताल ले गया। विद्यार्थियों ने यह भी बताया

कि शव को अस्पताल में ले जाने के बाद डाक्टर ने उसको बैक डेट में भर्ती किये जाने का और 2 इन्जेक्शन लगाने का फर्जी इन्दराज भी अपने कागजात में बताया।

25 दिसम्बर की सुबह लगभग 8 बजे सी0 एस0 गोरखपुर के अस्पताल आने पर छात्र कैदियों ने रामलाल की मृत्यु से सम्बन्धित तथ्यों व परिस्थितियों को अवगत कराते हुये दोषी डाक्टर और अस्पताल के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की। सी0 एस0 ने उनकी प्रार्थना को अनसुनी कर दिया। तब छात्रों ने निश्चय किया कि यदि अपराह्न 1 बजे तक कलेक्टर गोरखपुर जेल आकर रामलाल की मृत्यु के कारणों और परिस्थितियों की जांच नहीं करते तो वे सामूहिक रूप से अनशन का सहारा लेंगे। 1 बजे तक कलेक्टर के न आने पर विद्यार्थी अपनी निश्चयानुसार अपनी बैरक में अनशन पर बैठ गये। जेल के कैदी भी उनके साथ हो गये। लगभग साढ़े तीन बजे सायं को जेलर, डिप्टी जेलर व सहायक जेलर लाठियों से लेस जेल सिपाहियों के साथ छात्रों की बैरक में घुसे और अकारण लाठी चार्ज शुरू कर दिया।

बच्चों ने यह भी बताया है कि उनको जेल में बन्द करने के लिये उनकी शिक्षा संस्थाओं के अधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर अतिशजनी के झूठे मुकदमें गढ़कर उन्हें जेल में बन्द करवाया था और जेल अधिकारियों ने भी लाठी चार्ज को उचित करा देने के लिये जेल में अतिशजनी के छोटे-छोटे कई कांड बनाये हैं। जेल के अन्दर और बाहर के जनरव को शान्त करने के लिये कलेक्टर ने सिटी मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा घटना की जांच के आदेश दिये। लेकिन छात्र उस जांच से संतुष्ट नहीं हैं। मैं समझता हूं कि कोई भी आदमी जांच के इस नाटक से सन्तुष्ट नहीं होगा क्योंकि सिटी मैजिस्ट्रेट की इतनी हैसियत नहीं है कि वह श्री सिविल सर्जन व कलेक्टर के रोल पर प्रतिकूल टिप्पणी कर सके। ऐसी दशा में कम से कम जिला जज के स्तर के व्यक्ति द्वारा ही इस घटना की जांच होना चाहिए।

उपर्युक्त घटना से कैदी छात्रों के साथ-साथ छात्र समुदाय व साधारण जनता का मानस बहुत-बहुत क्षुब्ध है। ऐसी घटना अंग्रेजी शासन काल में भी मुश्किल से हुआ करती थी।

मेरा सुझाव है कि आप स्वयं गोरखपुर जेल अपनी सुविधानुसार यथाशीघ्र जायं और जेल के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करें तथा जन सन्तोष के लिये घटना की न्यायिक जांच कराने का शासन की ओर से एलान करें। भवदीय, अनन्तराम जायसवाल, नेता। यह उनका पत्र है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि क्या इस मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने के लिये ले जाया गया था और वह तब भर्ती नहीं किया गया था और जैसा कि आफिस के रिकार्ड बताते हैं कि वह बैरक में ही मर चुका था और बैक डेट में इन्ट्री दिखाई गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, सूचना के अनुसार यह सब गलत है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि नेता माननीय जायसवाल जी ने जांच करके जो तथ्य उन्हें लिखे हैं उनकी लाइट में क्या वे यह मुनासिब नहीं समझते कि उसकी एक जुडीशियल इन्क्वायरी हो जानी चाहिए ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन, जुडीशियल इन्क्वायरी में काफी डिले होता है, उसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब माननीय गृह मंत्री जी गोरखपुर में गये थे तो वहां के छात्रों और जनता ने उन्हें घेरा था और उनसे यह कहा था कि आप इस मामले की न्यायिक जांच करवायें क्योंकि हम सन्तुष्ट नहीं हैं। हमारे ही साथी माननीय रामलाल भाई और माननीय रामकरन भी वहां पर मौजूद थे। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अभी तक इस मामले में न्यायिक जांच कराने का कोई निर्णय लिया है अथवा नहीं?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अभी तक मेरे पास गृह मंत्री की कोई सूचना नहीं आयी है लेकिन न्यायिक जांच का कोई प्रश्न नहीं उठता है। माननीय सदस्य अनन्तराम जायसवाल ने प्रार्थना की थी कि सिटी मैजिस्ट्रेट स्वतंत्र रूप से जांच नहीं कर सकते, उसको देखते हुए ही गोरखपुर के कमिश्नर को वहां जांच करने के लिये आदेश दे दिया गया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पत्र द्वारा मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि आप स्वयं चले जायं क्योंकि आपने बतलाया है कि जेल अधिकारियों से जो सूचना मिली है वह सही है। इस पर मैंने यह अनुरोध किया था कि आप स्वयं वहां जाकर रेकार्ड वगैरह सारी चीजों को चेक कर लें ताकि असलियत का पता आपको लग जाय। तो आपने वहां जाने की जहमत क्यों नहीं गवारा की?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जब पहले से एक जांच चल रही है तो एक मंत्री का वहां जाना आवश्यक नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जिन जेल अधिकारियों के विरुद्ध इस प्रकार की जांच चल रही है उन जेल अधिकारियों को अविलम्ब वहां से स्थानान्तरित करना सरकार मुनासिब समझती है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जांच तो वहां विद्यार्थियों के विरुद्ध भी चल रही है और जेल अधिकारियों के विरुद्ध भी चल रही है। लेकिन जब जांच से मालूम हो जाय कि किसका कसूर है तब किसी कार्यवाही की आवश्यकता होगी।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जांच वे कमिश्नर से करा रहे हैं वह कमीशन आफ इनक्वायरी ऐक्ट के अन्तर्गत कराने का आश्वासन देंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

कमिश्नर को डिवीजन का अधिकारी होने की हैसियत से जांच करने का आदेश दिया गया है और वे जांच कर रहे हैं। उसके लिये कल ही आदेश दिया गया है। कमिश्नर की रिपोर्ट आ जाय, फिर बाद में सोचा जायगा। अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि अभी वे न्यायिक जांच की आवश्यकता नहीं समझते हैं तो जिन विद्यार्थियों को चोटें आयी हैं उन्होंने इस तरह की प्रार्थना की है कि इनक्वायरी कमीशन के सामने प्रस्तुत होने के लिये उनको कोई वकील दिया जाय?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

न्यायिक जांच के लिये जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कमिश्नर को ही उसकी जांच के लिये प्रापर समझते हैं। वे उनके बयान लेंगे। उन्हीं के सुपुर्द यह बात है कि किस तरह से वे जांच करेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कमिश्नर महोदय के सामने दूसरा वर्जन भी आ जाय, इसलिये वे हमारे पत्र को भी उनके पास भेजने की कृपा करेंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अवश्य भेज दिया जायेगा।

श्री रामबिलास पांडेय—

मैंने परसों भी सदन के सामने इस प्रश्न को रखा था कि गोस्वामी जी जब गोरखपुर गये थे तो वहां मैं भी मौजूद था तथा माननीय रामलाल भाई व बांकेलाल जी भी मौजूद थे और हमने वहां देखा कि लड़कों ने गोस्वामी जी के विरुद्ध प्रदर्शन किया था और उनको घेर लिया था। किसी का सिर फूटा था, किसी की उंगली कटी थी और हम लोग वहां न होते तो न मालूम उनकी क्या हालत होती। माननीय अनन्तराम जायसवाल ने मांग की और जब उन्होंने कहा तथा सभी लोगों ने कहा कि वहां लड़कों के साथ ज्यादती हुई है तो वे वहां की न्यायिक जांच करायेंगे या खुद जायेंगे? हम लोगों की सूचना को सही मानते हुए माननीय मंत्री जी इसकी न्यायिक जांच कराने की कृपा करेंगे या खुद जायेंगे?

श्री अध्यक्ष—

आप दोनों बातें करते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब सारे सदन की मांग यह है कि जो मंत्री जी जांच करा रहे हैं वह मुनासिब नहीं है और न्यायिक जांच होनी चाहिये तो क्या आप मंत्री जी से स्पष्टीकरण दिलायेंगे कि वे न्यायिक जांच के लिये तैयार हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष—

वह तैयार नहीं हैं। उन्होंने बता दिया है कि इस समय वे इसको ठीक नहीं समझते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं सरकार की इस डंडे चलाने की नीति के विरुद्ध जिसमें कैदी मर जाये, छात्र मर जायें और सरकार न्यायिक जांच न करायें, इसके विरोध में मैं और मेरा दल 5 मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(श्री कल्पनाथ सिंह अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, हमारा दल भी 5 मिनट के लिये सदन का त्याग करता है।

(श्री अनन्तराम जायसवाल अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रामलाल भाई (जिला गोरखपुर)—

माननीय मंत्री जी को विद्यार्थी मारने के लिये तैयार हों ऐसी बात नहीं थी। विद्यार्थियों का शिष्ट मंडल गृह मंत्री जी से मिलने आया था।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--

मान्यवर, मंत्री जी की तानाशाही के कारण छात्र पिटे और जेल में बन्द किये जायं और मंत्रीजी न्यायिक जांच तक के लिये तैयार न हों, इसको देखते हुये कि आपने भी गम्भीरता से निर्देश नहीं दिया है। अतः इससे क्षुब्ध होकर मैं और मेरा दल 5 मिनट के लिए सदन का त्याग करते हैं।

(श्री मलिखान सिंह अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

छात्रों के साथ जो जेल में अत्याचार किया गया है उसके विरोध में मैं 5 मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(श्री फिरंगीप्रसाद विशारद सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रामलाल भाई--

उस समय छात्रों का शिष्ट मंडल मंत्रीजी से मिलने आया उस समय उनसे मंत्री जी की बातचीत हुई। मैं मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा था उस समय मंत्रीजी ने आश्वासन दिया कि वह मुख्य मंत्री जी से उनकी बात करेंगे। उनकी मांग थी कि जो जांच चल रही है उसके सिलसिले में अंसारी डिप्टी जेलर तथा अन्य अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया जाये इसके बाद जांच कराई जाये। मंत्री जी ने कहा कि हम मुख्य मंत्री जी से कहेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री रामलाल भाई--

हमारा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिनक प्रति जांच चल रही है उनको वहां से हटा देंगे ताकि जांच में कोई बाधा न पड़े और उचित जांच हो सके ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, विद्यार्थियों, नेता विरोधी दलों का कथन है कि रात को एक बजे कैदी की मत्यु हुई और पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट से यह बात साबित नहीं होती। उसकी मौत का वक्फा 6/7 बजे के बीच का आता है जैसा कि जिला अधिकारियों ने कहा है, पोस्ट मार्टम से यह बात साबित होती है। इसलिये विद्यार्थियों और विरोधी दलों के नेताओं का यह कथन की एक बजे रात में कैदी की मृत्यु हुई, गलत है। जेल अधिकारियों के तबादले के लिये अगर प्राइमाफेसी में कोई बात आती है तो कर दिया जायगा। जेल अधिकारियों के तबादले हो जाने चाहिये। और उसकी जांच सही तरीके से हो जानी चाहिये और जैसा कि उन्होंने कहा हम कमिश्नर को जांच के आदेश दे चुके हैं और उनकी रिपोर्ट आने पर सही बात मालूम हो जायेंगी, जेल में उस दिन बहुत उपद्रव हुआ बताया जाता है, वहां के फाटक तोड़ गये, चाभियां छीनी गई, खाना नहीं देने दिया गया, इन सब बातों के लिये ही यह जांच करायी जा रही है, दोनों ओर के लोगों को चोटें आई हैं।

श्री रामलाल भाई--

अभी कारगार मंत्री जी ने कहा कि मुख्य प्रश्न यह था कि वहां कैदी की मृत्यु ठंडक के कारण से हुई है और उसको रात में कम्बल नहीं दिया गया और इसी आधार पर विद्यार्थियों ने मांग की कि जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। वहां लाठी चार्ज हुआ लेकिन उनकी मांग है कि जिन अधिकारियों की वजह से वहां लाठी चार्ज हुआ उनके रहते हुये निष्पक्ष

जांच की उम्मीद नहीं है। चाहें वह जांच सिटी मैजिस्ट्रेट या कमिश्नर कोई भी करें लेकिन इन दोनों जल अधिकारियों का तबादला किया जाय। उसके बाद जांच किसी भी अधिकारी से करायी जाय लेकिन मंत्री जी सदन को आश्वासन दें कि इन अधिकारियों को हटा दिया जायगा ताकि निष्पक्ष रूप से जांच हो जाय।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय सदस्यों का यह कहना कि रामलाल की मृत्यु ठंडक के कारण हुई यह बात हमारी समझ में नहीं आती और प्रश्न यह ह कि विद्यार्थियों को इसका कैसे इल्म हुआ कि उसको कपड़े या कम्बल नहीं दिया गया क्योंकि उसको सर्दी का गर्म कोट दिया गया था और विद्यार्थी दूसरी बैरक में थे और वह व्यक्ति दूसरी बैरक में था तो उन्हें कसे इल्म हुआ कि उसको ठीक से कपड़े नहीं दिये गये। जहां तक उनके तबादले का सवाल है अभी तक कोई प्राइमा-फेसी केस किसी इन्क्वायरी से नहीं बनता है कि किसी का कोई कसूर है। अगर किसी का कसूर साबित होता है तो केवल ट्रांसफर ही नहीं जरूरत होने पर सस्पेंड भी किया जा सकता है।

श्री जयराम वर्मा--

स्थिति यह है कि यह जेल के अन्दर की घटना है और वही इन्क्वायरी होना है, जेल के कैदियों से इसमें इन्क्वायरी करनी होगी। ऐसी स्थिति में सोचने की बात यह है कि क्या यह सम्भव हो सकेगा कि निष्पक्ष जांच वहां हो सके जांच चाहे कमिश्नर करें या कोई करे लेकिन हमारे ख्याल से यह असम्भव है और क्या मंत्री जी यह उचित नहीं समझते कि वहां से जेल अधिकारियों का ट्रांसफर होने के बाद ही वह इंक्वायरी करायी जाय ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

वहां 50-60 जेल अधिकारी होंगे, सबको चाहते हैं या जेलर और अधीक्षक को ही चाहते हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या मंत्री जी जेलर और सुपरिंटेंडेंट जेल का ही तबादला करने के लिये तैयार हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

उस समय वहां के सुपरिंटेंडेंट जेल गैरहाजिर थे और कार्यवाहक अधीक्षक वहां थे अगर आप चाहें तो उनका तबादला कर दिया जायगा।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह चार्ज लगाया गया है कि श्री रामलाल का मृत्यु ठंड के कारण हुई तो क्या उनको यह ज्ञात है कि जाड़ों में कैदियों को 3 कम्बल दिये जाते हैं और उसको केवल 2 ही दिये गये इस कारण से मृत्यु हुई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जेल के नियमों के अनुसार उसको पूरे कपड़े दिये गये थे, मुझे ज्ञात नहीं है कि दो दिये जाते हैं या 3 कम्बल दिये जाते हैं लेकिन जो पूरे कपड़े दिये जाने चाहिये वे दिये गये थे।

नोट:--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 4 के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जिला जजी देवरिया में फौजदारी के मुकदमों की पैरवी

*1—श्री हरिवंश सहाय, श्री दीपनारायण मणि तथा श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत दो वर्षों से जिला जजी देवरिया में कितने फौजदारी के मुकदमें जिनमें शासन वादी था पैरवी के अभाव में खारिज हो गये तथा इस सम्बन्ध में शासन क्या कार्यवाही करने जा रही है और क्या डी0 जी0 सी0 इसके लिये उत्तर-दायी हैं ?

न्याय मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

दण्ड प्रक्रिया संहिता (cr p. c.) में पैरवी के अभाव में किसी सेशन मुकदमें के खारिज होने का कोई संविधान ही नहीं है, अतएव प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

ईदगाह मुरादाबाद में बलवे के मुकदमें के निर्णय में विलम्ब

*1—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि क्या कोई मुकदमा ईदगाह मुरादाबाद पर बलवा होने के सिलसिले में सरकार बनाम मोहम्मद अली खां वगैरा अदालत मुंसिफ मजिस्ट्रेट मुरादाबाद में नवम्बर, 1968 से चल रहा है? यदि हां, तो इसके निर्णय में इतना समय लगने तथा पुलिस की ओर से अब तक शहादत न पेश किये जाने के क्या कारण हैं ? सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं। प्रश्नगत फौजदारी मुकदमा राज्य बनाम मोहम्मद अली तथा अन्य जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद के न्यायालय में चल रहा था, का निर्णय दिनांक 21-8-72 को हो चुका है।

पूर्वी जिलों के स्वास्थ्य केन्द्र कर्मचारियों की आवास व्यवस्था

*2—श्री दलसिंगार सिंह यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जिलों में विशेषकर गोंडा, बहराइच, में कितने ऐसे स्वास्थ्य केन्द्र हैं जहां पर कर्मचारियों को रहने की सुविधा प्रदान की गई है, जिनको नहीं दी गई, क्या उनको किराया दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिनमें कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था है का विवरण इस प्रकार है:—

1—गोंडा में	18
2—बहराइच में	12
3—बस्ती में	21

4—गोरखपुर में	18	
5—देवरिया में	22	
6—बलिया में	8	
7—गाजीपुर में	10	
8—आजमगढ़ में	22	
9—जौनपुर में	13	
10—मिर्जापुर में	12	
11—फैजाबाद में	13	(फार्मसिस्ट के लिये केवल 12 अस्पतालों में
12—प्रतापगढ़ में	8	सुविधा है)
13—सुल्तानपुर में	16	

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात चिकित्साधिकारी तथा कम्पाउन्डर निःशुल्क भवन अथवा निःशुल्क आवास की व्यवस्था के अभाव में भवन भाड़ा पाने के अधिकारी हैं। जिन कर्मचारियों ने आवश्यक औपचारिकतायें पूरी नहीं की हैं उन्हें अभी भवन भाड़ा देना संभव नहीं हो सका है।

श्री रामबख्श लाल, राजकीय आयुर्वेदिक कम्पाउन्डर, फैजाबाद का देय धन

*3—श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री रामबख्श लाल, राजकीय आयुर्वेदिक कम्पाउन्डर, जिला फैजाबाद जो दिनांक 1 फरवरी, 1965 को कार्य से हटाये गये, का वेतन, सुरक्षा कोष, जमानत मार्ग व्यय आदि का धन अभी तक न दिये जाने का क्या कारण है? यह धन उन्हें कब तक दिया जायगा?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्री रामबख्श लाल ने राजकीय सेवा से त्याग-पत्र देने के पश्चात् अनेक प्रकार के दावे किये हैं। इनकी जांच-पड़ताल में समय लग रहा है क्योंकि दावों का सम्बन्ध सात जिलों में किये गये सेवा काल से है। जांच पूरी हो जाने पर उचित दावों का भुगतान तुरन्त कर दिया जायगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग के लिपिकों के स्थानान्तरण आदेश

*4—श्री नारायणदास (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग के कितने लिपिकों के जून, 1970 में स्थानान्तरण किये गये और उनमें से कितने रद्द, स्थगित एवं परिवर्तित किये गये तथा आदेशोपालन में 2 सप्ताह या उससे अधिक विलम्ब करने के अभियोग में कितने-कितने लिपिक निलम्बित किये गये?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार नियोजन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिकों के जून, 1970 से दिसम्बर, 1972 तक कुल 865 स्थानान्तरण किये गये। उसमें से 169 रद्द, 8 स्थगित एवं 105 परिवर्तित किये गये। स्थानान्तरण आदेश का पालन यथासमय न करने के अभियोग में 5 लिपिक निलम्बित किये गये।

[दिनांक 12 जनवरी, 1973 के लिये निर्धारित]

तारांकित प्रश्न

सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा के आपरेशन रूम में गैस सेलेन्डर एवं दवाओं की कमी

*1—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा फतेहाबाद)—

क्या सरकार को पता है कि तारीख 1 सितम्बर, 1972 को आगरा में छूरे से घायल एक राजेन्द्र सिंह चौहान नामक छात्र को सरोजनी नायडू अस्पताल में जब ले जाया गया तो वहां आपरेशन वार्ड में गैस सेलेन्डर तथा बेहोश करने की दवा का कोई प्रबन्ध नहीं था? क्या यह भी सही है कि श्री राजेन्द्र सिंह का आपरेशन बिना गैस सेलेन्डर के ही करना पड़ा यदि हां, तो क्या सरकार वहां आपरेशन के लिये गैस सेलेन्डरों तथा आपरेशन की अन्य दवाओं का सही प्रबन्ध करने को कदम उठावेगी?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा में दिनांक 1 सितम्बर, 1972 को आक्सीजन गैस का स्टाक समाप्त हो जाने के कारण श्री राजेन्द्र सिंह चौहान के आपरेशन के लिये गैस सिलेन्डरों की व्यवस्था नहीं हो सकी थी, परन्तु यह सही नहीं है कि बेहोश करने की दवा का कोई प्रबन्ध नहीं था। ईथर नामक दवा, जो कि बेहोशी के लिये प्रयोग की जाती है, उपलब्ध थी और गैस न होने के कारण श्री चौहान को ईथर से ही बेहोश करके आपरेशन किया गया। अस्पताल से खाली गैस सिलेन्डर भरने के लिये समय-समय पर दिल्ली भेजे जाते हैं। उनके भर कर वापस आने में देरी के कारण कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अस्पताल के अधिकारी इस बात क प्रति सचेष्ट हैं कि इस प्रकार की स्थिति की यथासंभव पुनरावृत्ति न हो।

डफरिन अस्पताल, इलाहाबाद में जच्चा व बच्चों की मृत्यु

*2—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद शहर के अन्दर स्थित डफरिन अस्पताल में एक मां तथा उसके दो बच्चों की मृत्यु दिनांक 5 सितम्बर, 1972 को डाक्टरों की लापरवाही से हो गई? इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं। मां की मृत्यु किसी डाक्टर की लापरवाही से नहीं हुई। दो जुड़वा बच्चे मृत ही पैदा हुए थे अतः शासन द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

मेडिकल एसोसियेशन, लखनऊ के शिष्ट मण्डल की मांग

*3—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7 सितम्बर, 1972 को उनसे लखनऊ में मेडिकल एसोसियेशन का कोई शिष्ट मण्डल मिला था? यदि हां, तो शिष्ट मण्डल की मुख्य मांगें क्या थीं? सरकार ने उनकी मांगों पर क्या किया?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

दिनांक 6-9-72 को मिला था। शिष्ट मण्डल ने एसोसियेशन की लखनऊ ब्रांच की ओर से 3,000 रु0 क अनावर्तक अनुदान की मांग की थी जिसे दिनांक 30 दिसम्बर, 1972 क आदेश द्वारा स्वीकृत कर दिया गया।

*4—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[17वें गुरुवार के लिये ता0 प्र0 सं0 22 के अन्तर्गत स्थान्तरित]

*5—श्री नित्यानन्द स्वामी—

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

शिवपुर दीयर बलिया में जमींदारी प्रथा का अन्त

*6—श्री शम्भनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1970 के 8वें बुधवार के प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतावेंगे कि शिवपुर दीयर के किस भाग पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत जमींदारी प्रथा का अन्त हो गया और किस भाग में अभी तक जमींदारी प्रथा का अन्त नहीं हुआ है तथा कब तक हो जायगा ?

राजस्व, सहायता एवं पुनर्वास तथा विधायिका मन्त्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

क्लेक्टर से प्राप्त सूचना के अनुसार शिवपुर दीयर के उस भाग पर जो बिहार उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत संक्रमित क्षेत्र के रूप में उत्तर प्रदेश में आया है, 25 मार्च, 1972 की विज्ञप्ति द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 लागू किया जा चुका है। शेष भाग पर जो पहले से ही उत्तर प्रदेश में था अभी जमींदारी विनाश अधिनियम लागू नहीं हुआ है।

शासन द्वारा स्थिति का परीक्षण किया जा रहा है जिसके बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा।

महेश्वरी खैतान शुगर मिल रामकोला देवरिया से संबंधित हाई कोर्ट में निर्णीत पेटीशन की गमशुदा पत्रावली

*7—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार इस तथ्य की जानकारी करेगी कि महेश्वरी खैतान शुगर मिल रामकोला, देवरिया के स्वामी श्री कमला प्रसाद ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में रिट नं0 3709, सन् 1971 राज्य सरकार को फरीक बनाकर दाखिल किया जिसका निर्णय दिनांक 3 अगस्त, 1971 को हुआ जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त मिल ने इसके पूर्व भी एक इसी आशय का प्रार्थना-पत्र दाखिल किया था जो 29 जुलाई, सन् 1971 को निर्णीत हुआ किन्तु इस निर्णीत पेटीशन की फाइल उपलब्ध नहीं थी? यदि हां, तो 29 जुलाई, सन् 1971 की निर्णीत गायब फाइल उपलब्ध हो गई है या नहीं? यदि नहीं तो इस सम्बन्ध में कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यावाही की गई?

श्री बलराम सिंह यादव—

रिट संख्या 3709/71 कमला प्रसाद खैतान बनाम राज्य तथा अन्य में प्रस्तुत एक स्थगन प्रार्थना-पत्र उच्च न्यायालय में खो गया था जो नहीं मिला।

उक्त स्थगन प्रार्थना-पत्र की एक प्रति सम्बद्ध अधिवक्ता से प्राप्त कर उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 1971 को पारित आदेशों को सम्मिलित करते हुए, 3-8-71 को उक्त प्रार्थना-पत्र पर आदेश पारित किया गया और इस प्रकार खो गये कागजों का पुनर्निर्माण करके पत्रावली ठीक कर ली गई।

उक्त स्थगन प्रार्थना-पत्र के खो जाने के कारणों पर उच्च न्यायालय द्वारा वैभागिक जांच की गई। परन्तु किसी भी कर्मचारी विशेष के विरुद्ध जिम्मेदारी निश्चित करने के लिये निश्चित सबूत नहीं उपलब्ध हो पाये। फिर भी सभी सम्बन्धित कर्मचारियों को उच्च न्यायालय द्वारा कड़ी चेतावनी दे दी गई है।

मिर्जापुर में लेखपालों के लिये विशेष भत्ता

*8—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिलें में लेखपालों से कृषि आंकड़े तैयार कराने के लिये प्रातः 9 बजे से रात 10 बजे तक लगातार 13-13 घंटे सदर मुकाम पर हाजिर कराकर इधर महीनों से काम लिया जा रहा है ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि इतनी कठोरता तथा लम्बी ड्यूटी का कोई ओवर टाइम या विशेष भत्ता उन्हें नहीं दिया जाता, क्या सरकार जांच करके लेखपालों की इस कठिनाई को दूर करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कृषि-गणना का कार्य राष्ट्रीय महत्व का एवं शीघ्रता का होने के कारण यह काम लेखपालों से उन्हें कानूनगो मुख्यावास पर हाजिर कराकर कराया गया। यह सही नहीं है कि उनसे यह काम 13–13 घण्टे प्रतिदिन लिया गया। नियमानुसार जो भत्ता उन्हें देय है वह उन्हें दिया जाता है। कृषि गणना का कार्य पूरा हो जाने पर प्रत्येक लेखपाल को 80 रु0 की धनराशि मानदेय के रूप में भी देय है।

*9-10–श्री त्रिलोक चन्द—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

प्रदेशीय मेडिकल कालेज खोलने हेतु मंत्रियों के प्रस्ताव

*11–श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को जानकारी है कि सितम्बर, 1972 में मन्त्रि-परिषद् के 6 वरिष्ठ मन्त्रियों ने स्वस्थ्य मन्त्री को लखनऊ, बलरामपुर अस्पताल तथा डफरिन महिला चिकित्सालय मिलाकर प्रदेशीय मेडिकल कालेज खोलने हेतु लिखा है ? यदि हां, तो मन्त्रियों की जो सिफारिश है उसे सरकार सदन की मेज पर रक्खेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

इस विषय में मन्त्रि-परिषद् के दो मन्त्रिगण व एक भूतपूर्व मन्त्री जी के संयुक्त हस्ताक्षर का अगस्त, 1972 का एक नोट प्राप्त हुआ है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 356 पर)

वन विभाग में गढ़वाल वृत बनाने की योजना

*12—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल नामक वृत्त बनाने की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक गढ़वाल वृत्त बनाये जाने की घोषणा की जायगी और उसमें कौन-कौन डिवीजन मिलाये जायेंगे तथा उसका मुख्यालय कहां होगा?

वन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

जी हां। गढ़वाल वृत्त बनाये जाने के शासकीय आदेश दिनांक 29 जुलाई, 1972 को जारी कर दिये गये थे और यह वृत्त दिनांक 9 अगस्त, 1972 से कार्य कर रहा है। इस वृत्त में गढ़वाल, बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा लैंण्सडाउन, कुल चार डिवीजन मिलाये गये हैं। इस वृत्त का मुख्यालय पौड़ी निर्धारित किया गया है परन्तु पौड़ी में कार्यालय तथा आवास हेतु भवन की व्यवस्था होने तक वृत्त का अस्थायी मुख्यालय देहरादून रखने की अनुमति दे दी गयी है।

स्टार पेपर फैक्ट्री, सहारनपुर को दी जाने वाली वनस्पतियों की दर

*13—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्टार पेपर फैक्टरी, सहारनपुर को क्या-क्या वन्य वनस्पतियां/लकड़ी, घास और किस-किस रेट पर किस-किस वन वृत्त से दी जाती है और उनका बाजार भाव क्या है?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

वांछित विवरण निम्न प्रकार है:—

वृत्त का नाम	स्टार पेपर फैक्ट्री, सहारनपुर को दी जाने वाली वन्य वनस्पतियां, लकड़ी, घास	रेट
1—कुमाऊं तथा 2—गढ़वाल	1—चीड़ की झावा सूण्डी	1 रुपये में 8 घन फुट
	2—चीड़ के खड़े पँचदार पेड़ जिनमें इमारती लकड़ी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं।	40 पैसे प्रति घनफुट
	3—चीड़ के छटान के पेड़ जो 12 इंच व्यास से अधिक न हों।	0"—4" व्यास के—ढाई पैसे प्रति पेड़ 4"—8" व्यास के—17 पैसे प्रति पेड़ 8"—12" व्यास के—3.50 रु0 प्रति पेड़
3—पश्चिमी 4—शिवालिक तथा 5—गढ़वाल	भावड़ घास (पारित ठेके के आधार पर)	5.98 रुपया प्रति 40 किलोग्राम
	भावड़ घास (रायल्टी ठेके के आधार पर)	97 पैसे प्रति 37-5 किलोग्राम

नोट:—वर्तमान दर उपर्युक्त दरों से 50 प्रतिशत अधिक है।

चीड़ की लकड़ी बाजार भाव पर ही दी जा रही है। भावड़ घास का बाजार भाव 10 रुपया प्रति 37-5 किलोग्राम (एक मन) है।

जिला अस्पताल फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद) के डाक्टरों के विरुद्ध शिकायत

*14—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को पता है कि फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ जिला अस्पताल के कुछ डाक्टरों के विरुद्ध जनवरी 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई थीं? यदि हां, तो उन शिकायतों में क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं? और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई और किस अधिकारी के द्वारा उनकी जांच कराई गई?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

डा0 एस0 सी0 पाण्डेय, मेडिकल आफिसर इंचार्ज के विरुद्ध एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें मुख्यतः रिश्वत लेने, एक ठेकेदार को गुण्डों से धमकी दिलवाने तथा मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाये गये थे।

शिकायतों की जांच सिविल सर्जन, फर्रुखाबाद द्वारा कराई गयी। जांच के अनुसार सभी आरोप विराधार पाये गये।

रजिस्ट्रार कानूनगो सदर कार्यालय (गोरखपुर) की पत्रावलियों की चोरी

*15--श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अक्तूबर, 1972 में गोरखपुर जिले में तहसील सदर में रजिस्ट्रार कानूनगो तथा नायब तहसीलदार और ए0 डी0 एम0 ई0 के कार्यालयों से लगभग 700 दिवानी की फाइलें व दस्तावेज गायब कर दिये गये हैं या चुरा लिये गये? यदि हां, तो सरकार ने इसे सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री उदित नारायण शर्मा--

प्रश्नगत अवधि में ए0 डी0 एम0 ई0 के कार्यालय से नहीं बल्कि रजिस्ट्रार कानूनगो तहसील सदर के कार्यालय से दाखिल खारिज की केवल 312 पत्रावलियां चोरी गई थीं पुलिस मामले की तफसीस कर रही है तथा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है।

मनेथू तथा बजाही (इलाहाबाद) के हरिजनों को आवास हेतु भूमि

*16--श्री रूपनाथसिंह यादव--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले में फूलपुर तहसील के गांव मनेथू और बजाही के हरिजन परिवारों को 15 अगस्त, सन् 1972 तथा 2 अक्तूबर सन् 1972 के अवसर पर मकान बनाने हेतु भूमि स्थल दिया गया? यदि हां, तो उनको भूमि देने की क्या कार्यवाही अब तक की गई?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जिला इलाहाबाद में फूलपुर तहसील के गांव मनेथू और बजाही चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत होने तथा इन गांवों में धारा 52 का प्रकाशन न होने के कारण उक्त गांवों के हरिजन परिवारों को 15 अगस्त तथा 2 अक्तूबर, 1972 के अवसर पर मकान बनाने हेतु भूमि स्थल नहीं दिया जा सका।

गोरखपुर के बाढ़ पीड़ितों के घरों के पुनर्निर्माणार्थ आवंटित जी० सी० शीट्स

*17--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में वर्ष 1972-73 में जी0 सी0 शीट्स 200 टन कृषि प्रयोग हेतु बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लये भेजा गया था? और इसे पूरा न बांट कर लगभग 80 हजार रुपया फर्जी पेमेन्ट दिखा कर सम्बन्धित अधिकारियों ने हड़प लिया? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच शीघ्र सी0 बी0 आई0, यू0 पी0 ब्रांच लखनऊ से करा कर रिपोर्ट को सदन के पटल पर रक्खेगी?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जी हां, गोरखपुर जिले के बाढ़ पीड़ितों के घरों के पुनर्निर्माण के लिये 200 मी0टन नहीं, बल्कि केवल 124 मी0 टन जी0 सी0 शीट्स परमिट द्वारा नियंत्रित दर पर बिक्री के लिये आवंटित की गयी थी और मुफ्त बांटने के लिये नहीं थी। इन शीटों की बिक्री अधिकृत दुकानदार के माध्यम से की गयी, अतः अधिकारियों द्वारा पैसा हड़पने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी हालत में जांच की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

पटखौली (प्रतापगढ़) में राजकीय औषधालय खोलने का आदेश एवं कालाकांकर का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

*18-- श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पटखौली विकास खण्ड पट्टी ग्राम हथगवां विकास खण्ड कुन्डा ग्राम लगना भगनीगंज विकास खण्ड कालाकांकर जनपद प्रतापगढ़ के 8 किलोमीटर के इर्दगिर्द कोई राजकीय औषधालय नहीं है? यदि हां, तो इन स्थानों पर क्या सरकार राजकीय औषधालय खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जी हां, ग्राम पटखौली में अस्पताल खोलने के आदेश हो गये हैं। अन्य ग्रामों के संबंध में आगामी वित्तीय वर्ष (1973-74) में विचार किया जायगा।

*19--श्री जयराम यादव--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि विकास खण्ड कालाकांकर जनपद प्रतापगढ़ में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है? यदि हां तो इसे कब तक खोल दिया जायगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

कालाकांकर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के एलोपैथिक चिकित्सालय की स्थापना अभी तक नहीं हो पायी है। इस समय यह कहना कठिन है कि उसे कब तक खोलना सम्भव होगा।

तहसील सदर व बांसगांव (गोरखपुर) के संग्रह अमीनों एवं लेखपालों के विरुद्ध शिकायतें

*20--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर बांसगांव के कितने संग्रह अमीनों एवं लेखपालों के विरुद्ध जनवरी 1972 से सितम्बर, 1972 तक शिकायतें जनता एवं विधायकों की ओर से भ्रष्टाचार एवं जनता से गलत ढंग से पैसे लेने के विषय में प्राप्त हुई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जी हां। आठ संग्रह अमीनों तथा चार लेखपालों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं। दो संग्रह अमीनों की सेवायें जांच के पश्चात् समाप्त कर दी गई हैं। तीन अमीनों तथा एक लेखपाल के विरुद्ध शिकायतें निराधार पाई गई। शेष तीन अमीनों तथा तीन लेखपालों के विरुद्ध शिकायतों की जांच की जा रही है।

गुनौर (सुल्तानपुर) के ग्राम प्रधान एवं ग्राम सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

*21--श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़), श्री नेतराम सिंह (जिला एटा) तथा श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम गुनौर विकास क्षेत्र मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के ग्राम प्रधान एवं ग्राम सरपंच (क्रमशः श्री अमर बहादुर सिंह और श्री सूर्यभान सिंह) के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अन्य गंभीर आरोपों से युक्त सर्वश्री नित्यानन्द स्वामी एवं श्री कल्याण सिंह की संस्तुति तथा पत्र के साथ कितने शिकायती-पत्र सन् 1972 में प्राप्त हुए तथा उन प्रार्थना-पत्रों के आधार पर अलग-अलग क्या कार्यवाहियां की गईं ?

श्री उचित नारायण शर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

गोंडा जनपद में अहेतुक सहायता तथा गृह अनुदान के वितरण संबंधी भष्टाचार की जांच

*22—श्री शीतला प्रसाद सिंह तथा श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में गत वर्ष की बाढ़ तथा अतिवृष्टि से उत्पन्न संकट के अहेतुक सहायता तथा गृह अनुदान में वितरण सम्बन्धी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप पर सरकार ने जांच करने हेतु विवरण सम्बन्धी समस्त कागजात सील कर दिये गये हैं? यदि हां, तो जांच की प्रगति क्या है?

श्री उचित नारायण शर्मा—

जी हां, जांच सतर्कता अधिष्ठान को सौंपी गयी है एवं जांच एजेंसी द्वारा संबद्ध सभी उपयोगी कागजात हस्तगत करके सील कर दिये गये हैं। जांच जारी है। ऐसी हालत में अभी जांच को प्रगति बताना संभव नहीं है।

सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर) के चिकित्सालय भवन के निर्माण में विलम्ब

*23—श्री वीरेन्द्र स्वरूप (जिला बुलन्दशहर), श्री शमीम आलम (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के चिकित्सालय के भवन के निर्माण के लिये कोई धनराशि स्वीकृति हुई थी? यदि हां, तो अब तक भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ न होने का क्या कारण है तथा चिकित्सालय के भवन निर्माण का कार्य कब पूर्ण हो जावेगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां। कार्य की दरों में वृद्धि होने के कारण स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत कार्य करवाना सम्भव न हो सका। 1976–77 तक कार्य पूर्ण होने की आशा है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम को व्यापक बनाने हेतु विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव

*24—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या हाल ही में विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में परिवार नियोजन के एक व्यापक कार्य-क्रम लागू करने के लिये 12 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है ? यदि हां, तो सरकार उसे क्यों स्वीकार नहीं कर रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश के 6 जिलों—सहारनपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ, में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्व बैंक जन-संख्या परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना पर लगभग 11 करोड़ 85 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है।

गांव समाज, बदले सिमनापुर (कानपुर) द्वारा दिये गये भूमि के पट्टे

*25—श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1960 से 1966 तक गांव समाज, बदले सिमनापुर तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर ने गांव समाज भूमि के पट्टे किन-किन व्यक्तियों को किये हैं और इन दिये गये पट्टों के खिलाफ कब और कितने एतराज किये गये ? क्या एतराजों पर किये गये परिणामों के विवरण से अवगत कराने की कृपा की जायगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उल्लिखित अवधि में भूमि प्रबंधक समिति बदले सिमनापुर द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को गांव सभा भूमि के पट्टे दिये गये :—

(1) श्री मथुरा
(2) श्री रामनाथ
(3) श्री मोती लाल रामचरन
(4) श्री पैलू
(5) श्री मोती लाल
(6) श्री गजराज
(7) श्री गयारी
(8) श्री जवाहर
(9) श्री छोटे लाल
(10) श्री भगौना
(11) श्री राम गोपाल
(12) श्री प्रभुदयाल
(13) श्री रघुनाथ

एतराजों संबंधी पत्रावलियां अतिरिक्त आयुक्त, इलाहाबाद मंडल को भेजी जाने के कारण एतराजों की संख्या व तिथि बताया जाना सम्भव नहीं। एतराजों के फलस्वरूप उपरोक्त सभी पट्टे परगनाधिकारी द्वारा निरस्त कर दिये गये हैं।

गन्डक नहर (देवरिया) के निर्माणार्थ ली गई भूमि का मुआवजा संबंधी शिकायतें

*26—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि देवरिया जिले में गन्डक नहर में निकलने वाली जमीन का मुआवजा बांटने के सिलसिले में मुआवजा दफ्तर देवरिया के विरुद्ध मौजा धुधंवलिया ब्लाक कसया, तहसील पड़रौना, जिला देवरिया के किसानों द्वारा जिलाधिकारी देवरिया तथा मुख्य मन्त्री को शिकायतें मार्च, 1972 से जून 1972 के बीच भेजी गई है ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कथित गांव के निवासियों से ऐसा कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

गनियावली (अलीगढ़) के श्री खचेर खां का जिलाधिकारी को प्रस्तुत आवेदन-पत्र

*27—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि श्री खचेर खां निवासी ग्राम गनियावली, तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़ ने दिनांक 7 मार्च, 1972 का कोई आवेदन-पत्र जिला-

शिकारी अलीगढ़ को प्रस्तुत किया है जिसमें तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़के तत्कालीन तहसीलदार के विरुद्ध स्वयं उक्त श्री खचेर खां को दो दिन तक हवालात में अवैधानिक बन्दी के सिलसिले में अभियोग चलाने की अनुमति मांगी है और क्या यह भी सच है कि उपरोक्त आवेदन-पत्र एवं उसमें उल्लिखित अरोपों की जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी (ग्राम्य)अलीगढ़ ने दिनांक 24 मार्च, 1972 को की है और साक्ष्य एवं अभिलेखों के आधार पर उक्त आरोप सत्य पाये गये हैं ? यदि हां, तो दिनांक 15 नवम्बर, 1972 तक उक्त श्री खचेर खां को उपरोक्त तहसीलदार के विरुद्ध अदालत में अभियोग चलाने की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं ।

श्री उदितनारायण शर्मा—

जी हां, श्री खचेर खां का ऐसा आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है और अतिरिक्त जिलाधिकारी ने अपनी जांच में आरोपों में तथ्य पाया है। संबंधित लोगों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। तहसीलदार पद के नियुक्ति एवं सेवा-मुक्ति (रिमूविंग) प्राधिकारी शासन नहीं है, इसलिये जाब्ता फौजदारी की धारा 197 में अभियोग चलाने के लिये शासन की अनुमति देने का प्रश्न नहीं उठता । श्री खचेर खां को भी उपरोक्त सूचना भेज दी गयी है।

बदायूं जिले में उर्दू की वोटर-लिस्ट का अभाव

*28—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि रुहेलखंड डिवीजन के सभी जिलों में सिवाय जिले बदायूं के उर्दू की वोटर-लिस्ट की सुविधा है ? यदि हां, तो यह सुविधा जिला बदायूं को कब तक दी जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं। रुहेलखंड डिवीजन के दो जिले बदायूं एवं शाहजहांपुर में उर्दू की वोटर-लिस्ट की सुविधा नहीं है ।

गढ़वाल के राजकीय अस्पताल, कोटद्वार एवं मेडिकल आफिसर भवन को खतरनाक घोषित किया जाना

*29—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पौड़ी ने 6 वर्ष पूर्व राजकीय अस्पताल, कोटद्वार गढ़वाल की बिल्डिंग तथा मेडिलक आफिसर के निवास को खतरनाक घोषित कर दिया था किन्तु इसके बावजूद अब तक न तो इन भवनों की मरम्मत ही की गई है और न ही नये भवन बनाये गये ? क्या यह भी सही है कि जनाना अस्पताल का अपना भवन नहीं है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इन दोनों मामलों में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं। महिला अस्पताल भाड़े के भवन में कार्य कर रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में एक नये संयुक्त अस्पताल हेतु भवन निर्माण कराये जाने पर विचार किया जा रहा है जिसमें महिला विभाग भी होगा ।

पर्वतीय जिलों की सहकारी संस्थाओं को लीसा आवंटन

*30—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पर्वतीय जिलों की सहकारी लीसा उद्योगों को इस वर्ष लीसा आवंटित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या यह भी सही है कि सहकारी लीसा उद्योग

कोटद्वार गढ़वाल ने लीसा के अभाव में कारखाना बन्द कर दिया है और संचालक मण्डल ने सभी कर्मचारियों को सेवा-मुक्ति के नोटिस दे दिये हैं ? यदि हां, तो शासन सहकारी संस्थाओं को लीसा आवंटित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

पर्वतीय जिलों के सहकारी लीसा उद्योगों को इस वर्ष लीसा आवंटन करने के आदेश शासन ने जारी कर दिये है। सहकारी लीसा उद्योग, कोटद्वार, गढ़वाल द्वारा लीसा के अभाव में कारखाना बन्द किये जाने तथा संचालक मंडल द्वारा सभी कर्मचारियों को सेवा-मुक्ति के नोटिस दिये जाने की कोई सूचना वन विभाग को नहीं है। सहकारी संस्थाओं को लीसे का आवंटन लीसा आवंटन समितियों द्वारा दिया जायगा।

चकबन्दी में चकों का आवंटन एवं नहर योजना का कार्यान्वय

*31—श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतावेंगे कि श्री रामकिंकर, विधायक, प्रतापगढ़ का प्रत्येक किसान को कम से कम दो चक और चकबन्दी क्षेत्र में प्रस्तावित नहर योजना के सम्बन्ध में दिनांक 4 नवम्बर, 1972 का उनको दो पत्र मिल चुक हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जी हां। चकबन्दी आयुक्त द्वारा आदेश दे दिये गये हैं कि जहां एक चक देने में हानि होती है वहां दो चक दे दिये जायें।

चकबन्दी क्षेत्र में प्रस्तावित नहर योजना के संबंध में कार्यवाही विचाराधीन है।

प्यारे लाल शर्मा अस्पताल, मेरठ में बेड्स बढ़ाने का विचार

*32—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्यारे लाल शर्मा अस्पताल मेरठ के मेडिकल व सर्जिकल जनरल वार्डों में महिलाओं व पुरुषों के अलग-अलग कितने बेड्स है क्या मेरठ की बढ़ती हुई जन-संख्या को देखते हुये सरकार इन बेड्स की संख्या को बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितने व कब ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

प्यारे लाल शर्मा अस्पताल, मेरठ में मेडिकल व सर्जिकल जनरल वार्डों में पुरुष व महिला शैय्याओं की संख्या इस प्रकार है :—

	पुरुष	महिला	योग
मेडिकल	35	13	48
सर्जिकल	42	13	55
	77	26	103

उपर्युक्त चिकित्सालय में 100 शैय्याओं वाले एक नये वार्ड के निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। वार्ड के निर्माण के पश्चात् ही शैय्याओं की संख्या में वृद्धि हो सकेगी।

स्वास्थ्य विभाग के अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों का मिड-सेशन स्थानान्तरण

*33—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसा कोई आदेश है कि मिडिल सेशन में कम से कम 5 वर्ष तक अल्प भोगी कर्मचारियों का स्थानान्तरण न किया जावे ? यदि हां, तो उसका पालन स्वास्थ्य विभाग में किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

इस प्रकार के सामान्य आदेश हैं कि निम्न श्रेणी वाले कर्मचारियों को जिले या डिवीजन के बाहर न भेजा जाय तथा राजपत्रित कर्मचारियों का स्थानान्तरण तीन वर्ष से पहले न किया जाय इन आदेशों का अनुपालन स्वास्थ्य विभाग में सामान्यतः किया जाता है विशिष्ट परिस्थतियों को छोड़कर ।

*34—श्री शिव कैलाश—

(7वें गुरुवार के लिये प्र0 सं0 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित) ।

श्री बाबू लाल शर्मा (अलीगढ़) से संबंधित मुकदमें

*35—श्री राम निहोर राय, श्री नेतराम सिंह, श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि श्री बाबू लाल शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्ष नगरपालिका, अलीगढ़ के विरुद्ध गबन आदि के गम्भीर मामले से सम्बन्धित अभियोग जो अब उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचारार्थ स्वीकृत होकर लम्बित हैं को सरकार वापस लेने जा रही है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के ऋण व तकाबी वसूली संबंधी वारंट

*36—श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 13-7-72 को प्रदेश में सूखे के कारण सहकारिता व कृषि विभाग के कर्जों व तकावी की वसूलयाबी को रोकने के लिये आदेश जारी किये हैं तो यह आदेश कब तक लागू रहेंगे और क्या सरकार इस संबंध में यह भी बतायेगी कि जनपद मुजफ्फरनगर तहसील कैराना के ग्राम पवटीकला के सहीराम पुत्र मल्लू व बरखु पुत्र अल्लादिया आलखुर्द कैराना जिन्दा पुत्र गेंदा कैराना नजीबुलरहमान पुत्र सईदुलरहमान अफगानान मसूद पुत्र जरयाव व अहमद हसन पुत्र इब्राहीम निवासी कैराना के वारंट गिरफ्तारी व कुर्की जारी किये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जी नहीं। शासन ने दिनांक 29-7-72 व 31-7-72 को एकीकृत संग्रह योजना द्वारा वसूल किये जाने वाले देयों की वसूली शासन के अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखे जाने के निदेश जारी किये थे। कृषि और सहकारिता विभाग अपने देयों की वसूली स्वयं करते हैं अतः उपर्युक्त आदेश उनके देयों के सम्बन्ध में लागू नहीं थे ।

जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सहीराम पुत्र मिल्लू को सहकारिता विभाग के अमीनों तथा श्री मसूद पुत्र रियाज को कृषि विभाग के तहसीलदारों द्वारा गिरफ्तार किया गया। सर्वश्री बरखू पुत्र अल्लादिया तथा जिन्दा पुत्र गेंदा के विरुद्ध कृषि तहसीलदार द्वारा तथा श्री नजीबुल रहमान पुत्र सईदुल रहमान सहकारिता विभाग के अनुरोध पर

तहसीलदार केराना द्वारा गिरफ्तारी वारन्ट जारी किये गये पर सहकारिता विभाग के अनुरोध पर उक्त वारन्ट की अवधि बढ़ा दी गई और उसकी तामीली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त श्री अहमद हसन पुत्र इब्राहीम के विरुद्ध आबपाशी व तकाबी देयों की वसूली हेतु वारन्ट गिरफ्तारी जारी किया गया पर उक्त देयों की वसूली दिनांक 31-7-72 को स्थगित किये जाने के कारण उसकी तामीली नहीं की गई।

*37—श्री मनोहर लाल तथा श्रीमती सिया दुलारी—

[5वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

मेरठ के वकीलों की हड़ताल

*38—श्री वलबीर सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि मेरठ में सब वकीलों ने मेरठ बार एसोसियेलन के निर्देश पर 12-12-72 को हड़ताल की थी ? यदि हां तो इसके क्या कारण थे और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। यह हड़ताल उच्च न्यायालय की एक बेंच पश्चिमी क्षेत्र के किसी जिले में स्थापित किये जाने के संबंध में की गई थी। यह मामला पहले से ही शासन के विचाराधीन है।

सुल्तानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मचारियों का वेतन

*39—श्री नेतराम सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि जनपद सुल्तानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मचारियों के पिछले कई महीनों का वेतन बाकी है ? यदि हां तो क्या मंत्री जी उसे अबिलम्ब दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

अशोक होटल, मीरानपुर कटरा (शाहजहांपुर) की कुर्की

*40—श्री केशवचन्द सिंह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या राजस्व मंत्री को मालूम है कि मीरानपुर कटरा जिला शाहजहांपुर में अशोक होटल जिसके मालिक अशोक कुमार और जिनका सेल टैक्स में पंजीकरण भी है तहसीलदार तिलहर ने रात 8 बजे 30-11-72 को ताला तोड़ कर अवैध रूप से कुर्की की है जबकि उसके जिम्मे कोई धनराशि बकाया न थी? इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मीरानपुर कटरा, जिला शाहजहांपुर में अशोका होटल है। जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त होटल के मालिक सर्वश्री जगन्नाथ प्रसाद फिरंगी लाल हैं, जिनसे 1969-70 की बिक्री-कर की रु0 15,333.44 पैसे की बकाया धनराशि की वसूली करने हेतु उक्त होटल की चल सम्पत्ति की कुर्की दिनांक 30-11-72 को 4.30 बजे सायं आरम्भ की गई और 7.30 बजे सायं तक समाप्त हुई। ताला तोड़ कर अवैध रूप से कुर्की नहीं की गई। वसूली बिक्री-कर विभाग से प्राप्त प्रमाण-पत्र के आधार पर की गई थी।

महाखरपुर तथा कोवारी (बस्ती) के किसानों के विवादों के फैसले का अमल-दरामद

*41--श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम महाखरपुर तथा ग्राम कोचरी, परगना महलीपुर, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती के कतिपय किसानों की जमीन संबंधी विवाद न्यायालय से सन् 1969 में ही तय हो गया था ? परन्तु सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा अब तक अमल-दरामद नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

प्रश्नगत मामलों में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों का अमल-दरामद हो चुका है ।

लेखपालों को तहसील में उपस्थिति के फलस्वरूप सुविधायें

*42--श्री महातम प्रसाद तिवारी (जिला गोरखपुर)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष में अधिक दिन जो लेखपाल तहसील में उपस्थित रहते हैं उनको तहसील में उपस्थित रहने की क्या-क्या सुविधायें दी जाती हैं ? यदि नहीं दी जाती हैं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

सरकारी कार्यवश तहसील में उपस्थित रहने पर लेखपाल को पहले दो दिनों को छोड़कर शेष दिनों के लिये 75 पैसे प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता दिया जाता है ।

मूल चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत हुई चकबन्दी की पुनरावृत्ति

*43--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि शासन नें यह निर्णय लिया है कि प्रदेश की उन तहसीलों में जिन में मूल चकबन्दी अधिनियम के माध्यम से चकबन्दी हुई थी पुनः चकबन्दी कराई जायगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

प्रदेश की उन तहसीलों में जिनमें चकबन्दी का कार्य सबसे पहले आरम्भ किया गया था काम बहुत खराब हुआ है जिससे चकबन्दी का पूरा-पूरा लाभ कृषकों को नहीं मिल पाया । अतः इन ग्रामों में पुनः चकबन्दी कराने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है । लेकिन यदि निर्णय हुआ भी तो यह पुनः चकबन्दी का कार्य तभी प्रारम्भ करना सम्भव होगा जब एक बार सारे प्रान्त की चकबन्दी समाप्त हो जावे ।

*44--श्री सूबदार सिंह--

[5वें शुक्रवार के लिये प्र0 सं0 22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*45--श्री पारसनाथ सिंह--

[5वें शुक्रवार के लिय स्थगित]

सहायता प्राप्त धर्मार्थ चिकित्सालयों द्वारा रोगियों से फीस की वसूली

*46--श्री अवधेश सिन्हा (जिला सीतापुर)--

क्या यह सत्य है कि जिन धर्मार्थ चिकित्सालयों को सरकार सहायक अनुदान देती है वे रोगियों से भी फीस लेते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार धर्मार्थ चिकित्सालयों द्वारा भी गयी फीसों की दरें निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां। जी नहीं। ऐसा करना जनहित में न होगा।

बाराबंकी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में भवन निर्माणार्थ ऋण

*47—श्री शिव कैलाश—

क्या सरकार कृपया बतायगी कि राजस्व अनुभाग 10 के आदेश सं0 37/149/11-7011 टा, दिनांक 15 फरवरी, 1972 द्वारा बाढ़ग्रस्त के पक्के मकानों के निर्माण तथा पुनर्निर्माण के लिये ऋण की विशेष योजना के अन्तर्गत बाराबंकी के लिये निर्धारित 2 लाख रुपया की धनराशि उस जिले को अब तक न भेजने का क्या कारण है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

केवल दो ही लाख रुपये नहीं बल्कि 8 लाख रुपय वित्तीय वर्ष 1971-72 में दिये गये थें और वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक 2,71,300 रुपये बाढ़ पीड़तों को बांट दिया गया था।

बिना रजिस्ट्रेशन के मेडिकल प्रैक्टिस करने के संबंध में शिकायत की जांच

*48—श्री चन्द्रभानु शर्मा, श्री सच्चिदानन्द गुप्त (जिला लखनऊ) तथा श्री महावीर सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार को मालूम है रावराफे खां भतपूर्व एम0एल0ए0, मुजफ्फरनगर के द्वारा एक शिकायती पत्रजिसमें यह लिखा है कि श्री रणजीत सिंह गड़रिया व महावीर शर्मा, साकिन जलालाबाद बगैर परिषद् के रजिस्ट्रेशन के मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं और अनुभव न होने के कारण उन्होंने कई केस खराब कर दिये हैं रजिस्ट्रार भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजा है तथा रजिस्ट्रार, महोदय ने उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की नोटिस पत्र 1313, 14 व 15/एच0सी0/72 (1), दिनांक 21-11-72 को जारी किये ? यदि हां, तो वह शिकायती-पत्र क्या था और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई यदि नहीं हुई, तो क्यों ?

*श्री धर्मदत्त वैद्य—

"जी हां। रजिस्ट्रार भारतीय चिकित्सा परिषद् ने परिषद को प्राप्त शिकायती-पत्र पर सर्व श्री रणजीत सिंह गड़रिया व महाबीर शर्मा से चिकित्सा कार्य करने के संबंध में जब स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने चिकित्सक के रूप में कार्य करने से इन्कार कर दिया, अतः जिलाधीश, मुजफ्फरनगर को संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं।

विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः परिसीमन

*49—श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगामी विधान सभा के सामान्य निर्वाचन के पूर्व उत्तर प्रदेश के विधान सभा क्षेत्रों का पुनः परिसीमन किया जायगा और क्या सुरक्षित क्षेत्रों में भी परिवर्तन होगा ? यदि हां, तो इसकी जानकारी कब तक हो सकेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

संविधान के अनुच्छेद 170 (3) में प्रत्येक नई जनगणना के पश्चात बिधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन का प्राविधान है। परिसीमन आयोग द्वारा नये परिसीमन प्रस्ताव आपत्तियों एवं सुझावों के लिये प्रकाशित कराने पर ही किसी परिवर्तन के संबंध में जानकारी हो सकेगी। परिसीमन आयोग का गठन शीघ्र होने की संभावना है क्योंकि संसद द्वारा विधेयक पारित हो गया है।

सांख्यकीय अधिकारियों के पदों की पदोन्नति द्वारा पूर्ति

50—श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत अक्तूबर में शासन को मुख्य अरण्यपाल ने सांख्यकीय अधिकारी के पदों को पदोन्नति द्वारा भरने हेतु कोई प्रतिवेदन भेजा है ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां । मामला विचाराधीन है ।

बांसगांव (गोरखपुर) में महिला चिकित्सालय की मांग

*51—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत बांसगांव में महिला चिकित्सालय की स्थापना कें लिये मुख्य मंत्री जी तथा स्वास्थ्य मंत्री जी को कितने प्रार्थना-पत्र स्थानीय जनता की ओर से 1 जुलाई 1971 से 15 दिसम्बर, 1972 तक प्राप्त हुए हैं और उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही शासन की ओर से की गई है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

गोरखपुर जिले के अन्तर्गत बांसगांव में महिला चिकित्सालय स्थापनार्थ 1 जुलाई, 1972से 15 दिसम्बर, 1972 तक श्री वीर बहादुर सिंह, उप मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश का पत्र दिनांक 15-8-72 स्वास्थ्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को तथा श्रीमती मसालीदेवी सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 21-10 72 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ था ।

वहां पर सशुल्क अथवा निःशुल्क भवन उपलब्ध न होने के कारण चिकित्सालय की स्थापना करना सम्भव नहीं हो सका ।

करौर (जौनपुर) के किसानों की चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

*52—श्री जगन्नाथ राव तथा श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेगे कि ग्राम करौर, परगना मुण्रा तहसील मछली शहर, जिला जौनपुर के किसानों की ओर से दिनांक 1 सितम्बर, 1972 ई0 को कोई रजिस्ट्री पत्र मिला था जिसमें उस क्षेत्र के चकबन्दी अधिकारियों की धांधली घूसखोरी आदि की शिकायतें थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की यदि नहीं तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ऐसी शिकायतों से संबंधित एक दिनांक रहित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था । प्रार्थना-पत्र पर उल्लिखित आरोपों के समरुप ही एक प्रार्थना-पत्र चकबन्दी आयुक्त को प्राप्त हुआ था जिसको जांच कराये जाने पर आरोप सही नहीं पाये गये । अतएव किसी कार्यवाही के करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

*53—श्री धूमप्रसाद—

(5वे शुक्रवार लिये स्थगित)

बदायूं जिला अस्पताल में नर्सों की संख्या में वृद्धि

*54--श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य तथा श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिला अस्पताल में नर्सों की संख्या बढ़ाने के संबंध में गत 6 मास में सरकार को कोई ज्ञापन का प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ है यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जी हां। स्वास्थ्य सेवा निदेशक से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा जा चुका है ।

आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोलने की योजना

*55--श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य तथा श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में आयुर्वेदिक विश्व-विद्यालय खोलने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक और किस स्थान पर ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

योजना है किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही अन्य निर्णय लिये जा सकते हैं ।

*56--श्री रामधारी शास्त्री--

[5 वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*57--श्रीमती मसाली देवी--

[5 वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

आगरा में पांच स्टार होटल बनाने हेतु ओबेराय होटल्स का प्रार्थना-पत्र

*58--श्री राम लाल भाई--

दिनांक 21 जुलाई, 1972 की कार्य-सूची की नत्थी (ख) के प्रश्न संख्या 1 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या आगरा सर्किट हाउस की भूमि पर 5 स्टार होटल बनाने हेतु ओबेराय होटल्स को जमीन दिये जाने पर शासन पुनः विचार कर रहा है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

जी हां, मेसर्स ओबेराय होटल ने सर्किट हाउस आगरा, में भूमि उपलब्ध कराने के लिए शासन को पुनः एक प्रार्थना-पत्र दिया है, जो विचाराधीन है ।

अतारांकित प्रश्न

ढोलना (एटा) के वयस्क बोर्ड की आराजी का उपयोग

1--श्री नेतराम सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परगना बिलराम तहसील कासगंज, जिला एटा के ग्राम ढोलना में 1 मई, सन् 1959 तक कौन-कौन सी आराजी और बाग वक्फ बोर्ड के नाम की गई और उस आराजी व बाग वक्फ से होने वाली आय का उपयोग और संरक्षता कौन करता है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

इस ग्राम में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास हाजी भीखम खां नाम का वक्फ दर्ज है जिसके पास निम्नलिखित आराजी व बाग है :--

(क) आराजी-खाता सं0 133/3, 137/1, 135, 136/1, 136/2, 139/2 138/3, 139/1, 146/1, 140 ।

(ख) बाग-ग्राम ढोलना में एक बाग जिसका क्षेत्रफल 21 बीघा, 15 बिसवा है। इससे होने वाली आय का उपयोग और संरक्षता वक्फ क मुतवल्ली हाजी हसीब खान, निवासी ग्राम ढोलना करते हैं ।

सहायता कार्यार्थ केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण

2--श्री रूपनाथ सिंह यादव--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य में सूखे की स्थिति का सामना करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि अनुदान के रूप में राज्य को प्राप्त हुई है ? इसका जिलेवार वितरण क्या है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

राज्य में सूखे की स्थिति का सामना करने हेतु केन्द्रीय सरकार से कोई भी धनराशि अनुदान के रूप में राज्य को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु 90 लाख रुपये का ऋण सहायता कार्यों के लिये प्राप्त हुआ है। अनुदान के जिलेवार वितरण का प्रश्न नहीं उठता।

3--श्री कल्याण सिंह--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

गंगा की धारा में परिवर्तन से निकली हुई अलीगढ़ के ग्रामों की भूमि

4--श्री कल्याण सिंह--

विधान सभा के दिनांक 21-4-72 की कार्य-सूची नत्थी (घ) के तारांकित प्रश्न संख्या 26 के उत्तर के संबंध में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला अलीगढ़ की अतरौली तहसील के हारनपुर कलां हारनपुर गैर अहतमाली किरतोली एवं फतेहपुर ग्रामों की जो भूमि गंगा नदी की धारा में परिवर्तन होने के कारण सन् 1969 तक गंगा के उत्तर दिशा में निकली उस पर कहां-कहां के निवासी एवं किस-किस का अधिकार है और क्या उक्त अधिकार तहसील अतरौली के अभिलेखों में अंकित है ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

प्रश्नगत भूमि बंगर जुती पड़ी है और उस पर किसी का कब्जा नहीं है। उस भूमि के संबंध में पैमाइश का कार्य हो रहा है जिसके पूर्ण हो जाने पर भूमि के अधिकारी व्यक्तियों के सम्बन्ध में निर्णय हो जावेगा ।

मीरक नगर, लखनऊ के भूमिहीनों में वितरित ग्राम समाज की भूमि

5--श्री जगन्नाथ राव--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के तहसील मोहनलाल गंज में वर्ष 1972 में कितनी ग्राम समाज की भूमि को भूमिहीनों को बांटी गई ? उपरोक्त तहसील के ग्राम मीरक नगर क कितने भूमिहीनों को भूमि दी गई तथा कितने शेष रह गये ? क्या उन्हें भी जमीन दी जायगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

तहसील मोहन लाल गंज में वर्ष 1972 में ग्राम समाज को 38-60 एकड़ भूमि भूमिहीनों को आवंटित की गई है। ग्राम मीरक नगर में वर्ष 1972 में कोई भूमि आवंटित नहीं की गई क्योंकि इस ग्राम में पट्टे पर देने के लिये गांव सभा को भूमि उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1970 में ग्राम मीरक नगर के 16 भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में 46-32 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। ग्राम मीरक नगर में 89 भूमिहीन शेष रह जाते हैं लेकिन उनको भूमि देने को अब उपलब्ध नहीं है अतः उनको भूमि नहीं दी जा सकती।

न्यायालय द्वारा निर्दोष घोषित जायसवाल कानूनगो (बहराइच) का वेतन

6--श्री वासुदेव सिंह वैद्य (जिला बहराइच)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बहराइच जिले के जायसवाल कानूनगो के ऊपर जो आरोप लगाये गये थे उन आरोपों को न्यायालय ने निराधार मान कर जायसवाल को निर्दोष बताया है परन्तु जायसवाल को फिर भी 8 माह तक कार्यभार नहीं सौंपा गया ? क्या इस अवधि का वेतन उन्हें दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्री राम किशोर जायसवाल कानूनगो न्यायालय द्वारा तारीख 29-6-72 को निर्दोष अवश्य घोषित किये गये, परन्तु यह सत्य नहीं है कि उन्हें 8 मास तक कार्यभार नहीं सौंपा गया उनके विरुद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही की समाप्ति पर दिनांक 22 नवम्बर, 1972 को श्री जायसवाल ने कार्य ग्रहण कर लिया है। उक्त अवधि का वेतन श्री जायसवाल को कलेक्टर के आदेश के अनुसार देय हैं।

गढ़वाल, चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तर काशी जिलों के यात्रा सीजन में निर्मित शौचालय

7--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करगे कि गढ़वाल, चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तर काशी जिलों में गत तीन वर्षों में यात्रा सीजन में कुल कितने टेम्पोरेरी शौचालय व मूत्रालय बनाये गये हैं और उन पर कुल कितना धन खर्च हुआ है क्या सरकार इन स्थानों पर पक्के शौचालय आदि बनाने की योजना बना रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

गढ़वाल, चमोली तथा टिहरी-गढ़वाल जिलों में वर्ष 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 में यात्रा सीजन में 2054 टेम्पोरेरी शौचालय एवं 707 टैम्पोरेरी मूत्रालय बनाये गये और उन पर कुल रु0 71,354.95 पैसे व्यय हुआ। उत्तर काशी जिले में वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में 336 टेम्पोरेरी शौचालय तथा 188 टेम्पोरेरी मूत्रालय बनाये गये। वर्ष 1969-70 में इस जिले में बनाये गये टेम्पोरेरी शौचालयों मूत्रालयों की संख्या तथा संबंधित तीन वर्षों में हुये व्यापक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

इन स्थानों पर पक्के शौचालय में मूत्रालय बनाने की कोई योजना अभी नहीं है।

बलिया के गांवों में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून का लागू होना

8--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि बलिया जनपद में कुल राजस्व गांव अब भी ऐसे हैं जिनमें जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून नहीं लागू हुआ है ? यदि हां, तो कौन-कौन से ग्राम है कितने-कितने क्षेत्र फल के और इनमें उक्त अधिनियम कब तक लागू हो जायगा ?

[श्री उदित नारायण शर्मा]

बलिया जमपद में संलग्न सूची में अंकित 105 ग्रामों में कलेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम अभी तक लागू नहीं हुआ है सरकार इस स्थिति की जांच कर रही है। इन ग्रामों में भू-समापन व अभिलेख क्रियायें कराने के बाद ही इनका सही क्षेत्रफल बताना सम्भव हो सकेगा। स्थिति का परीक्षण करने के उपरान्त ही सरकार निर्णय ले सकेगी।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 357 पर।)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागों में लिपिकों के पद पर नियुक्त चेचक निरीक्षकों का वेतन निर्धारण

9—श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार को जानकारी है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लिपिकों के पद पर खपाये गये छटनी शुदा भूतपूर्व चेचक निरीक्षकों के वेतन निर्धारण का मामला अधिक दिनों से शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त विषय पर शासनादेश कब तक प्रसारित किये जायेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां। मामले में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

10—श्री शम्भूनाथ चौधरी— श्री सच्चिदानन्द गुप्त तथा श्री राम निहोर—

[5वें शुक्रवार के लिये स्थगित]।

11–12—श्री राम सागर—

[5वें शुक्रवार के लिये स्थगित]।

राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, लखनऊ के श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी, कम्पाउण्डर का देय वेतन

13—श्री राम सागर (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, लखनऊ के श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी, कम्पाउन्डर के वेतन जून, 1972 से सितम्बर, 1972 तक का अभी तक भुगतान नहीं किया गया ? वेतन रोकने का कारण क्या है तथा उक्त धन कब तक अदा किया जायगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

केवल 20 अगस्त, 1972 तक का ही भुगतान होना है। किस प्रकार का तथा कितना कितना अवकाश वेतन देय था, इसका परीक्षण करके देय अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है। भुगतान यथाशीघ्र हो जायगा।

बदायूं के सूखा पीड़ितों को सहायतार्थ दिया गया धन

14—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1972 म बदायूं जिले को सूखे से पीड़ित लोंगों की सहायतार्थ कितना धन दिया गया एवं बदायूं जिले में वह धन किस-किस कार्य पर खर्च हुआ ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

वर्ष 1972 नें बदायूं जिले के सूखे से पीड़ित लोगों को सहायतार्थ शासन द्वारा 1,00,000 रु0 छोटे किसानों को मुफ्त बीज वितरण के लिये तथा 1,53,000 रुपया टेस्ट वर्क चलाने के लिये स्वीकृत किया गया है।

उक्त आवंटन में से अब तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कादरचौक, दातागंज और देहगवां क्षेत्रों में 425 कुन्तल गेहूं का बीज वितरित किया जा चुका है तथा उझानों, उसावां और सहसवान क्षेत्रों में बीज के वितरण की कार्यवाही चल रही है।

जहां तक टेस्ट वर्क का सम्बन्ध है, गंगा-महावा बांध को मरम्मत तथा बदायूं-शेखपुर व सहसवान-सरसोला सड़कों पर मिट्टी का कार्य करने की योजना है। टेस्ट वर्क शीघ्र आरम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

बस्ती के सूखाग्रस्त ग्रामों में आपत्ति कालीन ऋण

15—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि बस्ती जिले बांसी तहसील में कुल कितने और कौन-कौन गांव सूखाग्रस्त हैं उसमें से किन-किन गांवों में आपत्ति कालीन कर्जा सन् 1972–73 में सरकार की ओर से दिया गया ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

बस्ती जिले की बांसी तहसील में सूखे से 459 ग्रामों में 50 से लेकर 60 प्रतिशत क्षति हुई। इन ग्रामों की सूची तथा इनमें से जिन ग्रामों में आपदा तकावी वितरित की गयी उनकी सूची विधान सभा सचिवालय में माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ रख दी गयी है।

16—श्री कल्याण सिंह—

(पुनर्विचार पर अस्वीकृत)

मुरादाबाद के हरिजनों को आवास हेतु दी गयी भूमि

17—श्री जितेन्द्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद की तहसील हसनपुर व सम्भल में गृह निर्माण हेतु हरिजनों को कितने ग्रामों में भूमि आवंटित की जा चुकी है और प्रत्येक ग्राम के अलग-अलग क्या संख्या है यदि नहीं, तो आवंटन की देरी का क्या कारण है तथा कब आवंटन कार्य पूर्ण हो जायगा ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मुरादाबाद जिले की तहसील हसनपुर व संभल में क्रमशः 99 तथा 90 ग्रामों में 1933 तथा 1119 हरिजनों को आवास हेतु भूमि आवंटित की गई है। ग्रामवार सूची अध्यक्ष महोदय के कक्ष में उपलब्ध† है शेष गांवों में आवंटन कार्य 15 अगस्त, 1973 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्नों के विषय में आपत्ति

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष जी, मुझे प्रश्नों के बारे में कुछ निवेदन करना है। मेरठ के तमाम वकीलों ने 12 दिसम्बर, 72 से वहां के सब कोर्ट्स का बायकाट कर रहा है और उसके कारण से वहां की कचेहरी का सारा काम बन्द हो गया है। मैंने इसका कारण जानने के लिये एक प्रश्न दिया था जो आज के एजेंडे पर 38 नं0 के प्रश्न के रूप में छपा है। तो पहले ही मुझे यह निवेदन करना है कि यह बहुत लोक महत्व का प्रश्न है आज तक बार में सैकड़ों साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ

†छापी नहीं गयी।

[श्री बलवीर सिंह]

जो अब हुआ है। तो कोई खास वजह हो सकती है। प्रश्न 33 का जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है। वह इस प्रकार है 'जी हां'। यह हड़ताल उच्च न्यायालय की एक बेंच पश्चिमी क्षेत्र के किसी जिले में स्थापित किये जाने के संबंध में की गयी थी। यह मामला पहले से ही शासन के विचाराधीन है इसी समय यहां पर विधि मंत्री भी मौजूद हैं। "पहले से विचाराधीन है" कहने वाली बात है।

श्रीमन्, जैसा मैंने कल भी कहा यह उत्तर प्रदेश के लिये एक गंभीर मामला है। लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है जिसके कारण एक अभियान पैदा हो रहा है और कल बंटवारे की मांग भी पैदा हो सकती है। मुझे यह भी पता चला है कि मेरठ से दूसरे स्थानों पर कोर्ट स हटायी जा रही है जैसे हापुड़ आदि में कोर्ट ले गये हैं। आप 600 किलोमीटर न आने की सुविधा नहीं दे रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी मुझे समय बता देंगे, 1 महीने के अन्दर, 20 दिन के अन्दर, वे इसमें कुछ भी निर्णय ले रहे हैं ? क्या वे हमें इसके बारे में अवगत करा देंगे कि क्या निर्णय वे लेने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

अब आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका है।

श्री बलवीर सिंह—

श्रीमन्, मंत्री जी मौजूद हैं। आप जरा सा इशारा कर दें, वे तुरन्त बता देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसका तो अर्थ यह है कि मैं सब के प्रश्नों को उठा दूं। अब एक ही तरीका है कि अगर आप इनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो नियम 49 में आप मुझे लिख कर दे दें। यह ही एक रास्ता हो सकता है।

वेतन आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में जानकारी

श्री नित्यानंद स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, कल मैंने आपको लिख कर दिया था जैसा कि आपको मालूम ही है कि यहां पर तीन बार घोषणा की गयी कि वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट 15 नवम्बर को, फिर 31 दिसम्बर को और अब 15 जनवरी को अवश्य दे देगा। कल से यहां सचिवालय में एक चर्चा सुनने को मिली है कि चूंकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में बैठा हुआ वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट विलम्ब से देगा, इसलिये यहां का वेतन आयोग भी 15 जनवरी को अपनी रिपोर्ट नहीं दे रहा है क्योंकि ये उसकी संस्तुतियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि उत्तर प्रदेश का वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट निश्चित रूप से 15 जनवरी को दे देगा, उसको सरकार ज्यों की त्यों स्वीकार कर लेगी और उस रिपोर्ट को रिट्रास्पैक्टिव इफेक्ट अर्थात् 15 जुलाई से ही स्वीकार कर लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

वित्त मंत्री जी की ओर से यह एनौन्समेन्ट हो चुका है कि वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट 15 जनवरी को दे देगा। क्योंकि सेंटर की पे-कमीशन की रिपोर्ट पोस्टपोन हो गयी है आप उसी आधार पर पोस्टपोन तो नहीं कर रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मैंने स्वयं पे कमीशन के अध्यक्ष से बातचीत की उन्होंने मुझसे कहा कि सब सदस्यों के हस्ताक्षर.....

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि आप सेन्टर पर तो डिपैन्ड नहीं करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ऐसा कोई प्रश्न मेरे सामने नहीं आया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, इनके वायदों का क्या है। पहले 15 नवम्बर डेट थी, उसके बाद 31 दिसम्बर हुई फिर 15 जनवरी आ रही है। उसके बाद भी यह कहते हैं कि इधर उधर हो सकता है..

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, जैसा कि मैंने कहा कि हमने पे-कमीशन के सम्मानित सदस्यों से आग्रह किया था पर उनके पास भी दुबारा तिबारा रिप्रेजेन्टेशन्स आ रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि पन्द्रह जनवरी तक सब सदस्यों के दस्तखत हो जायेंगे। दो एक दिन का हेर फेर हो सकता है–16 या 17 जनवरी तक रिपोर्ट आ सकती है।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि वेतन आयोग की रिपोर्ट का समय तो नहीं बढ़ायेंगे जैसा कि केन्द्र ने बढ़ा दिया है।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न जो उठाया गया जिसकी मैंने इजाजत दी है कि केन्द्र ने कह दिया कि देर होगी उसके आधार पर यहां भी पोस्टपोन तो नहीं होगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

नहीं होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सरकार उसे वैसे–वैसे स्वीकार करेगी।

श्री अध्यक्ष—

उसको मुझे पूछने की जरूरत नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप न पूछें हम पूछ लेते हैं।

श्री अध्यक्ष—

नहीं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नत्थी (घ) में क्रम-संख्या 11 पर है जिसमें लखनऊ में मेडिकल कालेज खोलने के लिये...

श्री अध्यक्ष—

आप क्या पूछते हैं ।

श्री सुरेंद्र विक्रम—

इतना इम्पार्टेंट क्वैश्चन बाद में आया है । 49 में आज्ञा द ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न जो चल रहा है, इसको हो जाने दीजिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं आया ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि वह आयोग का कार्यकाल और तो नहीं बढ़ायेंगे यद्यपि उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा विचार नहीं है । केन्द्र ने ड्राउट वगैरह दिखला कर तृतीय वेतन आयोग का समय बढ़ा दिया है । मैं निश्चत रूप से चार्ज लगाता हूं कि इन्होंन भी तय कर लिया है और यह 15 तारीख को नहीं लायेंगे । 12 दिसम्बर, 1972 को इन्हीं वित्त मन्त्री और मुख्य मन्त्री जी ने 21 दिसम्बर के लिये घोषणा की थी । आज 15 तारीख की बात कर रहे हैं । फिर कहते हैं एक दो दिन और भी लग सकते हैं । इनके एक दो दिन महीने भर के बराबर होते हैं । यह घोषणा करें कि 15 तारीख तक नहीं तो 17 तारीख तक रिपोर्ट अवश्य आ जायेगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जहां तक आयोग का प्रश्न है, उसको हम डिक्टेट नहीं कर सकते । उन्होंने वायदा किया है कि हर हालत में 20 जनवरी तक रिपोर्ट दे देंगे ।

श्री रामगोपाल संड—

अध्यक्ष जी, जब मैंने उनको बांधा कि 17 तारीख के लिये घोषणा कर दें एक दो दिन जोड़ कर तो अब वह 20 तारीख कह रहे हैं । यह बीस तारीख को भी नहीं लायेंग । एक दो या तीन दिन भी और ले लें तो भी 18 तारीख होती है । यह गलत बयानी कर रहे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

20 जनवरी डेड लाइन दी है ।

श्री नित्यानन्द गोस्वामी—

मैं एक बात जानना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर दिये गये बयान कोई महत्व रखते हैं या नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें । एक बात यह है कि एक एक इंस्टालमेंन्ट में आप सूचना दे रहे हैं । इसी से झगड़ा ज्यादा होता है । आपने 15 कह दिया कि हमको विश्वास है कि 15 को देंगे । अब आपने थोड़ा सा कह दिया कि सम्भव है एक दो रोज की देर हो जाय । वह क्षम्य है । उन्होंने कहा कि 17 तारीख के लिये कह दें । तब आप 20 पर आ गये । एक-एक इंच आप बढ़ रहे हैं । यह ठीक नहीं है ।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जैसे आप उत्सुक हैं कि रिपोर्ट जल्दी आ जाय वैसे ही हम भी उत्सुक हैं। उत्सुकता कई कारणों से है। हमारा बजट भी पेश होने वाला है। उसकी क्या प्रतिच्छाया बजट पर पड़ती है यह देखना है। दूसरे आल इंडिया फाइनेन्स कमीशन भी बैठा हुआ है। उसके सामने अपनी चीजों को रखना है। इसलिये हम भी उत्सुक हैं यद्यपि हमारी उत्सुकता हमारे लिय परेशानी का कारण होगी क्योंकि पे कमीशन करोड़ों का खर्चा बढ़ा देगा। लेकिन उन्हें कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। 31 तक दे देंगे तो उन्होंने कहा कि उम्मीद है। फिर उन्होंने कहा कि 31 तक पूरी नहीं हो रही है। लिख रहे हैं। हम समझते हैं 15 जनवरी तक जरूर कंम्पलीट कर देंगे। हम तो माननीय सदस्यों के रोब में दबे रहते हैं। हमने भी कह दिया 15 तक दे देंगे। अब उन्होंने कहा शायद दो तीन दिन की देर हो जाय। हमारा इरादा तो नहीं है कि देर करें। अब वह 17 तक देंगे या 20 तक, मैं कहता हूं कि वित्त मन्त्री जी ही कह दें कि जब वह दे देंगे तब पेश कर देंगे।

श्री विश्वनाथ कपूर---

यह स्पष्ट आश्वासन दें कि उसका कार्यकाल तो और नहीं बढ़ाया जायगा। 20 जनवरी के बाद समय तो और नहीं बढ़ाया जायगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

कमीशन का काम पूरा हो गया है। उसकी रिपोर्ट तुरन्त मिलनी चाहिये। हमारी चेष्टा है कि जल्दी से जल्दी दें। जब वह देंगे हम पेश कर देंगे।

श्री रामगोपाल सन्ड---

मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि सदन की भावना देखते हुए वह कमीशन के अध्यक्ष से आग्रह करेंगे कि वह 20 जनवरी तक रिपोर्ट जरूर दे दें, जिससे जो वादा किया गया है वह पूरा हो सके। क्या वह ऐसा कोई पत्र लिखेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

आपके आग्रह के साथ अपना आग्रह भी चेयरमैन को लिख देंगे।

रेणुकूट में श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के संबंध में वक्तव्य की मांग

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, आज के कार्य वृत्त में ऐसा मुझे मालूम हुआ है कि शायद राज नारायण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में वक्तव्य इस सदन में आज नहीं होगा। एक तार अभी हमारे नेता गुप्ता जी को राज नारायण जी का जेल से मिला है। उसमें लिखा है कि उनकी गिरफ्तारी जिलाधीश, मिर्जापुर के द्वारा गैर कानूनी ढंग से की गई है। उन्होंने लिखा है कि जिलाधीश मुख्य मन्त्री के नाक के बाल हैं। वह कहीं मुख्य मन्त्री जी की नाक का फोड़ा न बन जाय। सारा जिला उनसे तृस्त है। बंगला देश के सम्बन्ध में एक-एक रुपये के कूपन छपे थे। उन कूपनों की कितनी किताबें छपी हैं यह जांच कराई जाय। रेणुकूट में कमिश्नर के आदेश के बावजूद भी जिलाधीश ने दुकानें गिरवाई हैं। इसलिये क्यों नहीं जिलाधीश को वहां से हटाया जाय। श्रीमन्, यह सारी घटनायें हुई हैं। तो कूपन जो छापें हैं, पैसा वसूल हुआ है, वह भी इसमें जोड़ दिया जाय और अविलम्ब इस गिरफ्तारी के सम्बन्ध में बयान आना चाहिये। मुख्य मन्त्री जी अपना बयान देकर इस सदन को अश्वस्त करें कि राज नारायण जी जो मिर्जापुर जेल में रक्खे गये हैं, अबिलम्ब रिहा कर दिये जायें।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जायं। बात यह है कि मैंने यह कहा था कि आज वक्तव्य उसके ऊपर हो जावेगा। मेरे पास यह सूचना आई कि उसकी जानकारी पूरी देने के लिये 17 तारीख हो सकेगी। यह सरकार की ओर से प्रार्थना है। मैंने यह सोचकर कि सरकार को पूरी जानकारी देना है तो 17 तारीख हो जाय तो कोई बात नहीं है। ऐसा कर दिया है। आपने रिहा करने के बारे में प्रार्थना की है। तो मुख्य मन्त्री जी इस बारे में फैसला कर सकते हैं लेकिन जहां तक वक्तव्य का सवाल है मैंने 17 के लिये आज्ञा दे दी है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मुख्य मन्त्री जी, उनको जेल से छुड़वा दें और 17 तारीख को रिपोर्ट आ जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, आपने कृपा करके वक्तव्य के लिये तिथि निश्चित कर दी है और उसके बारे में मुझे सूचना भी मिली लेकिन शाम को दूसरी सूचना मिली और अब इसके लिये 17 तारीख कर दी है। कल शाम को मुझे जेल से इत्तला मिली है कि राज नारायण जी की दिल्ली में पार्टी मीटिंग आज होने वाली है। वह उसमें शरीक होना चाहते हैं। उन्होंने जमानत के लिये दरख्वास्त भी दी लेकिन कोई भी मैजिस्ट्रेट न मौजूद होने के कारण यह कार्य नहीं हो सका। यह मैंने इत्तला राज्य मन्त्री (गृह) को दी थी। उन्होंने कहा था कि वह अभी जिलाधीश को टेलीफोन करके सम्पर्क स्थापित करते हैं लेकिन मालूम नहीं हो सका कि कुछ हुआ या नहीं। तार से लगता है कि अभी तक छोड़े नहीं गये। आगे यह सूचना मिली कि बार फण्ड कलेक्ट करन के लिये एक रसीद बुक छपाई गयी, जिसका हिसाब डी0 एम0 ने नहीं रखा। यह चार्ज है। इसके बारे में शिवदास तिवारी ने प्रश्न भी किया था। पहले प्रश्न मन्जूर किया गया, बाद में लिखकर भेज दिया कि मामला समिति के विचाराधीन है। मालूम नहीं कि कोई समिति है कि नहीं। वह कहते हैं कि अकारण गिरफ्तार किया जाय। वह धार्मिक सभा में गये थे। उनको नहीं बताया गया कि 144 लगी है। ऐसी हालत में गिरफ्तारी अवैध हो जाती है। लेकिन मैजिस्ट्रेसी इस तरह से बहस कर रही है। राजनारायण जी वहां के निवासी हैं नहीं। ऐसा नहीं है कि शांति भंग उनके कारण हो जाय। वह तो चलते-फिरते आदमी हैं। आज कहीं, कल कहीं। ऐसी हालत में मैं मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि राजनारायण जी को वहां से रिहा कर दिया जाय ताकि उनके काम का हर्ज न हो। यह हमारी प्रार्थना है।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मेरी बहुत सी बातें जायसवाल जी से फोन पर भी होती रहती हैं। इस बात को कल बता दिया होता तो ठीक होता, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं कि राजनारायण जी अभी छूटे नहीं। आज मैं इसको देख लेता हूं। जो सम्भव होगा, करूंगा।

श्री अनन्तराम जायसाल---

कल मुख्य मन्त्री जी के दफ्तर से सूचना मिली कि वे कल ही दिल्ली जाने वाले हैं। शाम को सम्पक स्थापित करने की कोशिश की। मालूम हुआ कि मुख्य मन्त्री जी किसी मीटिंग में व्यस्त ह, इसलिये माननीय राज्य मन्त्री जी को कह दिया था। आज छुड़वा दें तो ज्यादा अच्छा हो। यहीं ऐलान कर दें।

श्री अध्यक्ष---

जाने के पहले वे सोच लेंगे।

मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

गन्ने की कीमत के सम्बन्ध में 9 तारीख को आपके कार्यालय में नोटिस दिया लेकिन अभी तक निर्णय नहीं मालूम हुआ कि कब तक लिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि मैंने यह चीज अभी देखी नहीं । कुछ मेरे पास परसों भी 3/4 आये थे । तीन और कल आ गये । उनको देख नहीं पाया । उसमें होगा, तो आज देख लूंगा ।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)---

यह कल या परसों का नहीं है । वह तो मेरे नाम से 9 तारीख को दे दिया गया था ।

श्री अध्यक्ष---

मैं आफटरनून में बता दूंगा या उपाध्यक्ष की मारफत सूचना आपके पास आ जायगी ।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972†

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

मैं, श्रीमन्, आपके माध्यम से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या बी-2-5201/दस-129/52, दिनांक 2 दिसम्बर, 1972 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972 को उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 6 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1973

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी---

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 359 पर)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास 2 कार्य स्थगन प्रस्ताव आये हैं । एक तो श्री नित्यानन्द स्वामी का प्रदेश में हजारों विद्युत अभियन्ताओं द्वारा अपनी मांगों के संबंध में अनशन के बारे म है । विद्युत के बारे में तो बहस हो ही चुकी है ।

---

†छापी नहीं गई ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

विद्युत के बारे में हुई नगर अभियन्ताओं के बारे में नहीं हुयी है। इसे आप नियम 51 में कर दें।

श्री अध्यक्ष--

मगर उसमें सब बातें आ चुकी हैं। नियम 51 में कैसे हो ?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

यह मसला अलग है। उनकी सेवा शर्तों में सुधार की बात है। वैसे ही प्रदेश में अन्धकार है। अगर वे भी बैठ जायेंगे तो फिर तो घोर अन्धकार हो जायेगा। हमारा तो इस बार एक भी प्रश्न स्वीकार नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी स्वीकृति नहीं दे रहा हूं।

दूसरा प्रस्ताव सर्व श्री रामविलास पाण्डेय, बंशीधर पाण्डेय व सुरेन्द्र विक्रम का विधान भवन में विधान सभा कक्ष के नीचे के पांच खम्भों में दरारें पड़ जाने से भवन को क्षति के विषय में है। आपको मालूम होगा कि एयर कंडीशनिंग का कार्य चल रहा है।

श्री रामबिलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, यही मैं भी कह रहा था। कुछ इन्जीनियरों का कहना है कि इस बिल्डिंग की इतनी ठुकाई हुई है जिसकी वजह से दरारें पड़ गयी हैं। मैं यह चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी एक वक्तव्य दे दें और इन्जीनियरों की राय ले लें। एक दफा आपको मालूम होगा कि लाइब्रेरी जल रही थी और हमने ही प्रश्न उठाया था। ऐसा न हो कि हम सब राम के आसरे हो जाएं और कोई शोक प्रस्ताव भी पास न हो सके।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी जांच कराने के लिये उचित व्यक्ति के पास भेज दूंगा। इस भवन की जिम्मेदारी मेरी भी है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

नीचे के खम्भों में दरारें आयी हैं। वह बहुत खतरनाक है। नीचे कोई ठुकाई नहीं हुयी है, ठुकाई ऊपर हुई है। फिर भी दरारें आयी हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कह दिया है कि इसकी जांच करा लेंगे।

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) विधेयक, 1972†

स्वास्थ्य मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) विधेयक, 1972 जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

---

†22 दिसम्बर, 1972 की कार्यवाही में छपा है।

श्रीमन्, जैसा कि विदित है कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) विधेयक, 1972 को लाने की आवश्यकता इसलिय पड़ी क्योंकि इस प्रदेश में कुछ गैर सरकारी मडिकल कालज खुलने की संभावना थी और कुछ खुले भी हैं जो कि इस प्रकार के व्याख्यान, प्रदशन, प्रयोगों के लिये समुचित अवसर प्रदान करने में समर्थ नहीं हो सकती है। ऐसी संस्थाओं का अनुरक्षण अथवा प्रबंध अथवा ऐसे प्रबंध का आयोजन धारा 3 के अधीन दन्डनीय होगा। श्रीमन्, इसी उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है जिससे कि इस प्रदेश में साधनहीन गैर सरकारी मेडिकल कालेज न खुल सकें। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसकी आवश्यकता और गंभीरता का अनुभव करत हुए इस विधेयक को पारित करेंग।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति को भेजा जाय जो अपना प्रतिवेदन 1 माह में दे दे।

मान्यवर, मैं एक ओर तो इस विधेयक का स्वागत करता हूं कि आप यह विधेयक लाये लेकिन दूसरी ओर कुछ तथ्य रखना चाहता हूं जो मेरी नोटिस में हैं जिनके अन्तर्गत ये महाविद्यालय या मेडीक्ल कालेज खोले गये। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उचित आश्वासन यहां पर दे दें कि उन विद्यार्थियों को जिनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है उनको दूसरे मेडिकल कालेज में भरती कर लिया जायगा तो शायद मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले लूं। मान्यवर, आप देखें कि इस कालेज के अध्यक्ष वाराणसी नगर के चुने हुए कांग्रेस के इंडीकेट ग्रुप के, शासक दल के एक व्यक्ति जिनका नाम प्रो० राजाराम शास्त्री है, प्रसीडेन्ट हैं। डा० एम० के0 मलिक बड़े सुयोग्य व्यक्ति हैं वह वाइस चांसलर बनाये गये हैं या प्रिंसिपल बनाये गये हैं। इस कालेज के अन्तर्गत 154 विद्यार्थी लिये गये। इनमें से प्रत्येक से 3 अक्तूबर, 1972 तक प्रत्यक बालक से 7 हजार रुपया डोनेशन और 9 हजार रु0 फीस यानी 16-16 हजार रुपया जमा किया गया जो कुल मिलाकर 27 लाख सात सौ पचास हजार होता है, यह उनके खाते में आ गया। इनमें से अनेक छात्रों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो इलाहाबाद के छात्र हैं। एक विद्यार्थी जिसने एम० एस० सी० में ईविंग क्रिश्चियन कालेज से बड़े अच्छे नम्बरों से पास किया, दुर्भाग्य से वह प्रि-मेडिकल टेस्ट में नहीं आ पाया, उसके अभिभावक ने भी 16 हजार रुपया 3 अक्तूबर, 1972 को जमा किया और दाखिल लिया।

सवाल उठता है कि एक सम्मानित एम० पी० अध्यक्ष हैं, वाराणसी में रहते हैं, वहां ही विद्यालय खोला गया। मुख्य मन्त्री जी भी वहीं रहते हैं, यहां मौजूद हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि प्रदेश के 154 होनहार छात्रों से जो लम्बा-चौड़ा ऐक्ट प्रसारित करके उनको भरती किया गया और बाकायदा 16-16 हजार रुपया फीस ली गयी....

श्री अध्यक्ष—

यानी 16 हजार रुपया जो "होनहार" छात्र हैं वह देगा ?

श्री रामगोपाल संड—

दिया उन्होंने श्रीमन्, प्रत्येक बालक ने। ये विद्यार्थी प्रदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में जैसे लखनऊ, आगरा, मेरठ, गोरखपुर में पढ़े हैं और इनकी उत्कट अभिलाषा थी कि डाक्टर बने और वहां चले गये। इन छात्रों को बुला भी लिया गया था। इन छात्रों ने पं० नेहरू के जन्म दिवस पर 14 नवम्बर, 1972 से जब यह कालेज विधिवत् खोला गया बनारस में तो वहां गये थे और वहां पर डा० चौधरी, डा० जे० के० सेन गुप्ता और अन्य लोग रख दिये गये थे और पढ़ाई चालू हो गयी थी। आज शासन चाहता है, कि इस बिल के अन्दर कुछ संशोधन आये हैं जो राज्य पक्ष से आये हैं इसलिये अवश्य स्वीकार होंगे, मेरा तो स्वीकार नहीं हो पायेगा। क्योंकि

[श्री रामगोपाल सण्ड]

श्री राज मंगल पांडेय और श्री रियासत हुसैन साहब के हैं । जहां उन्होंने वादा किया है कि इन छात्रों का जितना खर्चा हुआ है वह काटकर लौटाल दिया जायगा। अब कितना हुआ है तो 8 लाख रुपया तो बिल्डिंग पर खर्च कर दिया गया और 3,04,000 रुपया सामान खर्चा लगाया है। 2 लाख का दावा करते हैं एम० पी० राजराम शास्त्री, बनारस नगर के सम्नानित संसद सदस्य की 2 लाख रुपये की पुस्तकें आ गयी हैं। जो पैम्फलेट प्रबन्ध समिति की ओर से निकला है वह आप को दे दूंगा। तो यह 12-15 लाख एसा कहते हैं कि खर्चा हो गया। तो 27, 72 हजार रुपया जो अक्तूबर में लिया गया उसमें से 18 लाख खच कर दिया गया। तो इन विद्यार्थियों को जहां यह नुकसान होगा इन्हें रुपया वापस नहीं होगा, उनका अमूल्य समय भी बरबाद हुआ। उनको भरती हुए एक साल करीब हो गया जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातक हैं । तो मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि इन छात्रों को यह विशेष चीज पढ़ाने की इंडियन मेडिकल बोर्ड से केन्द्र के माध्यम से विशेष अनुमति प्राप्त करें। मैं पंडित जी से प्रार्थना करूंगा कि इनको वहां ट्रांसफर किया जाय अन्यथा जहां इन विद्यार्थियों का 16 हजार रुपये का नुकसान है वहां उनका भविष्य भी संकट में पड़ गया है। उनमें से अगर कोई अभिभावक सम्पन्न है और वह दान देना चाहता है चिकित्सा बोर्ड को या इलाहाबाद या लखनऊ मेडिकल कालेज को तो वह दे सकता है। जबतक केन्द्रीय सरकार से या केन्द्रीय मेडिकल बोर्ड से अनुमति न मिल जाय तब तक उस कालेज को न तोड़ा जाय ।

श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार से एक रूरल मेडिकल कालेज खोलने के लिये प्रचार हुआ बाराणसी के कुछ साधन सम्पन्न लोगों ने यह सोचते हुये कि यह मुख्य मन्त्री जी की पवित्र नगरी है, अगर वहां पर मेडिकल कालेज खुल गया तो जो केन्द्र से 1 करोड़ का अनुदान मिलने वाला है वह उसे मिल जायगा । जो उन्होंने सोसायटी रजिस्टर करवायी उसका स्वर्गीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द, जो इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे और जिनके प्रति हम सब बड़ा आदर रखते हैं, उनके नाम पर उस सोसायटी का नाम रखा और रवीन्द्रनाथ ठाकुर मेडिकल कालेज उसका नाम रखा और उसके अन्तर्गत यह मेडिकल कालेज खुला 14 नवम्बर को। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि राज्य स्वास्थ्य मंत्री जी को, मुख्य मन्त्री जी को या अन्य लोगों को उसकी सूचना नहीं थी। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि इन 154 विद्यार्थियों को जिनके अभिभावकों ने 27 लाख 72 हजार रुपये फीस के रूप में दिये, रसीद मौजूद है, मुख्य मन्त्री जी अन्य मेडिकल कालेजों में ट्रांसफर कर दें अन्यथा यह एक प्रवर समिति को भेजा जाय जिसमें सभी दलों के सदस्य हों और इन 154 छात्रों के भविष्य का क्या हो इस पर उसमें विचार हो और अभिभावकों का रुपया कैसे लोटाया जाय इस पवित्र भावना से विद्यार्थियों के हित में मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इसके बारे में कुछ कहें।

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, यह जो चिकित्सा बिल आज पेश हो रहा है और जिसमें संड जी ने अपना संशोधन पेश किया है मैं इसकी ताईद करता हूं और इसमें मुझे खासतौर से यह कहना है कि इस बिल के पेश करने में सरकार की नियत बड़ी खराब है मंत्री जी इसके बैकग्राउन्ड पर गौर करें कि यह चीज आयी क्यों ? मान्यवर, जैसा अभी संड जी ने बताया, रवीन्द्रनाथ मेडिकल कालेज के नाम से यह कालेज खोला गया। इसमें 27 लाख रुपया डोनेशन का आया। 154 विद्यार्थियों ने जो बड़े अच्छे कैरियर के विद्यार्थी हैं उसमें दाखिला लिया। यह कोई नयी चीज नहीं है। आप बिहार जाइये, बंगाल जाइये, सब जगह ऐसे कालेजेज खुले हुये हैं और हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने उनको इजाजत दी है, पैसा भी दिया है। वहां की स्टेट गवर्नमेन्ट्स भी देती हैं। फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि उत्तर प्रदेश के अन्दर एकदम यह बिल आ गया ? इसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऊपर बनारस शहर में कंट्रोवर्सी उठी और वहां के जो शक्तिशाली लोग हैं और पोलिटिकल पावर हाथ में रखने वाले लोग हैं उन्होंने यह चाहा कि इसके मैनेजमेंट में उनका इतना हाथ हो जाय कि यह कालेज उनके कंट्रोल में रहे। लेकिन जिन लोगों ने चढ़ाने की बात कही वे तैयार नहीं हुये। अब यह बिल राजनीतिक भावना के मातहत पेश किया गया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार छोटी छोटी बातों में पड़ कर अपना दखल देती है। आज सरकार के दखल देने की प्रवृत्ति इतनी अधिक हो गयी है कि दाखिले के लिये जो कम्पटीशन होते हैं वे नाम मात्र के रह गये हैं। ब्योरोक्रेसी इतनी हावी हो गयी है कि उन्हीं के लड़के या जो पोलिटिकल पावर में हैं उन्हीं के भाई भतीजे आदि मेडिकल कालिजों में दाखिला पाते हैं। अन्य अच्छी-अच्छी नौकरियों में भी इन्हीं आफिसरों के लड़के व भाई भतीजे आ पाते हैं। एक देहात का लड़का कितना ही होशियार क्यों न हो वह नहीं आ पाता। एक विभाग का डायरेक्टर दूसरे विभाग के लड़के को ले लेता है दूसरे विभाग के डायरेक्टर का लड़का अन्य विभाग के डायरेक्टर का ले लेता है, इसी तरह से दाखिले और नियुक्तियां चला करती ह। सिलेक्शन और कम्पटीशन तो नाम मात्र का रह गया है। जो पोलिटिकल पावर में ह या जिनके मोहरे ब्योरोक्रेसी में हैं वे ही कुछ बन पाते हैं। देहात का लड़का भले ही कितना ही इन्टेलीजेन्ट क्यों न हो रह जाता है। इस सेट अप में उनके लिये दरवाजा बिलकुल बन्द हो गया है।

फिर मान्यवर, डाक्टर बनने के बाद कोई भी डाक्टर गांव में जाना पसन्द नहीं करता। मेरे क्षेत्र में, अस्पताल में 7 साल से कोई लेडी डाक्टर नहीं है। डायरेक्टर ने 6 बार लेडी डाक्टर का ट्रान्सफर वहां के लिये किया मगर कोई जानें को तैयार नहीं हुई। इसी प्रकार डाक्टर भी नहीं जाना चाहते क्योंकि देहात में उनके लिये वह ऐश-आराम नहीं है। जिस डाक्टर का गांव में ट्रान्सफर होता है, वह किसी न किसी तरह कैन्सिल करा लेता है। इसके लिये बेहतर तरीका यही है कि जो भी 10—20 हजार रुपये खर्च करके मेडिकल प्रोफेसन की ट्रेनिंग सीखना चाहे उसे सीखने की उसको आजादी होनी चाहिये, उन पर कोई पाबन्दी नहीं लगाना चाहिये। मैं कहता हूं कि आप लखनऊ और बरेली की हवा में बैठ कर न सोचिए। आप सारी तलवार देहात के लड़कों के ऊपर ही चलाते ह। यह बिल जो आप लाये हैं इस पर जरा गम्भीरता से सोचिये। अगर आप को यह डर है कि वहां शिक्षा अच्छी नहीं होगी, रिजल्ट खराब रहेगा, तो उसका तो उपाय यह है कि आप प्रबन्ध आदि की जिम्मेदारी स्वयं लीजिये, खुद उसकी देख भाल कीजिये, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था आप कीजिये। वहां अच्छे एपेरेटस का प्रबन्ध कीजिये। उसकी परीक्षा को अन्य मेडिकल कालेज की परीक्षा से सम्बद्ध कर दीजिये। एग्जामिनेशन का वही तरीका रखिये जो अन्य मेडिकल कालिजों का है। अगर उनकी शिक्षा अच्छी होगी तो लड़के जरूर पास होंगें। नहीं होगी तो फेल हो जायेंगे। लेकिन इसके क्या मानी है कि आप उन को बन्द कर दें। मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस बिल को लाकर आप देहात के साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं। संविधान के अन्तर्गत हमको इस बात का अधिकार हासिल है कि हम जिस प्रकार से चाहें शिक्षा हासिल कर सकें। आप क्यों इस अधिकार का गला घोंट रहे हैं। अगर आप की यही नियत रही तो प्रजातंत्र का गला घुट जायगा। इससे आप एक ऐसी सोसाइटी पैदा कर देंगे जिससे और न किसी देहात के आदमी को सर्विस में जाने की गुंजाईश होगी और न किसी को बिजनेस में जाने की गुंजाईश होगी। अतः इस पर गम्भीरता से विचार होना आवश्यक है। मेरी समझ में नहीं आता है कि आप को क्या कठिनाई है कि आप इसे प्रवर समिति में नहीं भेजना चाहते। इन शब्दों के साथ मैं श्री सण्ड जी के संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन कता हूं।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इसके उद्देश्य और कारणों का सम्बन्ध है, उससे किसी का विरोध नहो हो सकता है। माननीय संड जी ने भी, जिन्होंने इसे प्रवर समिति में भेजने का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

प्रस्ताव रखा है, इस बात को स्वीकार किया कि यह मेडिकल शिक्षा इतनी टेक्निकल होती है इतनी गम्भीर होती है कि उसमें यदि अनाधिकृत कालेज खोल दिया जाएं तो यह उनके और जनता के हित में नहीं है। इसी चीज को दृष्टि में रखकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस विधेयक को लाये हैं। मैं आप के माध्यम से मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, 1916 में इंडियन मेडिसिन डिग्री ऐक्ट पास हुआ था और उसके बाद 1956 में इंडियन मेडिसिन कौंसिल पास किया गया था। उनके अन्तर्गत ही समस्त मेडिकल कालजों का प्राविधान किया गया है। इसको पावर दिया गया है कि यदि वह चाहें तो अपने-अपने स्टेट्स में ऐसी कंडीशंस लगा सकती हैं कि मेडिकल कालेज इसके अन्तर्गत चलें तो अधिकृत माने जाएंगे और इनके अन्तर्गत नहीं चलेंगे तो वे अनधिकृत माने जाएंगे। उनको जो अनधिकृत मानने की बात थी वह बिलकुल ठीक थी और इस शिक्षा की टेक्निकलटी को देखते हुए बिलकुल ही ठीक है। 1916 के इंडियन मेडिसिन डिग्री ऐक्ट के सेक्शन 3 में भी यह प्राविधान किया गया था कि यदि कोई अनधिकृत विद्यालय खोले तो उसके ऊपर 2 हजार रुपया जुर्माना हो सकता है और उसे सरकार बंद कर सकती है। इन दोनों ऐक्टों के अन्तर्गत ही मंत्री जी ने इसे लाने का प्रयास किया है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द कालेज जिसके बारे में संड जी चर्चा कर रहे थे, उसने अब तक कोई टेक्निकल गलती नहीं की है। उन्होंने सोसाइटी का फार्मेशन किया और और मेडिकल कालेज खोलने का सुप्रयास किया है। उक्त विद्यालय ने इंडियन मेडिसिन कौंसिल ऐक्ट के अन्तर्गत यू० पी० गवर्नमेंट और गोरखपुर युनिवर्सिटी को इस बात का प्रार्थना-पत्र दिया था कि हम लोगों को अधिकृत कर दिया जाए कि हम लोग इस मेडिकल विद्यालय को चलायें। स्थिति यह है कि वहां पर न तो विद्यार्थियों ने कोई अवैधानिक कार्य किया और न उसके संस्थापकों ने कोई अवैध कार्य किया था। जहां तक मेरी जानकारी है उक्त प्रार्थना-पत्र को गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अपनी स्वीकृत के साथ यू० पी० गवर्नमेंट को भेज दिया था कि यदि आप हमें आज्ञा दे तो इसे मान लिया जाए। यदि गवर्नमेंट समझती कि उनके पास पूरे साधन नहीं है, पूरी तैयारी नहीं है तो वह इसको कभी भी रेक्मेण्ड न करती। यदि कोई पूर्ण तैयारी और साज-सज्जा के साधन के विद्यालय खोले तो उस पर रोक लगाई जा सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह विधेयक लाया गया है जिससे उन पर रोक लगाई जा सकती है। किन्तु जो विद्यालय इस योग्य हैं और ठीक चल रहे हैं, तो जो सारे देश में व्यवस्था चल रही थी उसके अन्तर्गत उसे चलाने का प्रयास किया गया है और यदि जिन्होंने एक अच्छे उद्देश्य से इसे चलाया है, इस पर रोक लग गई तो इसका मतलब होगा कि उनका यह प्रयास अनजस्टीफाइड था।

इसमें एक संशोधन आया है, उस पर भी बाद में अभी विचार होगा। इसमें सरकार की तरफ से जो संशोधन आया है 1(ख) पर इसमें लिखा है "उपर्युक्त प्रकार से प्रविष्ट कोई विद्यार्थी जिसने उपर्युक्तानुसार अभिदान, दान या फीस का भुगतान किया हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक महीने के भीतर अपने द्वारा भुगतान की गई धनराशि की वापसी के लिये निदेशक से आवेदन कर सकेगा और निदेशक का यह समाधान हो जाने पर कि धनराशि का भुगतान उक्त प्रकार से हुआ था, उक्त प्रकार के भुगतान की गयी धनराशि को अथवा ऐसे अंश को जो खंड (क) में अभिदिष्ट के बाद बची धनराशि से अनुपाततः उसके लिए उपलब्ध हो, लौटा देगा।" इससे यह मालूम होता है कि सरकार को इन विद्यार्थियों से हमदर्दी है। लेकिन प्रश्न केवल यह नहीं है कि जो लोग फीस वगैरह दिये हैं उसे ऐक्ट पास होने के बाद एक महीने के अन्दर दे दें। प्रश्न उनके कैरियर का है। इस बात को देखते हुये कि सम्पूर्णानन्द सोसाइटी ने कोई अवैध काम नहीं किया बल्कि कानून के अन्तर्गत खोल कर आपको अधिकृत होने का प्रस्ताव भेजा है। अगर आप अधिकृत नहीं करना चाहते हैं तो आप को खुले और स्पष्ट रूप से एलान करना चाहिए वह विद्यार्थी जो इस समय पढ़ रहे हैं उनको आप अन्य मेडिकल कालेज में

स्वीकृत कर लेंगे। मैं यह चाहूंगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस बात को देखें और फिफ्थ प्लान में भी है रूरल मेडिकल कालेज खोलने के लिये, संयोग से बनारस में एक प्रयास हो गया है। अगर मैनेजमेंट के लोग तैयार हो जायं, आप टेबिल पर बैठ कर बात कर लें, वह आप को जगह दे दें, तो आप उस को फिफ्थ प्लान में रूरल मेडिकल कालेज डिक्लेअर कर दें। जहां तक इस ऐक्ट का सवाल है इसका मैं समर्थन करता हूं क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

संड जी ने भी कहा है कि अगर आश्वासन मिल जाय तो वह अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे। अध्यादेश और ऐक्ट में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई गलती है। यह सारे देश के हित में है कि अनधिकृत संस्थाओं द्वारा मेडिकल कालेज नहीं खोलना चाहिये। मैं आपके द्वारा स्वास्थ्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि इस प्रकार की घोषणा कर दें कि जो विद्यार्थी सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनका अन्य मेडिकल कालेज में प्रबन्ध करेंगे। दूसरे चूंकि वाराणसी में यह प्रयास किया गया है कि वहां पर एक मेडिकल कालेज की स्थापना करने का और चूंकि रूरल मेडिकल कालेज खोलने की फिफ्थ प्लान में भी योजना भी है ऐसी घोषणा कर दें कि बनारस में रूरल मेडिकल कालेज या तो गवर्नमेंट सेक्टर में या ज्वाइंट सेक्टर में, उसकी स्थापना कर देंगे। इन दो घोषणाओं के बाद सारे लोग स्वास्थ्य मन्त्री को धन्यवाद देंगे। जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, यह जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें यह व्यवस्था की जा रही है कि मेडिकल कालेज की शिक्षा केवल सरकार के नियन्त्रण में ही चले गैर सरकारी नियंत्रण में न चले। देश में आज से ही नहीं प्राचीन काल से शिक्षा कैसी होनी चाहिए किस प्रकार देनी चाहिए, इस पर बहुत चर्चाएं हैं। और जितने भी देश के महान् पुरुष हुए हैं, सब की यही धारणा रही है कि शिक्षा को राजनीति और नेताओं से अलग रखना चाहिये। आज भी आये दिन श्रीमन्, शिक्षा में व्यवधान दिखायी दे रहा है चाहे अध्यापकों का आन्दोलन हो या छात्रों की तोड़फोड़ हो। जब से आधुनिक सरकार पैदा हुई है तब से शिक्षा संस्थाएं करीब-करीब बन्द हैं। इसका सब से बड़ा कारण यह है कि यह सरकार शिक्षा संस्थाओं को अपने नियन्त्रण में चलाना चाहती है। अभी केन्द्रीय सरकार ने अलीगढ़ विश्वावद्यालय का एक प्रकार से सरकारीकरण कर दिया। सरकार का नजरिया यह हो गया है कि सरकार जो चाहेगी वही कार्य होगा, दूसरा नहीं होगा। एक तरफ इस देश ने जनतंत्र अपनाया। जनतंत्र में जनता की शक्ति बलवती होती है। जिस जनतंत्र में जनशक्ति का ह्रास हो जाय तो वहां जनतंत्र पनप नहीं सकता।

आज हिन्दुस्तान में कांग्रेस सरकार चारों तरफ से जनशक्ति पर प्रहार कर रही है और जनता की शक्ति चाहे आर्थिक मामलों में हो, व्यवसाय के मामलों में हो या शिक्षा के मामले में हो, क्षीण होती जा रही है। उसका ज्वलन्त उदाहरण मैं दे रहा हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में हर मंडल में एक मेडिकल कालेज है लेकिन फैजाबाद मण्डल ऐसा है जिसमें एक भी मेडिकल कालेज नहीं है। आप देखते होंगे कि मेडिकल कालेज की परीक्षाओं में अनेक लड़के आते हैं उसमें देहात के लड़के भी आते हैं लेकिन जो लड़के चुने जाते हैं उनका देहात से कोई नाता नहीं होता है। नतीजा यह होता है कि जो लड़के मेडिकल कालेज से निकलते हैं ये गांव में जाना नहीं चाहते। एक बार मैं डायरेक्टर के यहां गया। उन्होंने कहा कि आज कोई लड़का देहात में जाना नहीं चाहता और इसके लिये हम को प्रतिबन्ध लगाना होगा कि प्रथम तीन वर्ष की नियुक्ति गांव में ही हो। अंग्रेजी भाषा की करामात ऐसी है कि आज देहात का लड़का देहात में नहीं जाना चाहता। राजकीय अस्पताल देहातों के कई ऐसे हैं जहां डाक्टरों का अभाव है। बलिया में अस्पताल में हड्डी के विशेषज्ञ का अभाव है। यह भी तथ्य है कि डाक्टरों की कमी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

है और सरकार की क्षमता के बाहर है अधिक मेडिकल कालेज खोलना। तो कौन सा तरीका अपनाया जाय जिससे डाक्टरों का अभाव न हो? हमारा पड़ोसी बिहार है वहां अनेक प्राइवेट संस्थाएं चलती हैं। आप यह सुन कर आश्चर्य करेंगे कि जो सरकारी कम्पीटीशन हुए ह उनमें गैर सरकारी मेडिकल संस्थाओं के छात्र सरकारी मेडिकल कालेज के छात्रों के मुकाबले अधिक संख्या में उत्तीर्ण हुए हैं। यहां पर गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा मेडिकल शिक्षा देना उपयुक्त नहीं समझा जाता लेकिन बिहार का नमूना आप देखें। वहां पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट की शिक्षा राजकीय स्तर पर देते हैं। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट इंटर कालेज में फर्स्ट डिवीजन से कम के लड़के नहीं लिये जाते लेकिन आप देखें कि रिजल्ट उनका कोई अच्छा नहीं होता गैर सरकारी संस्थाओं के मुकाबले में जहां पर कि थर्ड डिवीजन वाले लड़के भी लिये जाते हैं। यह कहना कि साज सज्जा का अभाव होने के कारण ये अच्छी शिक्षा नहीं दे पायेंगे यह न्याय संगत नहीं मालूम होता। यह विधेयक दुर्भावनावश लाया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठते तो मैं उनको बतलाता कि जब यह रवीन्द्रनाथ टैगोर तक नाम से खोला जा रहा था तो

[इस समय 1 बजकर 1 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।]

व्यवधान पैदा किया गया। यदि उनकी मैनेजिंग कमेटी मंत्री जी की मर्जी के अनुसार नहीं बनी तो उस पर अध्यादेश कर दिया गया। इस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप करके आप चाहते हैं कि आप शिक्षण संस्थाओं पर हावी रहें तो यह उपयुक्त नहीं होगा। मैं कहता हूं कि आप प्राइवेट संस्थाओं को भी चलने दीजिये। जैसी परीक्षायें अन्य शिक्षण संस्थाओं में होती हैं वैसी ही पढ़ाई इन मेडिकल कालेजेज में होने दें और परीक्षायें लें। इससे अच्छे लड़के आपको मिल नहीं पायेंगे और फलस्वरूप उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। भिन्न-भिन्न जिलों से हजारों रुपया खर्च करके लड़के पढ़ने के लिये जाते हैं। हमारे जिले से भी गये हैं। कालेजों में पढ़ाई ही होगी तो उससे क्या लाभ होगा। हमारा संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है किन्तु यदि उसमें इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगे तुमको हम कोई ऐसी शिक्षण संस्था खोलने की इजाजत नहीं देंगे तो यह बात उचित नहीं होगी। मान लीजिये कि बनारस के लोगों से माननीय मुख्य मंत्री जी नाराज हैं या हो गये हों लेकिन शिक्षा संस्थाओं के खुलने में जनता और अभिभावकों का अवश्य सहयोग होना चाहिए। अन्य देशों में भी इसी प्रकार की प्रथा है। महात्मा गांधी की कल्पना यही थी कि शिक्षण संस्थाओं को शासन से मुक्त कर दिया जाना चाहिए और उसका प्रबन्ध शिक्षकों, अभिभावकों और छात्र समुदाय को दे देना चाहिये।

इस बिल के जरिये से प्रदेश के साथ अन्याय करने की सोच रहे हैं यह बड़ी लज्जा की बात है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह विधेयक प्रदेश के हित में नहीं है। इसको आप वापस ले लें। माननीय मन्त्री जी बनारस के लोगों से नाराज हैं उन को मना लीजिये। यह हमारी उनसे विनती है।

श्री लोक पति (जिला मिर्जापुर)--

श्रीमन्, जो विधेयक इस समय सदन में प्रस्तुत है, मैं उसका समर्थन करता हूं किन्तु उसके साथ ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वाराणसी में जो एक सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज की स्थापना हुई है उसके सम्बन्ध में पिछले साल से चर्चा चल रही है। काशी के जितने प्रमुख चिकित्सक थे वे इस भावना के थे कि ग्रामीण अंचल में एक मेडिकल कालेज की स्थापना की जाय। जैसा कि हमारे माननीय सदस्य शम्भूनाथ चौधरी जी ने कहा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी बनारस के लोगों से नाराज हैं तो कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी को वहां के लोगों से कोई न नाराजगी है और न उनका कोई आशीर्वाद ही है। वहां के चिकित्सकों की यह राय थी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

हमारी नाराजगी मुख्य मन्त्री जी पर क्यों हुई ....

श्री लोक पति--

आपने कहा कि मुख्य मंत्री जी की बनारस के लोगों से नाराजगी है तो उसी के जवाब में मैंने कहा कि न उनकी उन लोगों से नाराजगी है और न आशीर्वाद ही है। श्रीमन्, ग्रामीण अंचल में एक मेडिकल कालेज खोला जाय इस पर सरकार से विचार विनिमय हुआ। सम्भवतः सरकार के सामने सब से बड़ी कठिनाई यह है कि जो छात्र वहां रहें उनके लिये अस्पताल का सुविधा नहीं है। श्रीमन्, मैं आप के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में जब मेडिकल कालेज की स्थापना हुई तो सर सुन्दर लाल अस्पताल में इसकी व्यवस्था नहीं थी कि हर विद्यार्थी को उसके अन्दर शिक्षा दी जा सके, तो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय मेडिकल कालेज के छात्र राजा शिवप्रताप मेडिकल अस्पताल, रामकृष्ण मिशन और मेहता अस्पताल में जाकर अपना शिक्षा ग्रहण करते थे। यह मेडिकल कालेज ग्रामीण अंचल में खुला हुआ है और सम्भवतः सरकार की योजना के अनुसार वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्र में कुछ अस्पताल भी बनाने का बात चल रही है और एक चिकित्सालय सम्भवतः 10 बेड्स का होगा। उसका शिलान्यास मुख्य मन्त्री जी जनवरी में ही करने वाले हैं। सुना जाता है कि काशी नगर के अन्दर भी एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला जायगा जो संभवतः 300–400 बेड्स का होगा। मेंटल अस्पताल जिला जेल चिकित्सालय 100 बैड्स का काशी नरेश का जो अस्पताल रामनगर में है वहां खोला जायेगा।

आपके माध्यम से मैं स्वास्थ्य मंत्री जी की बातों का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह जो मेडिकल कालेज चल रहा है उसको चलने दें। अगर कोई अनियमितता का भय हो तो शासन उस को अपने हाथ में ले ले या उसको ज्वायंट मैनजमेंट में ले ले। जो अस्पताल इस समय बनारस में आजकल मौजूद हैं या पांचवी पंचवर्षीय योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक खुलने वाले हैं, उन अस्पतालों में उन विद्यार्थियों की शिक्षा के लिये उनका एलाटमेंट कर दिया जाय। यह मेडिकल कालेज जो एक ग्रामीण अंचल में खुला है वहां जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उन को वहां से हटाने की बात की गयी या उन की शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर उन्होंने जो पैसे जमा किये हैं उनको वापस करने की बात की गयी तो यह उन बालकों का कैरियर का प्रश्न है और जिन्होंने भी पैसा जमा किया है उन्होंने अपनी सम्पत्ति बेच कर ही जमा किया है, किसी ने अपना घर बेच कर पैसा जमा किया है। अगर सरकार उनका पैसा वापस भी करा दे तो उनकी सम्पत्ति बेच दी गयी है वह वापस नहीं मिलेगी। उससे उन बालकों को आशाओं पर तुषारापात होगा, उनके अभिभावकों की आशाओं पर तुषारापात होगा और सरकार की प्रतिष्ठा भी उनकी नजरों में, आसपास के क्षेत्रों में गिरेगी।

एक और अनुरोध है कि जो पी० एम० टी० की परीक्षा होती है, जैसाकि माननीय संड जी ने कहा--अगर उसका अनुपात देखा जाय तो ग्रामीण अंचलों के बालक अधिक तादाद में उसमें नहीं आ पाते। उनको वे सुविधायें नहीं होती हैं जो शहरों में रहने वालों के लिये होती हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लड़कों के लिये रिजर्वेशन रहते हुए भी शहरों के लड़कों ग्रामीण अंचल के नाम पर उन स्थानों पर चले जाते हैं। इसलिये आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि ग्रामीण अंचल में खुले हुए इस मेडिकल कालेज को वह मान्यता दे और बाद में उसे अपने अधिकार में कर लें और विद्यार्थियों के पढ़ने की व्यवस्था करे।

*श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो सदन के सामने आया है वह स्वागत करने के योग्य है। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य सरकार से अनुरोध कर रहे थे और माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन लाल कपूर]

मंत्री जी से भी निवेदन किया, मैं समझता हूं कि वह उपयुक्त नहीं है। जहां तक ग्रामीण अंचलों के लोगों की कठिनाइयों का प्रश्न है, जब पैसे के सहारे वे भी मेडिकल कालेज में ले लिये जायेंगे तो मैं नहीं समझता कि केवल ग्रामीण अंचल के लोग ही उसमें आयेंगे। यह कोई कारण नहीं है। मैं यह कहता हूं कि आपने बेसिक एजूकेशन का राष्ट्रीयकरण किया, दूसरी तरफ आप हाई स्कूल और इंटर की शिक्षा को भी अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं और इतना टेक्निकल उच्च शिक्षा जिसमें पर्याप्त पैसा सरकार का भी खर्च होता है, उसके लिये फिर आप यह कहें कि ऐसे कालजों को किसी समिति या किसी व्यक्तिगत लोगों के हाथों में दे दें, यह कोई उपयुक्त नहीं दिखता है। आज जिस समय एक ऐसी स्थिति हमारे यहां चल रही है तो ऐसे समय में प्राइवेट रूप से किस संस्था का चलाना मैं समझता कि उचित नहीं है। आज काशी में एक ऐसा मेडिकल कालेज खोल दिया गया है और इसी प्रकार कल दूसरी जगह खोल दिया जायेगा। आज स्थिति यह है कि जनता की ओर से जो हाई स्कूल या स्कूल खोले जाते हैं तो वे उसी समय चल पाते हैं जब सरकार अनुदान देती है। जब पब्लिक मनी से छोटे-छोटे स्कूल नहीं चल पाते हैं तो यह कालेज कैसे चल सकेगा। यह बिल्कुल नहीं चल सकता है। इसलिय मेरा कहना यह है कि यह जो बात रखी गई है कि इस संस्था को मान्यता दे दी जाय तो यह बहुत बुरा श्रीगणेश होगा। यह प्रदेश के हित में भी नहीं होगा। ऐसा विद्यालय जो सरकार के नियंत्रण में चलते हैं वे विश्वविद्यालय से ही संबंध रखते हुये चलते हैं। इस प्रकार से जो यह मेडिकल कालेज आज खुल रहा है, उसी प्रकार से अन्य कालेजेज खोले जायें तभी वहां अच्छे विद्यार्थियों के जाने की सम्भावना है।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि आजकल जो हमारे इंजीनियर्स शिक्षा लेकर कालेज से निकलते हैं उनके सर्विस नहीं मिलती है और वे सड़कों पर मारे-मारे फिरते हैं। अगर हमने मेडिकल कालेज के लिये छूट दे दी और कोई नियोजन नहीं किया कि कहां और किस बात की जरूरत है और कितने कालेज खुलने चाहिये, इसको ध्यान में नहीं रखा गया तो इंजीनियरों की तरह से डाक्टर भी मारे-मारे सड़कों पर फिरेंगे। यह बात तो समझ में आती है कि ग्रामीण जनता को चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिये। इसके लिये दो बातें हो सकती हैं। एक तो यह कि मेडिकल कालेज से जो छात्र पास हो कर निकले उसको कम से कम 3 साल के लिये देहात में जाना होगा अन्यथा उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। दूसरे हमारे चिकित्सा मंत्री माननीय धर्मदत्त वैद्य हैं। उनके नाम से ही मालूम होता है कि उनकी पूरी जानकारी भारतीय चिकित्सा पद्धति से होनी चाहिये। आप आयुर्वेदिक पद्धति को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं आज कल केवल दो आयुर्वेदिक कालेज सरकारी चल रहे हैं बाकी प्राइवेट चल रहे हैं। जो अवगुण इस चिकित्सालय में हैं वही इसमें भी है।

इसी प्रकार से होम्योपैथी चिकित्सा बहुत कम खर्चीली है। जितना ध्यान इस पाश्चात्य एलोपैथी चिकित्सा पर दिया जाता है यदि उतना ही ध्यान आयुर्वेदिक और होम्योपैथी चिकित्सा पर दिया जाय। कोई वजह नहीं है कि हमारे प्रदेश के गांव गांव चिकित्सालय न खुल जायें। आयुर्वेदिक और होम्योपैथी पद्धति के चिकित्सकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उनके वेतन मान में और एलोपैथी के डाक्टरों के वेतनमान में अन्तर रखा गया है। इस अन्तर को मिटाया जाना चाहिये। इस प्रकार से कोई समुचित व्यवस्था प्रदेश के अन्दर की जाय। आज जो यह बिल आया है कि इस संस्था को मान्यता दे दी जाय उसको कदापि न दिया जाय। बच्चों से 16/20 हजार रुपया ले लिया गया है, इसका ध्यान रखकर उनकी पढ़ाई की समुचित व्यवस्था की जाय और इनका ऐडमीशन पास के किसी मेडिकल कालेज में होना चाहिये। वैसे भी वाराणसी में एक मेडीकल कालेज पहले से ही चल रहा है। दूसरे यह शुरू कर दिया इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि यह प्रतिबन्ध सब के लिये लगना चाहिये क्योंकि यह रुक जायेगा तो और कालेज भी खुल जायंगे। यह प्रतिबन्ध ठीक है और लगना चाहिये।

*श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का विशेष आभारी हूं कि जिन्होंने यह विधेयक ला कर उत्तर प्रदेश में अनधिकृत रूप से चलाई जा रही शिक्षण संस्थाओं पर जो वस्टर्न मेडिसिन सिस्टम की शिक्षा दे रही हैं प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास किया है। कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत साधनों को बढ़ाने के लिये इस तरह की संस्थाओं को खोलने की कोशिश की है और उनके माध्यम से वह वेस्टर्न चिकित्सा पद्धति की शिक्षा विद्यार्थियों को दिलाना चाहते हैं, यह उन्होंने बहुत बड़ा कार्य प्रदेश के हित में किया है। यह ठीक है कि जो इस तरह की संस्थायें काम कर रही हैं उनका बन्द होना आवश्यक है लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं जैसे बनारस का सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज एक ऐसा कालेज है जो एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर चलाया गया है जो सार्वजनिक हित के सम्पादन हेतु खोला गया है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द का देश प्रेम और जिन्होंने इस देश को ऊंचा उठाने के लिये भारी योगदान दिया है और उनकी सेवाओं का केवल इस प्रदेश की जनता ही नहीं वरन् पूरे देश की जनता अभिवादन करती है। उनके नाम पर चलाया जा रहा वाराणसी का मेडिकल कालेज एक अपवाद स्वरूप हमारे आपके सामने है। कितने ही वहां ऐसे विद्यार्थी ह कि जिन्होंने किसी तरह से वहां ऐडमिशन पाया है और ऐडमिशन की फीस वगैरा भी वहां जमा की है। अपनी जगह पर यह सही है कि ऐसे विद्यार्थियों से ली गई फीस 15 दिन के अन्दर वापस कर दी जाय और यह भी सही है कि ऐसे विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर चलाये गये मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों को जिसके लिये कि वाराणसी और उसके आसपास के लोगों का सक्रिय योगदान रहा है देश के और उसके हित में उनके भाग्य पर छोड़ना उचित न होगा बल्कि वह एक असंगत बात होगी। इस प्राविधान में डायरेक्टर को बहुत से अधिकार दिये गये हैं और यह ठीक है कि इस विधेयक का सभी हृदय से स्वागत करते हैं वहां हम साथ में ही यह सुझाव भी देना चाहते हैं कि ऐसे विद्यार्थियों की उनकी किस्मत पर न छोड़कर उनको भी अन्य मेडिकल कालेजों में खपाने का प्रयत्न किया जाय। हमारा सुझाव यह है कि डाइरेक्टर को जो अधिकार दिया गया है साथ में उन्हें यह भी अधिकार दिया जाय कि वह इन विद्यार्थियों की जहां फीस की रकम वापस दिलायें वहीं उनके प्रदेश की अन्य मेडिकल कालेजों में पूरी कोशिश की जाय। इस प्रदेश में चल रहे जितने भी ये अन्य मेडिकल कालेज हैं उन सब में 50–50 और 60–60 की तादाद में उन्ह भर्ती कराया जाय और वहां के कायदे कानून के अन्दर इन विद्यार्थियों से वहां की फीस दिलायी जाय। इन पिछले 4–6 मास में उन को शिक्षा ऐसे डाक्टरों के द्वारा हुई है कि जिन की योग्यता और क्षमता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता और निश्चित ही उनकी क्षमता उन विद्यार्थियों से ज्यादा होगी जो पी0 एम0 टी0 की परीक्षा पास कर के उन मेडिकल कालेजेज में भर्ती किये गये हैं। ऐसी सूरत में डायरेक्टर आफ एजूकेशन को माध्यम बना कर ऐसे विद्यार्थियों के एडमिशन का प्रबन्ध कराया जाय। जो विद्यार्थी एक व्यक्ति विशेष के नाम पर वहां प्रवेश पा चुके हैं वे इसके लिये बहुत हद तक वैद्य जी की और इस सरकार की प्रशंसा करेंगे और सरकार का विशेष अभिवादन करेंगे।

दूसरे इन विद्यार्थियों ने किसी व्यक्ति विशेष की सिफारिश पर नहीं बल्कि जो वहां के डाक्टर हैं उनके द्वारा वह किसी न किसी प्रकार की विशेष परीक्षा के बाद ही वहां भर्ती किये गये हैं और उन्होंने उनके द्वारा वहां प्रवेश पाया है। एक ऐसी संस्था जिसने अपने बल पर विशेष व्यक्तियों से सहायता प्राप्त की है। मुझे मालूम हुआ है कि वहां पर 48 लाख रुपया इकट्ठा हुआ है। वहां के लोग इस बात को महसूस करते हैं कि वहां पर ऐसे कालेज की आवश्यकता है। बनारस की आबादी इतनी बढ़ गयी है, मरीज इतने बढ़ गये हैं कि इनको ध्यान में रख कर वहां पर जो इस समय कालेज हैं, वे अपर्याप्त हैं। वहां पर उनको उतनी शिक्षा नहीं मिल रही है जितनी वे चाहते हैं। इसलिये जहां पर इतने लोग लालायित हों शिक्षा पाने के और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजमंगल पाण्डेय]

जहां की आबादी को अपर्याप्त सुविधा प्राप्त हो, सरकार को चाहिए कि उन विद्यार्थियों के लिए कुछ न कुछ उपाय अवश्य ढूंढ़ें। डायरेक्टर आफ एजूकेशन इतना बड़ा अधिकारी है वह कोई न कोई परीक्षा करके उनको मेडिकल कालेज में एडमिशन कराने का प्रबन्ध करे। मैं यद्यपि इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं लेकिन सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इन विद्यार्थियों को भी अपनी किस्मत पर न छोड़ें बल्कि कोई समुचित उपाय ढूंढ़ें ताकि उनको भी शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिले और उत्तर प्रदेश की भी सेवा हो सके।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो हम लोगों के सामने प्रदेशीय सरकार ने प्रस्तुत किया है, इस बात पर आधारित है कि सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि कुछ निजी तरीके से कुछ मेडिकल कालेजेज खोले गये हैं। एक के बारे में मुझे कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है और वह है बनारस का मेडिकल कालेज। एक संस्था जिसका नाम "रवीन्द्रनाथ टैगोर सोसाइटी"। उसने इस मेडिकल कालेज को चलाने का फैसला किया और उसके बाद, अगर मेरी सूचना गलत हो तो सरकार उसे खंडित कर दे, मुख्य मंत्री जी का आशीर्वाद इस संस्था को प्राप्त था और संभवतः इसी आधार पर इन्हीं की प्रेरणा से स्व0 सम्पूर्णानन्द जी के नाम पर यह मेडिकल कालेज खोलने का इस सोसाइटी ने निश्चय किया। इससे यह बात सिद्ध होती है कि स्वयं सरकार के मुख्य मंत्री को इस मेडिकल कालेज के खोलने में कोई आपत्ति नहीं थी।

अब प्रश्न यह आता है कि यह आपत्ति कैसे हो गयी। मेडिकल कालेज पहले खुला, अब तक चलता रहा। तब सरकार को मालूम हुआ। इस प्रकार अगर इस प्रदेश में हो गया तो इसको रोकना आवश्यक हो गया और इसके लिए सरकार को अध्यादेश का सहारा लेना पड़ा। अगर आप इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को देखें तो आप पायेंगे कि इसमें लिखा है कि:

"इण्डियन मेडिकल डिग्रीज ऐक्ट, 1916 में यह व्यवस्था है कि ऐसी उपाधियां लाइसेन्स, प्रमाण-पत्र या अन्य लेख्य पत्र, जिनमें यह कथन हो या जिनसे यह प्रकट होता हो कि उनका धारक, प्रदानगृहीता अथवा प्राप्तकर्ता पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान के अनुसार चिकित्सा करने के लिए अर्ह हैं, सम्प्रदान, प्रदान या जारी करने का अधिकार केवल विश्वविद्यालयों अथवा तदर्थ निर्दिष्ट अन्य प्राधिकरणों को हुआ। यदि अन्य कोई व्यक्ति ऐसी उपाधि, डिप्लोमा, लाइसेन्स, प्रमाण-पत्र या अन्य लेख्य-पत्र, संप्रदान, प्रदान या जारी करता है अथवा जिन्हें संप्रदान, प्रदान या जारी करने के लिए प्राधिकृत होना प्रदर्शित करता है तो वह दण्ड का भागी होगा" जब उसकी यह व्यवस्था है कि दंड का भागी होना है तो इस अध्यादेश को लागू करने की क्या आवश्यकता थी। फिर उसको ऐक्ट के रूप में परिवर्तित करने की क्या आवश्यकता थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो मेडिकल कालेज चल रहा है उस पर हमारा प्रभाव पड़ता है या नहीं। फिर आप यह कहते हैं कि लोग ऐसा नहीं कर सकते, जिसमें इस प्रकार की पढ़ाई हो सके। तब यह विधयक ले आते। अगर लोग एसा कर लें तब इनको एतराज नहीं है। जब ऐसा करने में लोग सक्षम हैं और उन लोगों का खोले बगैर उनकी त्रुटियां थीं तो ले आते कि आपने ऐसा ऐसा नहीं किया इसलिये यह विद्यालय सरकार के अधिग्रहण के अन्तर्गत लाया जाता है। वह बात तो समझ में आती। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल उलटे अध्यादेश के माध्यम से इस कालेज के संचालन की प्रक्रिया को रोकने का प्रयास किया। श्रीमन्, जिन लोगों ने कालेज खोला है उसमें डा0 मलिक हैं। उनकी योग्यता के बारे में सम्भवतः सरकार को भी कुछ कहना नहीं होगा, जिसमें कोई संशय प्रकट कर सक और जिनकी योग्यता के बारे में कोई अंगुली उठा सके कि उनको पाश्चात्य मेडिकल साइंसेज की जानकारी नहीं है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

या दूसरे लोगों की अपेक्षा वे अक्षम व्यक्ति हैं। जो प्रिंसिपल या प्रोफेसर हैं उनकी और डा0 मलिक की योग्यता का तुलनात्मक विवेचन रक्खे होते तो यह बात समझने में समर्थता प्रतीत होती कि सरकारी कालेजेज के लोगों से और जो दूसरे कालेजेज में पढ़ा रहे हैं उन दोनों में कितना अन्तर है तो बात समझ में आ सकती थी। बावजूद इसके अगर आप व्यक्तिगत तरीके से लोगों को कालेज खोलने या कम्पनी को कालेज खोलने में, रजिस्टर्ड कालेज खोलने में बाधक होना चाहते हैं तो कारण बताना चाहिये।

एक तर्क यह दिया जाता है कि मेडिकल ग्रेजुएट ज्यादा हो जायेंगे। उनको नियन्त्रित रखना हमारे लिये आवश्यक है। हर जगह नियन्त्रण हो रहा है। मेडिकल कालेजेज के स्टुडेन्ट्स जो डिग्री या डिप्लोमा लेकर निकलेंगे उनके बारे में आप अधिक से अधिक यह प्रतिबन्ध लगा सकते थे कि हम इन लोगों को उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस से वंचित नहीं करेंगे। उनको सरकारी नौकरियों में वरीयता देंगे जो दूसरे कालेजेज से सम्बन्धित लोग हैं। यह भी कर दिया गया कि यह कालेज विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कालेजेज ही कर सकते थे। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कोई मेडिकल कालेज इस प्रकार का चल रहा है तो जिस प्रकार आयुर्वेदिक कालेजेज क्रिएट किये गये जिस प्रकार होमियोपैथिक कालेजेज के लिये दूसरी व्यवस्था की गई उस प्रकार इस मेडिकल कालेज को किसी यूनिवर्सिटी से चाहे वह बनारस, गोरखपुर या कानपुर हो, क्रिएट कराने का प्रबन्ध कर सकते थे। मैनेजमैन्ट से कह सकते थे कि विश्वविद्यालय से एफिलिएट करने की व्यवस्था कराइये। लेकिन ऐसा न करके उसकी जड़ ही समाप्त हो जाय इस प्रकार की व्यवस्था करने का उद्देश्य सरकार के विधेयक से जाहिर होता है और इतना ही नहीं आप दूसरा कारण क्या बताते हैं कि जो मेडिकल कालेजेज की भर्ती के लिये प्रि-मेडिकल टेस्ट्स होते हैं वे काम्बाइन्ड तरीके से होते हैं इसलिये वे व्यक्तिगत तरीके पर उतार लायेंगे। इसलिये बाधा हो जायगी। इसमें कहां दिक्कत है अगर आने वाले सत्र के लिये कोई दूसरा निर्देश भेज दें जिसके अन्तर्गत इम्तहान लेकर उनके दाखिले लें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन एक चलते हुए मेडिकल कालेज, उसको रोकने के लिये इस प्रकार की व्यवस्था करना हमारी समझ से मुनासिब नहीं है।

एक यह भी तर्क है कि प्रदेश की दूसरी जगह मेडिकल कालेज खोले जायेंगे, खोले जायेंगे तो बुरा क्या होगा। इसमें कौन-सी बात है कि मेडिकल कालेज न खुलें। यही न। मैं श्रीमन्, सरकार से अपनी जानकारी के सम्बन्ध में अथवा अपनी जानकारी को दुरुस्त करने के लिये यह जानना चाहता हूं कि क्या अन्य प्रदेशों में इस प्रकार के कालेजेज चल रहे हैं या नहीं। जो मेरी जानकारी है बिहार में कई कालेजेज इस प्रकार के चलाये जा रहे हैं और कोई वजह नहीं मालूम होती कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के कालेज चलाने पर क्यों प्रतिबन्ध लगाया जाय? जो त्रुटियां थीं अगर उनको दूर करने का प्रयास किया गया होता तो बात समझ में आती लेकिन ऐसा न करके सरकार ने उस भावना को खत्म कर दिया जिससे व्यक्तिगत तरीके से लोग कालेज खोल रहे हैं।

एक तर्क यह है कि बेसिक शिक्षा आपने ले ली, माध्यमिक शिक्षा लेने जा रहे हैं। ठीक है। मैं जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय तो सरकार के अधीन नहीं है। अगर उससे इसको एफीलिएट करवा दिया जाय तो इसमें राष्ट्रीयकरण कहां कूद आया। लेकिन सरकार की मंशा तो ऐसे खुलते हुए कालेजों को ध्वस्त कर देना है। सरकार कालेज खुलने के वक्त, कालेज के नाम पर संपत्ति अर्जित करने के समय, दाखिले के समय यह सब देखती लेकिन कालेज के छः महीने तक चलते रहने के समय में भी सरकार ऐसा नहीं कर सकी तो इस सरकार का कोई दायित्व नहीं रह जाता कि वह उसके बाद उन्हें रोक दे जब उन्होंने सारी प्रक्रिया कर ली तब इनकी समझ में आया कि यह तो हमसे भी अच्छे निकलने वाले है, इसको समाप्त कर दो ताकि दुनिया के देखने के लिए हो जायगा कि एकमात्र यही शिक्षा दे सकते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह या संस्था शिक्षा दे ही नहीं सकता। इसलिए इन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था करने का ड्रामा रचा। यही नहीं जब बड़े-बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त हो, पार्लियामेंट के सदस्य,

[श्री कल्पनाथ सिंह]

काशी विद्यापीठ के भूतपूर्व वाइस चान्सलर श्री राजाराम शास्त्री हैं, इन सारे लोगों की अकल पर पर्दा पड़ गया था और सिफ सरकार में ही अक्ल आयी कि ऐसा नहीं करने देना चाहिए। मैं इस राय का हूं कि मेहरबानी करके इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज जहां शिक्षाविद् लोगों से राय ली जाय। जो उस कालज के संचालक या अध्यक्ष हैं उनसे राय लें। प्रदश के दूसरे पाश्चात्य मेडिकल साइन्सेज में शिक्षा देने वाले लोग हैं उनसे राय ली जाय। उस राय के बाद यदि संशोधन करने की आवश्यकता हो तो संशोधन किया जाय, वापस करने की आवश्यकता हो तो वापस लिया जाय और समाप्त ही कर देने का अगर इरादा है तो समाप्त कर दिया जाय।

लेकिन जल्दी-जल्दी में इस प्रकार का ऐक्ट पास करके इस तरह का काम करना मैं समझता हूं हरगिज ही जन भावना के अनुकूल नहीं ह। जो लोग सरकार में बैठ कर यह काम करेंगे और जब वही बनारस जायंगे तो उनकी पीठ थपथपा देंगे कि तुम अच्छा काम कर रह हो। बाहर कुछ भाषा बोलेंगे और यहां कुछ और भाषा बोलेंगे। यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है। इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकारी मशीनरी के अलावा किन-किन लोगों से राय ली गयी है और किन तथ्यों पर यह विधेयक आधारित है, उसको भी सदन के सामने रखें कि कौन-कौन से शिक्षा शास्त्रियों ने जिनको पाश्चात्य साइंससेज में ज्ञान है, राय दी है कि इसको रोकना अनिवार्य है। उन लोगों की राय यहां आ जाय। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा ह। यह एक पेज का विधेयक है लेकिन यह विधेयक व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर कुठाराघात करता है कि जो लोग इस समाज में पीड़ित जनता को दवा दारू पहुंचाने के लिये अच्छ से अच्छे डाक्टर देने में एक कदम उठा सकते थे, ऐसा न कर सके। उनका इससे मार्ग अवरुद्ध होता है। इतना ही नहीं जिन विद्यार्थियों के बारे में बात कही जाती है, वह मेरी सूचना के अनुसार नैपाल, केरल और आन्ध्र के विद्यार्थी हैं। प्रदेश के बाहर के विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं और उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। इससे वहां के विद्यार्थियों की भावना को भी ठेस पहुंचेगी। मैनेजर सिंह जी कुछ हाथ उठा रहे हैं। वह खड़े होकर कह दें तो उनका भी जवाब दे दूं। मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग इस भावना के शिकार हैं वह पहले थे या अब हैं। यह बात साफ होना चाहिये। मैं किसी की नियत पर सुभह नहीं करता हूं लेकिन मैनेजर सिंह जी इशारेबाजी कर रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं करना चाहता हूं। जनता कह रही है और पूछ रही है कि सरकार मेडिकल कालेज खुलवा रही है तो बन्द क्यों करवा रही है। वह ऐसा कह रहे हैं और वही इस सरकार को इसका फल देंगे। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि विद्यार्थियों के मामले में सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

मैंने बहुत तफसील में इस बिल को पढ़ा है। एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश में मेडिकल कालेज खोलने का बड़ा दौर था। मैं भी राज्य मंत्री जी के साथ काउन्सिल का सदस्य था और मैं भी उनके साथ था। कभी मेरठ से और कभी कानपुर से मेडिकल कालेज खोलने की डिमांड आती थी। यह इसलिये आती थी कि सूबा बहुत बड़ा है और गरीबी के कारण रोगियों की संख्या ज्यादा है। तो उनकी दवा दारू करने का अच्छे ढंग से मौका मिलना चाहिये। मेडिकल कालेज खोल देंगे तो अच्छा ही है लेकिन सब से बड़ी बात यह है कि जो खोले जायं उनकी व्यवस्था भी सुन्दर होना चाहिये। ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिये कि मेडिकल कालेज ऐसे हैं कि उनसे अस्पताल अच्छे हैं। जिस महापुरुष के बारे में कहा जा रहा है उनका मैं भी विद्यार्थी रहा हूं। राजाराम जी भी उनके विद्यार्थी रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी के सुपुत्र जो कह रहे थे, तो उनके पिता भी महापुरुष थे शिष्य रह चुके हैं। कितनी बुरी बात होगी कि जो लोग ऊंचे दर्जे पर रहे हैं उनका नाम जब किसी जन सेवा में आये तो हम मुकरें। यह मेरे लिये तकलीफदेह बात होगी। जिस तरह से हम मेडिकल कालेज के ऊपर

अभी कितने ही माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, उस डिस्कशन से मालूम हुआ कि वह अभी शैशवकाल में है। मैं किदवई जी को बता दूं कि शैशवकाल माने बचपन। हमारे कई महापुरुषों का नाम भी उसमें जोड़ कर उसको अच्छी शक्ल में नहीं दिखा पाये। अभी से इफ्तदाई इश्क में झोंके लग रहे हैं, तो बड़ी विडम्बना होगी। मैंने बिल को बड़ी गम्भीरता से अध्ययन किया ताकि मैं बिल के अभिप्राय को समझ सकूं। सूबे में बड़े-बड़े शहर हैं और कबाल टाउन्स कहे जाते हैं, जैसे मेरठ, कानपुर, आगरा, वाराणसी। लेकिन वाराणसी तो त्रैलोक से भी अलग है। आप अपनी पालिसी सबसे अधिक केन्द्रीभूत करना चाहते हैं तो उसमें मैं क्या कहूं। स्वर्गीय श्री सम्पूर्णानन्द जी का नाम उसमें जुड़ा है। कोआपरेटिव सोसाइटी बना कर उसको एक ऐसी जगह पर ग्रामीण क्षेत्र में रखते, जहां उसके पनपने की संभावना होती। मंत्री जी चाहते हैं कि उसमें थोड़ा प्रतिबन्ध होना चाहिये। एक महापुरुष का नाम उसमें जोड़ा है, एक ऐसी नगरी का नाम उसमें जुड़ा है, जहां से वर्तमान कालीन मुख्य मंत्री जी उससे संबंधित और इस पर विवाद भी छिड़ गया है। शाहजादे साहब कह रहे थे कि छात्र जमीन आदि बेच कर 15–16 हजार रुपये लगा दिये उन्होंने जायदाद बेंची है। अगर वापस कर दिया जाय तो जायदाद कहां मिलेगी।

काशी राजनीति का गढ़ रहा है। मेरे सभी अध्यापक, श्री प्रकाश जी, आचार्य नरेन्द्र देव सम्पूर्णानन्द जी, जिनकी ख्याति अपने ही देश और प्रदेश में ही नहीं, अपितु संसार में है, उनके नाम की कोई संस्था चलाई जाय तो कितना महत्व का उचित काम होगा। मैं समझता हूं कि शायद श्री वैद्य जी भलीभांति जानते होंगे ।

बड़े-बड़े सिद्वस्त, मेडिकल-मेन और डाक्टरों की सलाह से यह सुकार्य शुरू किया गया है। निहायत अच्छा प्रयास है। भाई राजाराम जी में और मेरे में 1/2 वर्ष का ही फर्क रहा है। जो काशी के कुलपति हैं, उनके हाथ में ऐसी संस्था दी जाय और जिसमें मुख्य मंत्री जी का वरदहस्त रहे, कितनी अच्छी बात है ऐसा होना भी चाहिये। उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त रहना चाहिये। मैं इतना संकुचित भाव वाला व्यक्ति नहीं हूं कि अपने मुख्य मंत्री को न समझूं। उनकी खूबियों को भी जानता हूं और साथ ही साथ इन्सान की हैसियत से खामियों को भी जानता हूं। अगर खूबियां ज्यादा हैं तो खामियां दरगुजर की जा सकती हैं। उनका आशीर्वाद है और बराबर रहेगा। मैं भाई कल्पनाथ सिंह से निवेदन करना चाहता हूं कि देखें आजकल Stalien आदि मूर्तियों की हकीकत क्या हो रही है और उनकी क्या दुर्दशा की जा रही है। अपने काल में उन लोगों ने क्या-क्या चमत्कार दिखाये थे। हमारे वैद्य जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। राजनीति में शायद हमसे कुछ मुकद्दम हैं। मैं अपने को तो मुकद्दम नहीं कहूंगा, लेकिन यह कहूंगा कि वे हमारे बराबर के काम करने वाले सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं और यही कहना मुनासिब भी रहेगा। भगवान की कृपा से मेडिकल डिपार्टमेंट उनको मिला। अगर यह डिपार्टमेंट मुझे दे दिया जाता तो शायद मैं श्रीगणेश में ही नाकामयाब हो जाता। उनका तो अपना अनुभव भी है चाहे भारतीय चिकित्सा पद्धति का ही हो और चाहे किसी अन्य पद्धति का हो। दुर्भाग्य है अपने देश का ।

होम्योपैथी के सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वयं लोग उसको पनपने नहीं देना चाहते हैं और कहते हैं कि वह सक्षम नहीं है। साथ ही साथ आयुर्वेदिक पद्धति है। मैं वैद्य जी से कहना चाहूंगा कि कहीं देहाती क्षेत्र में इस प्रकार का कालेज हो चाहे आयुर्वेदिक ढंग का ही हो। अगर एलोपैथी और दूसरों की तुलना की जाएगी तो जमीन आसमान का फर्क होगा। कितना खर्चीला है वह ? सिवाए चीड़ फाड़ के और क्या है वहां। मैं भी चीरा जाने वाला था, मगर भगवान की कृपा हुई अभी बचा हूं, अगर आयुर्वेदिक पद्धति अपनायी जाए तो बड़ी वेलकम होगी और हम सब उसका स्वागत करेंगे। अच्छा हुआ देर आयद दुरुस्त आयद जो प्रतिबन्ध वाली बिल पेश है, यह शिकायत की जाती है कि साहब इतने दिन तक आप देखते रहे। हमारे भाई तथा हम सब कहते हैं कि सुबह का भूला हुआ इन्सान शाम को अपने बसेरे पर जहां वह अपना रैन बसेरा करता है पहुंच जाए तो कोई चिन्ता की बात नहीं होनी चाहिए। न तो आप बेगाने हैं और न वे बेगाने हैं। सभी माननीय

[श्री राम कुमार शास्त्री]

सदस्य एक ही परिवार के सदस्य हैं। गम्भीरता के साथ सोचने की बात है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोग अपना नाम कमाने के लिए यह करते हैं। ऐसा न हो कि हम एक ऐसी मंजिल पर पहुंच जाएं जहां पहुंचने पर हम पछताते रहें। वह कालेज है जो जुड़ा हुआ है स्वर्गीय सम्पूर्णानन्द जी के नाम से ।

हमारे भाई रामगोपाल सण्ड जी ने विवेचना करने के लिए प्रस्ताव दिया है। उनका कहना है कि जो विचार विनिमय यहां हो रहा है वह काफी नहीं है। मैं तो जो प्रतिबन्ध आपका है उसी को लेकर चलता हूं। मुझे तो सिलेक्ट कमेटी का भी 30 40 वर्ष का तजुर्बा है। वहां भी लोग दिल को ढाढ़स दे देते हैं। यहां पर तो बड़ी व्यापकता के साथ विचार हो सकता है। बड़ी व्यापकता के साथ विचार किया गया है यानी तफसील में जाकर विचार हुआ है। हमारे मित्र बड़े होशियार पार्लियामेंटेरियन हैं। मैं तो उनका बड़ा आदर और लिहाज करता हूं। उन्होंने कुछ दया तो उधर दिखायी है और इसका समर्थन किया है । कभी कभी एक्सेप्शन अपवाद रूप देना जहरीला काम कर देता है। कर दीजिए इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं। लड़के जो आए हैं अपने अभिभावकों को बुरी दशा में डाल कर आए हैं---इन गुड फेथ में हैं। इन गुड-फेथ आये थे कि हम पढ़-लिख करके अपना भला कर सकेंगे और प्रदेश के लोग जो मरीज होंगे उनकी सेवा करेंगे।

मैं अक्षरश: इस बिल का समर्थन करता हूं। इसलिए नहीं इस डर के मारे नहीं कि उस महापुरुष को आप जानते हैं जिनको राजनीतिक बहुत सी चोटें लग चुकी मैं तो कोई अगर यह समझे कि कुम्भ के मेले से गुजरें और सीधे-सीधे निकल जायं, धक्के न लगें तो असम्भव है। धक्के तो लगते हैं और तब जाकर त्रिवेणी में स्नान करते हैं। जब डुबकी लगायी तो परम-पद प्राप्त हो जाता है। उनकी साधारण देन नहीं है। बाबू सम्पूर्णानन्द जी चाहे यहां का भारतीय दर्शन हो या पाश्चात्य दर्शन हो, वह सब में पारंगत थे। इतिहास, भाषा और जितने भी उनके लेख और पुस्तकें हैं उनको भी आप पढ़ चुके होंगे। तो 10-20 लाख क्या इसमें तो करोड़ों रुपया खर्च करना चाहिए और लगाना चाहिए और उचित स्थान पर, उचित समय पर, समय को देख-दाख कर काम करना चाहिए। सेंटीमेंट में आकर कि चूंकि विरोध करते हैं तो हर बात का विरोध करेंगे। ऐसा नहीं है। कभी आप विरोध करते हैं मैं भी करता हूं। आप मुआफिकत करते मैं भी करता रहा हूं। इसमें कोई राजनीति की बात चलने वाली नहीं है। यह हो सकता है कि व्यक्तिगत कोई प्रतिस्पर्धा हो। मैं आप की तरफ से अपनी तरफ वकालत करना चाहता हूं बावजूद इसके कि मुझे पैनल कोड क्रिमिनल प्रोसीजर और एवीडेंस ऐक्ट का मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है--ऐसा नाखवांदा वकील आपके सामने है जो हृदय की भावना को कहना चाहता हूं। तो यदि कोई संस्था बनती है जिससे उनका नाम जुड़े तो वह बहुत ही दमदार संस्था होनी चाहिए। यह बिल आपके सामने है, मौके से आया है और खुदरी ढंग का यह मेडिकल कालेज नहीं बनाने जा रहे। मैं इन चन्द शब्दों के साथ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी का समर्थन तथा स्वास्थ्य मंत्री जी का करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय रामगोपाल संड।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मुझे भी बोलने दिया जाय बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका ही नियम है, दो बजे समाप्त होना है, कैसे होगा?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हमारे दल के भी विचार आ जायं।

श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

हम को भी मौका दें, बनारस का मामला है। दो-तीन मिनट दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं देना भी चाहूं तो उतना समय नहीं है । आप संक्षेप में कहें।

*श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, बड़ी कृपा हुई कि आपने बोलने का मौका दिया। वाराणसी में सम्पूर्णानन्द रूरल मेडिकल कालेज वजूद में आ गया है। उसी को बन्द करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। अगर इसके बनने को रोकना चाहता यह शासन तो उसके लिये प्राविधान यह है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था कोई ऐसा डिप्लोमा, डिग्री, लाइसेंस या सार्टिफिकेट नहीं दे सकता है जिसके तहत पश्चिमी चिकित्सा की प्रैक्टिस की जा सके। यह इसमें मोटे तौर से व्यवस्था थी। और अगर इस नियम को तोड़ कर, इस प्राविधान को तोड़ कर कोई व्यक्ति या संस्था ऐसा कालेज चलाती है और यह सार्टिफिकेट, लाइसेंस में जिनका जिक्र आया है देती है या उनको प्राप्त करने वाले ग्रहण करने वाले लोग दोनों दंड के भागी हैं उसी के तहत। तो जब यह कालेज बन रहा था तो उसी वक्त उसको रोक देना चाहिए था। यह पहले से व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। और यह कब से बन रहा था? यह जनवरी में वाराणसी में ही एक रवीन्द्रनाथ मेडिकल कालेज सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो गया। उसी सोसाइटी ने सम्पूर्णानन्द रूरल मेडिकल कालेज की स्थापना की है 3 अक्टूबर को। वहां के विद्यार्थियों का चयन हो गया और उन्होंने बाकायदा पढ़ाई शुरू कर दी, होस्टल में रहना शुरू कर दिया, और अब बताते हैं कि 154 विद्यार्थी इस वक्त वहां तालीम हासिल कर रहे हैं। उन 154 लड़कों की तालीम रोकने के लिये यह विधेयक है। हिन्दुस्तान में बड़े लोगों ने यह फैसला कर लिया है कि वह तालीम को सीमित करेंगे जैसा कि इस बिल से भी साफ जाहिर है। जहां तक इस सरकार का सवाल है उसने इसमें कारण क्या बताया है। उनका कहना है कि यह शिक्षा बहुत महंगी होती है, इसके व्याख्यान, प्रदर्शन और प्रयोगों पर अत्यधिक व्यय होता है जिसको कोई भी प्राइवेट संस्था या व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिये यह जिम्मेदारी उनको नहीं दी जा सकती। दूसरी चीज यह कही गयी है कि अगर लड़के तालीम हासिल भी कर लेते हैं तो इंडियन मेडिकल डिग्रीज ऐक्ट के मुताबिक उनको डिग्री नहीं मिल पायेगी इसलिये विद्यार्थियों का नुकसान होगा। जहां तक पहली बात है, मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में शिक्षा को देखा जाय तो पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्खिन तक जितनी भी शिक्षा बढ़ी है वह सरकारी प्रयास से कम और प्राइवेट प्रयास से ज्यादा बढ़ी है।

महामना मालवीय जी ने खाली यह फैसला लिया था कि हम इस तरह की यहां एक संस्था स्थापित करेंगे और उनके निजी प्रयास से इतना बड़ा विश्वविद्यालय, जिसकी तुलना दुनिया के इने गिने विश्वविद्यालयों में हो सकती है, इस अवस्था में आया। इसलिए मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि इसमें कोई तर्क नहीं है कि प्राइवेट प्रयास से अच्छे कालेज कायम नहीं किये जा सकते। रह गया बच्चों का सवाल, तो आप ऐसा कर सकते थे कि इसको किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर देते। सरकार यह आसानी से कर सकती थी। सीतापुर का नेत्र चिकित्सालय जो प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर है बल्कि दुनियां भर में मशहूर हो गया है, अकेले डाक्टर महेशचन्द्र मेहरा के प्रयास से स्थापित हो गया और वहां पर नेत्र चिकित्सा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

का एक कोर्स खोला गया और उस कोर्स को कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर के उसको मान्यता प्रदान की गयी । तो अगर आपकी इच्छा होती तो जो पहले से कानून मौजूद था उसमें व्यवस्था थी कि इस कालेज को भी किसी विश्वविद्यालय से एफिलियेट कर देते और इन बच्चों का नुकसान न होता। रहा यह कि इसमें पैसा बहुत खर्च होता है, तो यह सरकार काहे के लिये है। लेकिन यह हुआ नहीं बल्कि उसको बन्द करने का फैसला ले लिया। जब कि वह जन्म ही ले रहा था उसका गला घोंट दिया। अब भी आप इस ऐक्ट को वापस लेकर उनकी मदद करें। क्यों मदद करें। करीब करीब 14–15 हजार लड़के हर साल प्री-मेडिकल टेस्ट में बैठते हैं। लेकिन हमारे यहां जो जगहें ह वह केवल 700 या 750 लड़कों के लिय हैं शेष 15–20 हजार लड़के जो बैठते हैं उनके लिये कोई जगह नहीं रहती । यह बात नहीं है कि वे लड़के अयोग्य होते हैं, बल्कि जगह की कमी की वजह से वे नहीं लिये जाते हैं। सरकारी नौकरियों में भी आप जानते हैं कि कितने लोग जा पाते ह। वकालत में भी कुछ ही लोग खप पाते हैं। यही एक पेशा ऐसा रह जाता है कि लड़के शिक्षा प्राप्त कर अपनी एफर्ट्स से जीविकोपार्जन कर सकते हैं। अब यह भी दरवाजा आप बन्द कर रहे हैं। आप को तो चाहिये था कि इसे और प्रोत्साहन देते। जिले में मेडिकल कालिज खोलते लेकिन श्रीमन, सरकार तो दीवालिया हो गयी है, फजूलखर्ची के कारण इनका बजट समाप्त हो गया हैं। अच्छ कामों के लिये इनके पास पैसा ही नहीं है। इस प्रदेश की सरकार ही नहीं, बल्कि देश की सरकार भी दीवालिया हो गयी है। जब आप सरकारी प्रयास से मेडिकल कालिजों की संख्या नहीं बढ़ा सकते तो प्राइवेट लोगों को खोलने दीजिये, आप उनके मार्ग को अवरुद्ध क्यों कर रहे है। उनके शैशवकाल में गला घोटने के लिये सरकार यह बिल लायी है। इस बिल से आप उन तमाम बच्चों का अहित करने जा रहे जो मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करना चाहते है। जन विरोधी है वह आपका कानून । इस काले कानून को आप कृपया वापस लें और जितनी सुविधायें आप इन कालिजों को बनाने में दे सकते हैं वह दें। जब आप ऐसा करेंगे तभी प्रदेश के ऊपर आपका अहसान होगा और प्रदेश का विकास एवं हित होगा।

*श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी—

अभी माननीय जायसवाल जी ने अपने काफी विचार इस बिल के संबंध में व्यक्त किये हैं। आप जानत हैं कि किस तरह से बनारस के लोगों ने काफी कोशिश करके इसको आर्गेनाइज किया है। इसी तरह के 3 कालिज बिहार में चल रहे हैं और एक एक कालिज हर साल 150 डाक्टर निकाल रहा है । इनका अच्छा प्रबन्ध व शिक्षा देखकर एक कालिज को वहां की सरकार ने रिकगनाइज तक कर दिया हैं । मैसूर में भी इस तरह के कालिज हैं। और प्रदेशों में भी ह। तो यहां केलिये ही क्यों रुकावट डाली जा रही है । आपने यहां के लिये आर्डिनस ला दिया मैंने । तो उन लोगों स कहा था कि आपन राजाराम शास्त्री जी को प्रेसीडेंट बना दिया, अगर किसी तगड़े आदमी को बनाया होता तो जो सरकार में हल्ला-गुल्ला मचा सकता, तो यह आर्डिनेंस नहीं निकल पाता । और वह हंगर स्ट्राइक करके कहता है कि जब तक यह आर्डिनेन्स विद्ड्रा नहीं होगा, इसे गवर्नमेन्ट रिकगनाइज नहीं करेगी, तब तक भूख-हड़ताल चालू रहेगी । हमने कहा जहां जहां राजाराम शास्त्री गये हैं, उसे समाप्त कर दिया, जहां जहां वह गये उस संस्था को ही नाश कर दिया है । वह ढीले-ढाले आदमी हैं, किसी काम के लायक नहीं हैं, जाने कैसे पार्लियामेंट के मेम्बर ही हो गये । जब लोगों ने उनसे कहा कि आप जीत गये तो वह आश्चर्य से कहने लगे कि हम कैसे जीत गये, कितने वोट से जीत गये । वह किसी लड़ाकू आदमी को प्रेसीडेंट बनाते तो ठीक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रहता, उन्होंने सम्पूर्णानन्द का नाम डुबा दिया और स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर भी धब्बा लगा दिया। अब हमें हंगर स्ट्राइक आदि के बारे में सोचना पड़ेगा और उन्हें भी सोचना पड़ेगा ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मैंने श्री जायसवाल जी, बख्शी जी और शर्मा जी आदि के विचारों को सुनकर अब हम इस निश्चित मत के हो गये हैं कि इसे प्रवर समिति में अवश्य जाना चाहिये । क्योंकि दो दो महापुरुष स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे मनीशो और डाक्टर सम्पूर्णानन्द जैसे भारतीय संस्कृति के कीर्तमान स्तम्भ का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है । मैं पुनः आग्रह पूर्वक मांग करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाये ।

श्री धर्म दत्त वैद्य--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं माननीय सदस्यों को जिन्होंने सरकार को अपने बहुमूल्य सुझावों से लाभान्वित किया है । श्रीमन्, बहुत सी शंकायें प्रगट की गई और बहुत से आरोप लगाये गये । इन सबके सम्बन्ध में केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह तथ्य और वास्तविकता से परे है। जहां तक कि इस प्रदेश में जो प्रि-मेडिकल टेस्ट होता है और इस वर्ष जिस प्रकार से उसकी व्यवस्था की गई है कम्बाइंड टेस्ट और कम्प्यूटर द्वारा उसकी जांच, उसको देखते हुए श्रीमन्, अब उसमें किसी शंका की गुंजाइश नहीं रह जाती है, इस प्रक्रिया से कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जा सकता ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

लड़के 14–15 हजार बैठते हैं और आपके पास सीटें केवल 7–8 सौ रहती हैं ।

श्री रामगोपाल संड--

14–15 हजार नहीं, मैं सही कर दूं, उसमें इस वर्ष 35 हजार छात्र बैठे हैं ।

श्री धर्म दत्त वैद्य--

मैंने बड़ी शांति से सभी माननीय सदस्यों को सुना है, मेरा निवेदन है कि मुझे भी आप लोग अपना स्पष्टीकरण करने का मौका दें । जहां तक वाराणसी के इस कालेज के प्रबन्ध का सवाल है यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल इस प्रदेश में नहीं सारे भारत में प्राइवेट मेडिकल कालेजों पर प्रतिबन्ध लगाने की भारत सरकार की नीति है । बिहार और अन्य प्रदेशों में भी इस शिक्षा पाश्चात्य चिकित्सा के महत्व और कालेजों की दुर्व्यवस्था को देखते हुए भारत सरकार के सुझाव पर प्रतिबन्ध करने के लिये कदम उठाना पड़ा है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

डिवीजन और नम्बरों का सहारा लेकर आपके यहां गरीब और ग्रामीण लड़कों को प्रवेश देने से इंकार कर दिया जाता है ।

श्री धर्म दत्त वैद्य--

मुझे शांति से सुने जरा सा मौका दें तो शायद आपकी सभी शंकाओं का स्पष्टीकरण हो जाएगा । श्रीमन्, अगस्त में प्रायः कालेज खुलते हैं, अगस्त-सितम्बर तक उसको खोलने की प्रक्रिया होती रही । अक्टूबर में जब हमारी जानकारी में यह आया, तब नवम्बर में उसके लिये अध्यादेश कर दिया गया । मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप वास्तविकता को समझें श्रीमन्, शासन जब एक मेडिकल कालेज खोलता है तो लगभग 5 करोड़ रुपये उस पर व्यय होता है । मेरठ मेडिकल कालेज, जिसमें हमने इतनी धनराशि व्यय की थी, को इंडियन मेडिकल कौंसिल द्वारा इस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई है । बनारस में जिस जगह पर वह कालेज खुलने की बात है और उस सोसाइटी के साथ, जिस महान् विभूति का नाम लगा है, हम सब उनका

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

महान् आदर करते हैं। हम उस आदर के साथ यह बात कहना चहते हैं कि आज वह कालेज जो केवल शैशवावस्था में है, जिसको साधन उपलब्ध नहीं है,जहां पर न पढ़ाने के लिये उपयुक्त कक्ष हैं, न कोई हास्पिटल है, (व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माली मदद करके व्यवस्था करवा दीजिये।

श्री धर्म दत्त वैद्य—

न प्रैक्टिकल के लिये कोई व्यवस्था है। जिस प्रकार की उच्चस्तरीय शिक्षा की आवश्यकता है वह कैसे सम्भव हो सकती है? भावुकता में जैसा कि माननीय सदस्यों का सुझाव है, यदि शासन उसे स्वीकार कर लेती है तो मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि उन 155 छात्रों के साथ अनर्थ नहीं होगा। यदि हम उसको किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कराना चाहें तो सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि यह छात्र मेडिकल टेस्ट में बैठें या नहीं। हमारे कालेजों में 50 छात्र जो नये कालेज खुले हैं लेने की व्यवस्था है। (व्यवधान) श्रीमन्, मुझे बड़ा खेद है कि मेरी बात सुनने का प्रयास नहीं किया जाता। जो हमारे साधन सम्पन्न कालेज हैं जहां पर पांच करोड़ रुपया व्यय किया जाता है केवल 50 छात्रों को प्रवेश देते हैं। यह जो कालेज खुला है उसमें 155छात्रों का प्रवेश ले लिया गया है। एक छात्र के लिये जितने धन की आवश्यकता होती है,जितनी साजसज्जा और उपकरणों की आवश्यकता होती है, सारी दृष्टियों से यदि उस कालेज किसी विश्वविद्यलय से मान्यता प्राप्त हो जाती या ऐसी सम्भावना होती, अगर वहां के निकले हुए स्नातकों को इंडियन मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो जाता तो कोई आपत्ति नहीं थी। 16 हजार रुपया देकर,छात्र प्रवेश पाये, पांच वर्ष तक अपना समय नष्ट करने के बाद, स्नातक होकर निकले जो उनका कोई स्थान न हो, यदि कार्यों को ऐसे प्रदेश की सरकार न रोके तो अकर्मण्य सरकार कही जा सकती। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक था कि सरकार समय से उस पर प्रतिबन्ध लगाती। जहां तक (व्यवधान) इंडियन मेडिकल डिग्री ऐक्ट का उल्लेख किया गया यह प्रतिबन्ध डिग्री देने पर लगा हुआ है (व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अगर उनको अफीलिएट करवा देते।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

यह सम्भव नहीं हो सकता कि अफीलियेट करवा दें।

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी—

भवन के सिलसिलें में गुमराह किया जा रहा है सदन को। हिज हाईनेस की भूलनपुर कोठी, बहुत बड़ी कोठी है। 27 सौ रूपये में किराये पर ली गयी है। कहते हैं कि भवन नहीं है। 1928 में बनारस में जब बिजली नहीं थी तब भी उस कोठी में बिजली थी। हाउस को गुमराह न करें मन्त्री महोदय।

श्री धर्म दत्त वैद्य—

मैं कतई गुमराह नहीं हो रहा हूं। मैं सही रास्ते पर लाने की बात कर रहा हूं। मैंने स्वयं उसे देखा है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

कांग्रेस के चन्दे के लिये दबाव पड़ता है बिरला, डालमिया, सिंघानिया पर तो इस नेक काम के लिये आप इन लोगों से चन्दा दिलवा सकते थे।

श्री धर्मदत्त वैद्य---

किराये पर कुछ रुपया देकर वह लेली गयी है । अगले वर्षों में किस प्रकार से वह कालेज चलेगा साज,सज्जा, उपकरण, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है । हम यह विधेयक वाराणसी के मेडिकल कालेज के लिये नहीं लाये हैं । हम तो भविष्य के लिये ऐसे साधनहीन कालेजेज को प्रतिबन्धित करना चाहते हैं । हम स्वागत करते हैं उन लोगों का जो इस प्रदेश के अन्दर चिकित्सा की सुविधा के निमित्त उदारता से धन देना चाहते हैं या अन्य कुछ योगदान देना चाहते हैं । हम अपनी योजनाओं के अन्तर्गत जिन कालेजों को अगर तीन चार वर्ष में पूरा होना है अगर उनका सहयोग होगा तो हम उनको शीघ्र पूरा करेंगे । हम नहीं चाहते कि इन छात्रों को कोई कष्ट हो लेकिन यह विषय ऐसा है कि लोगों से परामर्श करना पड़ेगा कि किस प्रकार से 155 क्षात्रों को हम प्रवेश दिला सकें किन्हीं मेडिकल कालेजेज में, किस प्रकार से यह प्रवेश हो, जिससे उनका भविष्य उज्जवल रहे । इस दृष्टिकोण को सामने देख कर ही यह विधेयक लाये हैं । हमारा कोई अभिप्राय उन लोगों को हानि पहुंचाने का नहीं है जिन्होंने इस कालेज की स्थपना की है । जो उसके पदाधिकारी हैं उनका हम सम्मान करते हैं । इस सम्बन्ध में उनसे बातचीत भी हुई और भविष्य में बैठ करके हम कोई मार्ग निकालेंगे जिससे 155 बच्चों का भविष्य उज्जवल हो ।

श्री अनन्तराम जावसवाल---

मुख्य मन्त्री जी ने दिसम्बर में यह ऐलान किया था कि यह कालेज चलने दिया जाय तो फिर क्या जरूरत पड़ गयी कि इस विधेयक को आप ले आये?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

यह विधेयक वाराणसी के कालेज के लिये नहीं है । यह तो उन सबसे संबंधित है जो इस प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कालेज खोलना चाहते हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या यह विधेयक वाराणसी के कालेज को खोलने की अनुमति देता है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

कोई प्राइवेट मेडिकल कालेज न खोला जा सके इसके द्वारा यह प्रतिबन्धित किया जा रहा है । मैं आश्वासन देना चहता हूं माननीय सदस्यों को कि हमारी इस विधेयक को लाने का यही उद्देश्य है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

जो एक लाख की चर्चा गांव गांव शहर शहर में फैली हुई है वह.....।

श्री धर्मदत्त वैद्य---

अच्छे योग्य स्नातक निकल सकें, उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जा सके इसके द्वारा हम यह व्यवस्था करने जा रहे हैं । डाक्टरों की कमी की बात कही गयी ग्रामीण अंचल में न जाने की बात कही गयी । ग्रामीण क्षेत्रों के लिये हमने कालेजों में स्थान सुरक्षित कर रखा है तथा देहात की सेवा को अनिवार्य कर दिया है । जब तक कोई डाक्टर वहां नहीं हो आता है वह दक्षतारोक को पार नहीं कर सकेगा । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दो मेडिकल कालेज खोले जा चुके हैं । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में एक मेडिकल कालेज के लिये हम केन्द्रीय सरकार से आग्रह कर रहे हैं और पंचवर्षीय योजना में हम दो और मेडिकल कालेज की मांग कर रहे हैं । इस तरह से हम ही प्रदेश के डाक्टरों की व्यवस्था कर रहे हैं किन्तु यह उचित नहीं है कि कुछ संस्थायें लम्बी धनराशि छात्रों से लेकर इस तरह का कालेज खोल दें । (व्यवधान) यह आवश्यक है कि इस तरह की परम्परा को रोका जाय । इसके लिये यह विधेयक लाया गया है और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इसे पारित करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति जो भेजा जाय। जो अपना प्रतिवेदन 1 माह में दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—20
विपक्ष में—43)।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) विधेयक, 1972 जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

खण्ड 2, नया खण्ड 2-क, खंड 3, 4, 5, 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) विधेयक, 1972

जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ

अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं का संप्रवर्तन करने और उन्हें खोलने तथा उनमें प्रवेश के लिये तथा अध्यापन के लिये फीस लेने को प्रतिषिद्ध करने, और उनसे सम्बद्ध अथवा आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अप्राधिकृत चिकित्सा कालेजों को खोलने आदि के लिये शास्ति

2—यदि इंडियन मेडिकल डिग्री ऐक्ट, 1916 की धारा 3 में अभिदिष्ट डिग्री, डिप्लोमा, लाइसेन्स, प्रमाण-पत्र या अन्य लेख्य-पत्र प्रदत्त, स्वीकृत या जारी करने के लिये उक्त धारा के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति:—

(क) किसी ऐसी संस्था को अनुमत करता है, खोलता है, संगठित करता है, उसका अनुरक्षण या प्रबन्ध करता है, जो पश्चिम चिकित्सा विज्ञान में शिक्षण का कार्य करना, संचालन करना, व्यवस्थापन करना या प्रस्तुत करना प्रदर्शित करे; या

(ख) पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान के किसी पाठ्यक्रम में फीस लेकर (चाहे उसे किसी भी नाम से कहा जाय) अथवा बिना फीस के प्रविष्ट करता है अथवा प्रवेश उपलब्ध करता है; या

(ग) पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षण देने के उद्देश्य से व्याख्यान या ट्यूटोरियल के लिये या किसी प्रयोगशाला में प्रयोगों के लिये कोई प्रबन्ध करता है अथवा यह प्रदर्शित करता है कि ऐसा प्रबन्ध किया गया है ; या

(घ) खण्ड (क), खण्ड (ख), या खण्ड (ग) में अभिदिष्ट किसी ऐसी संस्था, पाठ्यक्रम या प्रबन्ध के संबंध में कोई अभिदान, दान या फीस (चाहे उसे किसी भी नाम से कहा जाय) लेता है;

तो उसे तीन वर्ष की अवधि के लिये कठोर कारावास का दण्ड अथवा अर्थ-दण्ड जो 2,000 रुपये तक हो सकता है, दिया जायगा अथवा दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा में पद 'पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान' का वही अर्थ है जो इंडियन मेडिकल डिग्री ऐक्ट, 1916 में पद 'वेस्टर्न मेडिकल साइंस' को दिया गया है ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

3—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी, तथा अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित होने का वह उत्तरदायी होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी गई किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध को किये जाने से रोकने के लिये सभी सम्यक उपाय किये।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया जाय और यह सिद्ध हो जाय कि ऐसा अपराध उस कम्पनी के किसी डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है, अथवा ऐसे अपराध का किया जाना किसी डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की उपेक्षा के कारण आरोप्य है तो कम्पनी के ऐसे डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित होने के उत्तरदायी होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) 'कम्पनी' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, 'डाइरेक्टर' का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

राज्य सरकार की ओर से परिवाद

4—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अभियोजन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अथवा प्राधिकृत परिवाद के सिवाय संस्थित न हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 19, 1972 का निरसन

5—उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

खंड २—क

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं :—

नया खंड 2—क

खंड-2 के बाद निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय:—

24 नवम्बर, 1972 के पूर्व अप्राधिकृत रूप से खुले चिकित्सा कालेजों के सम्बन्ध में शास्ति आदि।

2—क(1) जहां किसी व्यक्ति ने 24 नवम्बर, 1972 के पूर्व किसी ऐसी संस्था को खोला हो अथवा संगठित किया हो या खोलने या संगठित करने को अनुमत किया हो जो पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षण का कार्य करना, संचालन करना, व्यवस्थापन करना या प्रस्तुत करना प्रदर्शित करे तथा पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षण देने के उद्देश्य से शिक्षण के किसी पाठ्यक्रम में या व्याख्यान माला अथवा ट्युटोरियलों अथवा प्रयोगों के हेतु प्रबन्धों में विद्यार्थियों को अभिदान, दान या फीस (चाहे उसे किसी भी नाम से कहा जाय) के भुगतान पर प्रविष्ट किया हो एवं उक्त दिनांक के पश्चात् ऐसी संस्था का अनुरक्षण अथवा प्रबन्ध अथवा ऐसे प्रबन्धों का आयोजन धारा 3 के अधीन दंडनीय हो गया हो, तो

(क) एतद्प्रकार प्राप्त अभिदान, दान या फीस अथवा उसकी व्यय के बाद बची धनराशि तथा अभिदान, दान या फीस के रूप में प्राप्त धनराशि से ऐसे व्यक्ति द्वारा अर्जित कोई सम्पत्ति अथवा परिसम्पत्तियां जिनके अन्तर्गत कोई भवन, प्रयोगशालायें अथवा साज-सज्जा भी है इस अधिनियम के प्रारंभ से 15 दिन के भीतर चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश (जिन्हें आगे इस धारा में निदेशक कहा गया है) के सुपुर्द कर दी जायगी जो उन्हें एतद्पश्चात् व्यवस्थित रीति से वितरण अथवा उपयोग के निमित्त न्यायरूपेण रखेगा,

(ख) उपर्युक्त प्रकार से प्रविष्ट कोई विद्यार्थी जिसने उपर्युक्तानुसार अभिदान, दान या फीस का भुगतान किया हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक महीने के भीतर अपने द्वारा भुगतान की गई धनराशि की वापसी के लिये निदेशक से आवेदन कर सकेगा और निदेशक का यह समाधान हो जाने पर कि धनराशि का भुगतान उक्त प्रकार से हुआ था, उक्त प्रकार के भुगतान की गयी धनराशि को अथवा उसके ऐसे अंश को जो खंड (क) में अभिदिष्ट के बाद बची धनराशि से अनुपाततः उसके लिये उपलब्ध हो, लौटा देगा,

(ग) यदि उपर्युक्त प्रकार से प्रविष्ट सभी विद्यार्थी खंड (ख) के अधीन उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करते हैं तो निदेशक नकदी से भिन्न सम्पत्ति तथा परिसम्पत्तियों को बेच देगा तथा उन्हें उक्त विद्यार्थियों के बीच अनुपाततः वितरण के निमित्त नकदी में परिवर्तित करेगा,

(घ) यदि निदेशक द्वारा पूर्वगामी खंडों के अधीन कार्यवाही करने के उपरान्त कोई धनराशि तथा अन्य सम्पत्ति एवं परिसम्पत्तियां उनके पास बच रहतीं हैं तो वह उसे पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षण की व्यवस्था से सम्बद्ध प्रयोजनार्थ उपयोग करेगा,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(ङ) निदेशक ऐसे किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उसके समक्ष खंड (क) में अभिदिष्ट किसी संस्था अथवा प्रबन्धों अथवा अभिदान, दान या फीस सम्बन्धी कोई लेखा पुस्तिका, रजिस्टर या अन्य लेख्य प्रस्तुत करे,

(च) निदेशक अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी ऐसे भवन या अन्य स्थान में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है जिसके सम्बन्ध में निदेशक अथवा ऐसे व्यक्ति को सकारण विश्वास हो कि वहां ऐसी लेखापुस्तिकायें, रजिस्टर या अन्य लेख्य रखे जाते हैं तथा इस धारा के अधीन किसी प्रवेश या तलाक के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 102, 103 तथा 165 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार से उक्त संहिता के अधीन किसी भी प्रवेश या तलाशी के सम्बन्ध में लागू होते हैं,

(छ) निदेशक किसी ऐसे बैंक या अन्य व्यक्ति को जिसके पास खण्ड (क) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त प्रकार की धनराशि जमा की गयी हो यह अनुदेश देते हुए नोटिस जारी कर सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति का ऐसी धनराशि का भुगतान न करे, तथा उस व्यक्ति के बजाय उस धनराशि को अधिकारिकतायुक्त सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में जमा करे, तथा यदि वह व्यक्ति जिसे नोटिस दिया गया हो, ऐसी नोटिस का अनुपालन न करे तो उक्त न्यायालय निदेशक द्वारा तदर्थ आवेदनपत्र दिये जाने पर ऐसे व्यक्ति को उक्त नोटिस की शर्तों का अनुपालन करने का आदेश दे सकता है, तथा ऐसा आदेश होने पर न्यायालय निष्पादन जारी कर सकता है मानो कि उक्त आदेश उस व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री हो तथा ऐसी नोटिस अथवा आदेश के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रथम अनुसूची के आर्डर 21 के नियम 133 से 140 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे तथा निदेशक को डिक्रीदार समझा जायगा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मेरी एक वैधानिक आपत्ति है और मैं आपका ध्यान नियम 139 की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले वे प्रस्ताव तो प्रस्तुत कर दें तब आपको मौका मिलेगा। अभी तो प्रस्ताव प्रस्तुत ही नहीं हुआ है आपत्ति क्या हो सकती है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

(2) कोई व्यक्ति जो.....

(क) उपधारा (1) के खंड (क) में अभिदिष्ट किसी धनराशि अथवा अन्य सम्पत्ति अथवा परिसम्पत्ति निदेशक को उसमें उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान करने में अथवा सौंपने में चूक करता है, अथवा

(ख) उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन यथापेक्षित लेखा पुस्तिका, रजिस्टर या अन्य लेख्य प्रस्तुत करने में चूक करता है, अथवा

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—]

(ग) निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उपधारा

(1) के खंड में निर्दिष्ट कृत्यों का पालन करने में बाधा डालता है अथवा रोकता है,

तीन वर्ष की अवधि के लिये कठोर कारावास के दंड अथवा अर्थ दण्ड से जो दो हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों दण्डों से दण्डनीय होगा।

श्रीमन्, यह संशोधन जो मैंने अभी रखा है उसमें कुछ छापे की अशुद्धियां थीं जिनको कि मैंने यथा स्थान ठीक करके पढ़ने की चेष्टा की है लेकिन मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि इनको इस प्रकार शुद्ध करने का कष्ट करें:

(1) 2-क(1) में (क)में छठीं पंक्ति में "भीरत" के स्थान पर "भीतर" होना, चाहिये।

(2) 2-क(1) में (क) की अन्तिम पंक्ति में "न्याय रूपेण" के स्थान पर "न्यास रूपेण" होना चाहिये।

(3) 2-क(1) में (ख) की आठवीं पंक्ति में "अभिदिष्ट" के आगे "व्यय" शब्द छूट गया है जिसे बढ़ा दिया जाय।

(4) 2-क(1) में (ग) की दूसरी पंक्ति में "निदेशन" के स्थान पर "निदेशक" होना चाहिये।

(5) 2-क(1) में (च) की छठीं पंक्ति में "तलासी" के स्थान पर "तलाशी" होना चाहिये।

(7) 2-क(1) में (छ) की चौथी पंक्ति में "व्यक्ति का" के स्थान पर "व्यक्ति को" होना चाहिये।

(8) 2-क(2) में (ख) में "कोई व्यक्ति जो"....के स्थान पर "कोई व्यक्ति जो.." कर दिया जाय।

(9) 2-क(2) में (ग) की दूसरी पंक्ति में शब्द "खंड" के आगे "(च) "बढ़ा दिया जाय।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान नियम 139 की ओर खींचूंगा जहां पर स्पष्ट दिया है कि "यदि विधेयक के किसी खंड या अनुसूची में किसी धन की सूचना उस दिन से 36 घंटे पूर्व न दी गयी हो जिस दिन कि विधेयक पर विचार किया जाना हो, तो कोई भी सदस्य संशोधन प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकेंगे, और यदि अध्यक्ष संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दे दें, तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।"

श्री उपाध्यक्ष—

आगे का परन्तुक भी आप पढ़ दें, वह यह है कि "परन्तु किसी सरकारी विधेयक की अवस्था में ऐसा संशोधन, जिसकी सूचना विधेयक भार-साधक सदस्य से मिली हो, इस कारण व्ययगत नहीं होगा कि विधेयक भार-साधक सदस्य, मन्त्री या सदस्य नहीं रहे हैं...."

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

वह परन्तुक लागू नहीं होगा। यहां बात इतनी ही है कि यहां 36 घंटे पूर्व सूचना नहीं दी गई है। सरकार ने देखा कि उसके मूल बिल में त्रुटियां हैं तो उन्होंने माननीय सदस्य द्वारा यह संशोधन दिला दिया। सदन को तो आज मालूम हो रहा है कि संशोधन हुए हैं। दूसरे यह इतना बड़ा नया खंड 2-क ही बना कर इन्होंने आज रख दिया यह तो पूरे विधेयक से भी बड़ा हो गया। यह संशोधन ही नहीं, इसकी ग्राह्यता भी नहीं होनी चाहिये। यह तो नया

विधेयक ही ला दिया गया है। तीसरे यह जो प्रस्तुत किया है कि 'जहां किसी व्यक्ति ने 24 नवम्बर, 1972 के पूर्व किसी ऐसी संस्था को खोला हो अथवा संगठित किया हो या खोलने या संगठित करने की अनुमत किया हो' जो श्रीमन् इसको रिस्ट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में राज्यपाल की पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी या राष्ट्रपति की। इस बारे में मैं सदन का ध्यान नियम 141 की ओर खींचना चाहता हूं। जिसमें दिया हुआ है कि यदि शासन कोई ऐसा संशोधन प्रस्तावित करना चाहें जो संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी अथवा राज्यपाल की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो इसमें उनकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

माननीय मन्त्री जी ने जो संशोधन पेश कराया है उसमें ये रिस्ट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट देना चाहते हैं 24 नवम्बर से अर्थात् जो कालेज पहले खुल चुके हैं, उन पर भी इसको लागू करना चाहते हैं ऐसा मालूम होता है कि इनके ला डिपार्टमेन्ट ने सुझाव दिया होगा कि यह अल्ट्रावायरस होगा तब इन्होंने इसमें 24 नवम्बर की बात रखी। जैसे बनारस का कालेज खुला है, ये चाहते हैं कि उसको रोक देंगे। पहले इन्होंने यह तय किया कि जिस दिन से ये लागू होगा उस दिन से इफैक्टिव माना जायगा लेकिन अब इसको रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट देने की बात की जा रही है। यदि ऐसा ही करना है तो राज्यपाल की स्वीकृति लेनी होगी। जो मूल खंड है उसका संशोधन कर सकते हैं लेकिन यह तो उसका एक नया ही रूप है। तो इसके लिये पहले से सूचना होनी चाहिये इसलिये आपसे प्रार्थना है कि आप इसको अवैध घोषित कर दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

जहां तक इसकी सूचना देने का प्रश्न है यह परसों आयी थीं। छपा हुआ है। तो आपकी आपत्ति उचित नहीं प्रतीत होती।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

इस सदन को तो इस कार्यक्रम के द्वारा ही सूचना प्राप्त हुई है।

श्री उपाध्यक्ष—

कल विरोधी दल के नेता ने भी एक संशोधन दिया था। किसी अधिनियम को श्रेष्ठ सक्रिय बनाने सम्बन्धी किसी प्रयास को हम समर्थन करते हैं। क्योंकि अगर किसी ऐक्ट में प्रदेश की जनता से सम्बन्ध है, उसमें कोई खामी रह जाती है तो वह उचित नहीं है। जब अधिनियम बन गया तो विरोध पक्ष या सरकारी पक्ष का प्रश्न नहीं है। यदि उसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो ...

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

श्रीमन्, ये विधेयक की परिधि के बाहर नहीं जा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

कल, जैसा मैंने अभी कहा भी माननीय नेता विरोधी दल ने एक संशोधन किया हमने उसको स्वीकार किया। तो जहां तक नोटिस की बात है, वह समय से मिली। दूसरी जो आपकी आपत्ति है उसमें कोई विशेष बात नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन् आप इसे रिजेक्ट कर दीजिये। ये इस संशोधन को पेश नहीं कर सकते हैं। जो काम इन्होंने किया है वह सर्वथा गलत है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कारण बतायें किस आधार पर आप ऐसा कहते हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

जिन नियमों का संदर्भ माननीय रूपनाथ सिंह जी ने दिया है, उनके तहत में यह संशोधन आज पेश नहीं किया जा सकता । इस विधेयक के जो उद्देश्य और कारण लिखे हुए हैं, यह उनके विपरीत चला जाता है। इसलिये जब तक इस पर पूर्णरूप से चर्चा न हो जाय, और पूर्व सूचना न हो तब तक इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। नियम 141 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पूर्व सूचना के उपरान्त ही सदन में आ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---

समय के बारे में तो मैंने बता दिया। आप यह तो बतायें कि अधिनियम से संशोधन किस प्रकार से असंगत है, तब तो हम विचार करें। एक तो समय के बारे में समय पर नोटिस जैसे दिया जाता है जैसे छप जाता है उसके बारे में आप कोई आपत्ति नहीं करते हैं वह तो हो गया। दूसरे जो कह रहे हैं मान लीजिये संशोधन छोटा या बड़ा है, आकार में नहीं जाते हैं। लेकिन अब आप हमको यह बतायें कि इस विधेयक से अधिनियम असंगत है ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, नियम 140 का (1) देखें। संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा.....।

मान्यवर, यह तो अपने आप ही पूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के बाद इन्होंने नया जोड़ दिया है। न संशोधन करता है और न संगत है। और परिधि के भी बाहर है। इन्होंने 2 (क) जो प्रस्तुत किया है उसमें दिया है कि नया खंड जोड़ दिया जाय। इसमें बड़ा व्यौरा दिया है। उसमें यह कहा है कि "जहां किसी व्यक्ति ने 24 नवम्बर के पूर्व किसी ऐसी संस्था को खोला हो अथवा संगठित किया हो अथवा.....वगैरह वगैरह।" अगर (क) से लेकर (छ) तक देखा जाय तो 2(क) संशोधन नहीं पेश कर रहा है बल्कि परिधि के बाहर जा रहा है। जो इसकी मंशा है उससे यह संगत भी नहीं है। ग्राह्यता में भी देखें परिधि के बाहर नहीं होना चाहिये और असंगत न हो।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मान्यवर, मेरे मित्र मुझे क्षमा करेंगे। इसके सेक्शन 1(2) है। इससे सुसंगत केवल यह हो सकता है कि 24 नवम्बर, 72 के पूर्व जो इस प्रकार अनधिकृत संस्था कायम कर दी गई उसके बारे में क्या होगा। 24 नवम्बर के बाद में एक प्रतिबन्ध लगा दिया कि इस प्रकार की संस्था को नहीं बनाया जा सकता।

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह एक नई चीज हो गई।

श्री उपाध्यक्ष---

नई चीज कान्सीक्वेन्शयल है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, यह भविष्य के बारे में है कि आज से ऐसी कोई संस्था नहीं बनाई जायगी। यह भूत से सम्बन्धित हो गया।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

हमारे मित्रों ने विद्यार्थियों की चिन्ता की थी और चर्चा भी की। उचित ही हुआ। मुझे उसमें ऐतराज नहीं है लेकिन जिन विद्यार्थियों को हमारे माननीय मित्रों के कथनानुसार

और हमारे कथनानुसार भी हजारों रुपये दिये गये हैं उनके सम्बन्ध में सदन चिन्ता भी करेगा तो कब करेगा जैसा कि हमें बताया जाता है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह संशोधन नियमानुकूल है या नहीं इतना बता दें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

किसी विधेयक के खंड में या निश्चयों में संशोधन की ग्राह्यता निम्नलिखित शब्दों केअधीन होगी। इसमें नं० 1 में यह है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति यानी जो कि विधेयक का क्षेत्र है उसके भीतर होगा। यदि विधेयक सुसंगत नहीं है तो व्याप्ति के अन्तर्गत होगा ही नहीं। इससे अधिक कौनसी सुसंगत बात होगी कि 24 नवम्बर से पूर्व जिनकी स्थापना कर दी गयी तो उनके सम्बन्ध में यह सदन आज विचार नहीं करेगा तो कब करेगा। 24 नवम्बर, 1972 को आर्डिनेन्स हुआ और आज यह विधेयक यहां हैं तो कल परसों कानून बन जायगा। यह कानून, आर्डिनेन्स या विधेयक अपूर्ण है। यह तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक 24 नवम्बर से पूर्व जो संस्थाएं अनाधिकृत रूप से चलायी गई थीं उनके बारे में विचार नहीं किया जायगा। इन संस्थाओं के दो रूप हैं। एक तो यह रूप है कि जिन लोगों ने अनधिकृत रूप से संस्था चला दी, उनकी संपत्ति खरीद ली या धन का उपयोग या दुरुपयोग किया वे लोग दंडनीय होते हैं। दूसरा रूप यह है कि जिन विद्यार्थियों से अनधिकृत रूप से धन ल लिया गया है कि वह धन उन्हें वापस हो सके या उसमें से कुछ खर्च हो गया है तो उसी अनुपात में वापस हो सके।

एक सदस्य—

आप तो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं। बल्कि यह कह रहा हूं कि इससे अधिक सुसंगत कोई बात नहीं हो सकती।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आचार्य जी का आर्गुमेंट सही हो सकता था। पहले यह था कि ऐक्ट के एनफोर्समेंट के बाद कोई कालेज नहीं खोला जा सकेगा। उससे सम्बन्धित यह होता है तब तो सही था। लेकिन यह तो कवर करता है उनको जो खोले जा चुके।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जो लीगल इंटरप्रीटेशन के नियम हैं.....

श्री रूप नाथ सिंह यादव—

213 का अध्यादेश जारी हुआ है तो यह उसके खिलाफ जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

वही आप को बतला रहा हूं। आप के तर्कों को और सरकारी पक्ष के तर्क को सुना। मैंने उस अधिनियम के खंड (ख) (ग) को पढ़ा। पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान के किसी पाठ्यक्रम में फीस लेकर, चाहे उसे किसी भी नाम से कहा जाय अथवा बिना फीस के प्रविष्ट करता है अथवा प्रवेश उपलब्ध करता है, या पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षण देने के उद्देश्य से व्याख्यान या ट्यूटोरियल के लिये या किसी प्रयोगशाला में प्रयोगों के लिये कोई प्रबन्ध करता है अथवा यह प्रदर्शित करता है कि ऐसा प्रबन्ध किया गया है तो उसे तीन वर्ष की अवधि के लिये कठोर कारावास का दंड अथवा अर्थ दंड जो 2,000 रुपया तक हो सकता

[श्री उपाध्यक्ष--]

है, दिया जायगा अथवा दोनों दंड दिये जायेंगे। तो जो संपत्ति है उस पर क्या विनियमन किया जाय यह असंगत नहीं है। इसलिये यह संशोधन जाब्ते का संशोधन है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जो संशोधन पेश किया है उसमें कुछ खामी रह गयी है उसकी ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। जिन लोगों ने इस कालेज को बनाने का पुनीत काम किया उन्हें सार्वजनिक रूप से कोड़े लगाने का एमेन्डमेंट नहीं दिया गया है। दूसरी खामी यह है कि जो बच्चे वहां पढ़ने के लिये पहुंच गये थे उनको हिन्दुस्तान से निकालने की व्यवस्था इसमें नहीं है। अगर इन चीजों को भी रख दें तो यह संशोधन पूरा हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

समयाभाव है। अब मैं संशोधन पर वोट लेता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं खड़ा हूं। या तो पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाते या बाद में उठायें। पहले मैं वोट ले लूं।

प्रश्न यह है कि खंड-2 के बाद निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय:--

24 नवम्बर, 1972 के पूर्व अप्राधिकृतवं रूप से खुले चिकित्सा कालेजों के सम्बन्ध में ास्ति आदि।

2-क(1) जहां किसी व्यक्ति ने 24 नवम्बर, 1972 के पूर्व किसी ऐसी संस्था को खोला हो अथवा संगठित किया हो या खोलन या संगठित करने की अनुमत किया हो जो पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षण का कार्य करना, संचालन करना, व्यवस्थापन करना या प्रस्तुत करना प्रदर्शित करे तथा पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षण देने के उद्देश्य से शिक्षण के किसी पाठ्यक्रम में या व्याख्यान माला अथवा ट्यूटोरियलों अथवा प्रयोगों के हेतु प्रबन्ध में विद्यार्थियों को अभिदान, दान या फीस (चाहे उसे किसी भी नाम से कहा जाय) के भुगतान पर प्रविष्ट किया हो एवम् उक्त दिनांक के पश्चात् ऐसी संस्था का अनुरक्षण अथवा प्रबन्ध अथवा एसे प्रबन्धों का आयोजन धारा 3 के अधीन वंडनीय हो गया हो, तो

(क) एतद्प्रकार प्राप्त अभिदान, दान या फीस अथवा उसको व्यय के बाद बची धनराशि तथा अभिदान, दान या फीस के रूप में प्राप्त धनराशि से एसे व्यक्ति द्वारा अर्जित कोई सम्पत्ति अथवा परिसम्पत्तियां जिनके अन्तर्गत कोई भवन, प्रयोगशालायें अथवा साज-सज्जा भी है इस अधिनियम के प्रारम्भ से 15 दिन के भीतर चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश (जिन्हें आगे इस धारा में निदेशक कहा गया है) के सुपुर्द कर दी जायेगी जो उन्हें एतद्पश्चात् व्यवस्थित रीत से वितरण अथवा उपयोग के निमित्त न्याय रूपेण रखेगा,

(ख) उपर्युक्त प्रकार से प्रविष्ट कोई विद्यार्थी जिसने उपर्युक्तानुसार अभिदान, दान या फीस का भुगतान किया हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक महीने के भीतर अपने द्वारा भुगतान की गई धनराशि की वापसी के लिय निदेशक से आवेदन कर सकेगा और निदेशक का यह समाधान हो जाने पर कि धनराशि का भुगतान उक्त

प्रकार से हुआ था, उक्त प्रकार के भुगतान की गयी धनराशि को अथवा उसके ऐसे अंश को जो खंड (क) में अभिदिष्ट व्यय के बाद बची धनराशि से अनुपाततः उसके लिये उपलब्ध हो, लौटा देगा,

(ग) यदि उपर्युक्त प्रकार से प्रविष्ट सभी विद्यार्थी खंड (ख) के अधीन उसमें निदिष्ट समय के भीतर आवेदन करते हैं तो निदेशक नकदी से भिन्न सम्पत्ति तथा परिसम्पत्तियों को बेच देगा तथा उन्हें उक्त विद्यार्थियों के बीच अनुपाततः वितरण के निमित्त नकदी में परिवर्तित करेगा,

(घ) यदि निदेशक द्वारा पूर्वगामी खंडों के अधीन कार्यवाही करने के उपरान्त कोई धनराशि तथा अन्य सम्पत्ति एवं परिसम्पत्तियां उनके पास बच रहती हैं तो वह उसे पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षण की व्यवस्था से सम्बद्ध प्रयोजनार्थ उपयोग करेगा,

(ङ०) निदेशक ऐसे किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उसके समक्ष खंड (क) में अभिदिष्ट किसी संस्था अथवा प्रबन्धों अथवा अभिदान, दान या फीस सम्बन्धी कोई लेखा पुस्तिका, रजिस्टर या अन्य लेख्य प्रस्तुत करे,

(च) निदेशक अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी ऐसे भवन या अन्य स्थान में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है जिसके सम्बन्ध में निदेशक अथवा ऐसे व्यक्ति का सकारण विश्वास हो कि वहां ऐसी लेखा पुस्तिकायें, रजिस्टर या अन्य लेख्य रखे जाते हैं तथा इस धारा के अधीन किसी प्रवेश या तलाशी के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 102, 103, तथा 165 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार से उक्त संहिता के अधीन किसी भी प्रवेश या तलाशी के सम्बन्ध भी लागू होते हैं,

(छ) निदेशक किसी ऐसे बैंक या अन्य व्यक्ति को जिसके पास खंड (क) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त प्रकार की धनराशि जमा की गयी हो यह अनुदेश देते हुये नोटिस जारी कर सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति को ऐसी धनराशि का भुगतान न करे, तथा उस व्यक्ति के बजाय उस धनराशि को अधिकारिकतायुक्त सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में जमा करे, तथा यदि वह व्यक्ति जिसे नोटिस दिया गया हो, ऐसी नोटिस का अनुपालन न करे तो उक्त न्यायालय निदेशक द्वारा तदर्थ आवेदन पत्र दिये जाने पर ऐसे व्यक्ति को उक्त नोटिस की शर्तों का अनुपालन करने का आदेश दे सकता है, तथा ऐसे आदेश होने पर न्यायालय निष्पादन जारी कर सकता है मानो कि उक्त आदेश उस व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री हो तथा ऐसी नोटिस अथवा आदेश के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रथम अनुसूची के आडर 21 के नियम 133 से 140 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे तथा निदेशक को डिक्रीदार समझा जायगा।

(2) कोई व्यक्ति जो

(क) उपधारा (1) के खंड (क) में अभिदिष्ट किसी धनराशि अथवा अन्य सम्पत्ति अथवा परिसम्पत्ति निदेशक को उसमें उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान करने में अथवा सौंपने में चूक करता है, अथवा

(ख) उपधारा (1) के खंड (ङ०) के अधीन यथापेक्षित लेखा पुस्तिका, रजिस्टर या अन्य लेख्य प्रस्तुत करने में चूक करता है, अथवा

[श्री उपाध्यक्ष—]

(ग) निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के खंड (च) में निर्दिष्ट कृत्यों का पालन करने में बाधा डालता है अथवा रोकता है, तीन वर्ष की अवधि के लिये कठोर कारावास के दंड से अथवा अर्थ दण्ड से जो दो हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों दंडों से दण्डनीय होगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कल्पनाथ सिंह—

अब हमारी बात सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले यह प्रक्रिया पूरी होने दीजिये। जल्दी क्या है। प्रश्न यह है कि खंड 2, नया खंड 2—क, खंड 3, खंड 4, खंड 5, खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कल्पनाथ सिंह—

अभी जो संशोधन हुआ है उसके अनुसार नियमावली के नियम 120 (3) को आप देखें इसमें लिखा है : "जब कभी कोई विधेयक जो किसी अध्यादेश को रूपभद सहित प्रतिस्थापित करता हो, सदन में पुर:स्थापित किया जाय तो सदन के समक्ष विधेयक के साथ एक विवरण भी रखा जायगा, जिसमें उन परिस्थतियों को स्पष्ट किया गया हो जिनके कारण ऐसे रूपभेद करना आवश्यक हो गया था।" इस विधेयक में यह रूपभेद नहीं रक्खा और उसको एक संशोधन के जरिये इस सदन में उपस्थित कर दिया गया, इसलिये नियम 120 (3) के अन्तर्गत इसमें रूपभेद होगा। इसको पारित करने से रोका जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

विधेयक के साथ कुछ विवरण भी रक्खा जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह—

ठीक है, अध्यादेश और जो यह विधेयक है, इसमें इस संशोधन के माध्यम से रूपभेद हुआ, इस लिये अब अग्रेतर इस पर कार्यवाही की इजाजत आप न दें।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री तिवारी, संसदीय कार्य मंत्री।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

इसमें रूपभेद तो नहीं हुआ है, केवल कान्सीक्वेन्सेअल हुआ है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आपने संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया, तो यह श्री आचार्य कैसे हो गये?

श्री उपाध्यक्ष—

उनको भी बुलान का मन में सोचा है कि क्या होना चाहिये।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि रूपभेद वाली बात तब होती है जब यह असंगत होता।

श्री उपाध्यक्ष---

इसका तो ज्ञापन लिखा हुआ है। यह इसमें संलग्न है। आपने उसको देखा नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

रूपभेद के ज्ञापन को आप देख लें। यह तो शाब्दिक है। आप इनको कहां तक बचायेंगे। जो विधेयक में उन्होंने लिखा है रूपभेद ज्ञापन-पत्र और शाब्दिक संशोधन की जगह है लेकिन उन्होंने एक नया खंड जोड़ा है, इसलिये नियमावली के नियम में आता है।

श्री उपाध्यक्ष---

इस संशोधन से अध्यादेश के शब्दों पर तात्विक प्रभाव पड़ता है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

प्रश्न यह है कि नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार का रूपभेद करने का कोई अधिकार नहीं। अगर साधारण विधेयक होता, तब तो अधिकार प्राप्त था कि संशोधन करा लिया जाय। लेकिन यह विधेयक अध्यादेश पर आधारित है। इसलिये इसमें कोई भी रूपभेद का अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

तो मेरी इसकी भविष्य के लिये व्यवस्था है.....

श्री कल्पनाथ सिंह---

लेकिन मान्यवर, आपकी भविष्य की व्यवस्था अब के लिये कैसे लागू होगी?

श्री उपाध्यक्ष---

आप अपनी बात कह रहे हैं, हालांकि वह है। अगर नहीं होता तो रूल आउट कर देता। अब हो सकता है, उसमें ज्यादा बढ़ा दिया हो।

श्री कल्पनाथ सिंह---

आप नियमावली देख लें, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने आप की बात सुन ली। भविष्य के लिये मेरी व्यवस्था है कि जब अध्यादेश में बहुत अधिक कोई परिवर्तन होना हो तो सावधानी और सतर्कता के लिये सारी स्थितियों को पहले से अध्ययन कर लिया जाय।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

ठीक है, लेकिन यहां पर जो संशोधन है अगर कोई माननीय सदस्य इस माननीय सदन में पेश करते हैं और वह विधेयक के सिद्धान्तों के अनुकूल है और विधेयक की मर्यादा के अनुकूल है, तो श्रीमन्, यह बुनियादी बात है कि भारसाधक मंत्री को शासन की तरफ से अधिकार है कि वह संशोधन स्वीकार करे। लेकिन व्यक्तिगत सदस्य के लिये अनिवार्य नहीं कि वह रूपभेद साथ लाय। अगर माननीय कल्पनाथ सिंह की बात मान ली जाय तो हरेक सदस्य के लिये यह भार आ जायेगा कि रूपभेद भी साथ में देना होगा। हां, सरकार अपनी ओर से प्रस्तुत करती है तो सारे रूपभेद दे, लेकिन सदस्यों के लिये यह अनिवार्य न हो कि जब संशोधन प्रस्तुत करें, तो रूपभेद भी दें।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी का यह कहना है कि सदस्यों के लिये यह बंधन न हो: वह ठीक है। मैं स्वयं संसदीय कार्य मंत्री जी के तर्क से सहमत हूं। लेकिन जब कोई विधेयक

[श्री कल्पनाथ सिंह---]

अध्यादेश पर आधारित होगा, उस हालत में रूपभेद के अन्तर्गत कोई संशोधन, चाहे वह सरकारी हो, या गैर सरकारी हो वह आ ही नहीं सकता। जब अध्यादेश न हो, साधारण विधेयक हो, तो सब को अवसर है, अन्यथा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं यही कहूंगा कि संशोधन नियमानुकूल है। विधान सभा नियमावली के अनुच्छेद 120 (3) में है कि---

"जब कभी कोई विधेयक जो किसी अध्यादेश को रूपभेद सहित प्रतिस्थापित करता हो, सदन में पुर:स्थापित किया जाय तो सदन के समक्ष विधेयक के साथ एक विवरण भी रखा जायेगा, जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया हो जिनके कारण ऐसे रूपभेद करना आवश्यक हो गया था।" मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि इतना बड़ा संशोधन बिना मशवरे के रखा जाए। इस संशोधन में काफी बातें हैं जो छूट गयी हैं। तो सावधानी और सतर्कता का तकाजा है कि सारी स्थितियों का पहले से अध्ययन कर लिया जाए और इस नियम का हम अनुसरण करें।

श्री कल्पनाथ सिंह---

इन्होंने बीच बरसात बोल दिया है।

श्री धर्मदत्त वैद्य---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) विधेयक, 1972, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है और इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि क्या उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) विधेयक, 1972, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है और जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राज्य में खर्चीले प्राथमिक स्कूलों के संचालन पर रोक लगाने तथा प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने के संबंध में संकल्प (क्रमागत)†

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर तो विवाद चल ही रहा है।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

श्री सच्चिदानन्द गुप्त नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

वे न हों, यह उनका अधिकार है कि वे भाषण करें या न करें। विवाद तो जारी है।

---

†23 जुलाई, 1972 की कार्यवाही से।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

माननीय, मेरा संशोधन है इसमें। आप के माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संकल्प के अन्त में ये शब्द और जोड़ दिये जाएं:—

"किन्तु जब तक अच्छी प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य और समान रूप से देने की समुचित व्यवस्था न हो सके तब तक राज्य के विशिष्ट व खर्चीले विद्यालयों में प्रतिभाशाली बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शासन की ओर से आर्थिक सहायता तथा शिक्षा कर लगा कर की जाय।"

माननीय, मैं आप के माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सच्चिदानन्द गुप्त का यह प्रस्ताव देखने में जितना आकर्षक प्रतीत होता है व्यवहार में उतना ही कठिन भी है। यह बड़ी अच्छी बात है कि सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले लेकिन यह एकदम सम्भव नहीं हो सकेगा। मैं छोटे-छोटे बच्चों के स्कूल चलाता हूं और मैं उनकी कठिनाइयों को समझता हूं। अध्यापकों को प्रशिक्षण देना होता है। वह प्रशिक्षण काफी कीमती होता है। प्रशिक्षण में काफी समय लगता है। जो अध्यापक बच्चों को अच्छी रीतियों से पढ़ाते हैं उन्हें अनेक प्रकार के साधनों का भी उपभोग करना पड़ता है। अनकों प्रकार के शिक्षण उपकरण, मौडल्स, चार्ट्स, नक्शे और तरह-तरह के संसाधनों के प्रयोग से अच्छी शिक्षा संभव होती है। माननीय, यह कह देना बड़ा आसान है कि इन विद्यालयों को हम बन्द कर देंगे तो शिक्षा अच्छी हो जाएगी। अगर सदन के सारे सदस्यों का यह विश्वास हो कि इन विद्यालयों के बन्द हो जाने से शिक्षा अच्छी हो जाएगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और इन विद्यालयों को अविलम्ब बन्द कर दिया जाए, लेकिन मैं भलीभांति

(इस समय 3 बज कर 12 मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती कलारानी मिश्र पीठासीन हुयीं)

समझता हूं कि जितना कह देना आसान है उतना करना मुश्किल है। इन स्कूलों को आप बन्द कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारे स्कूलों में सब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो वह सम्भव नहीं है। उत्तर प्रदेश को ही लीजिये। प्रदेश की आबादी 10 करोड़ है। इसमें मैं समझता हूं 10 व्यक्ति जिस परिवार में हों उसमें कम से कम 3 बच्चे छोटी अवस्था के होते हैं, जो पढ़ने लायक के उम्र के होते हैं। इसके माने यह हुए कि 10 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में 3 करोड़ बच्चे हैं। उन पर आप का खर्च क्या है? 1, 110 करोड़ रुपया का शिक्षा का बजट है। 110 करोड़ की जगह 120 करोड़ भी मान लें तो 3 करोड़ बच्चों पर 120 करोड़ रुपये हुए, यानी 1 बच्चे पर केवल 40 रुपया एक वर्ष में खर्च करने की योजना है। जब कि 120 करोड़ नहीं, 110 करोड़ का बजट है तो इसके मानी यह हुए कि एक वर्ष में 36 रुपये एक बालक पर व्यय होता है, यानी 3 रुपया महीना प्रति बच्चा। क्या आप 3 रुपये में अच्छी शिक्षा दे सकेंगे? हम सब का मत होगा कि यह संभव नहीं है। अच्छी शिक्षा के माने यह हैं कि एक क्लास में 20 बच्चे से ज्यादा न हों। 20 बच्चों पर 3, 3 रुपया खर्च करेंगे तो 60 रुपया महीना का क्लास पर खर्च आया। तो कैसे पढ़ाई करेंगे? कितना वेतन टीचर को देंगे? इक्विपमेंट क्या देंगे? फरनीचर कैसे होगा? खेल-कूद के लिये, मनोरंजन के लिये, ज्ञान वृद्धि के लिये, व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या उसमें प्रयास कर सकेंगे? अच्छा टीचर आप 60 रुपया देकर रखना चाहें तो नहीं मिलेगा। डेढ़ सौ रुपये में भी वह गुजारा नहीं कर सकेगा। कैसे वह अपना और अपने परिवार का पेट भर सकेगा? न वह इतने में रोटी खा सकेगा, न कपड़ा पहिन सकेगा। कैसे वह मस्तिष्क को स्वस्थ बनायेगा, कैसे ज्ञान वृद्धि के लिए पुस्तकें खरीद सकेगा? जब नहीं कर सकेगा तो पढ़ायेगा कैसे? आज की महंगाई तो आप के सामने है। क्या आप

[श्री जगदीश गांधी---]

कल्पना कर सकते हैं कि 4, 5 सौ रुपये से कम वेतन पाकर कोई अपने परिवार का पालन और अपना गुजारा कर सकता है, अपना मस्तिष्क स्वस्थ बना सकता है जो कि होना चाहिए ? मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बहुत आसान बात है। मेरा सुझाव है जो कि मैंने इसमें संशोधन के रूप में दिया है। वह यह है कि जब तक हम सारे विद्यालयों में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था न कर सकें, जब तक हम प्रत्येक स्कूल में खेल- कूद के साधन न जुटा सकें, अच्छे ट्रेंड अध्यापक न दे सकें, जब तक हम सहायक उपकरणों की व्यवस्था सब स्कूलों में न कर सकें तब तक जो अच्छे स्कूल हैं, जैसे लारेटो हैं, लामार्टीनियर्स हैं, कनवेंट्स हैं मांटेसरीज हैं ये जो अच्छे विद्यालय हैं उनमें जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, प्रतिभासम्पन्न बच्चे हैं उनको स्थान-स्थान से छांटा जाय। जिला तहसील लेविल पर, ब्लाक लेविल पर उनकी प्रतियोगिताएं हों और उनमें जो प्रतिभा संपन्न बच्चे आयें उनको शासन के अनुदान से इन विद्यालयों में पढ़ाया जाय।

इसके अतिरिक्त कुछ कर भी लगाया जाय। मैं पहले भी इस माननीय सदन में अपने सुझाव, प्रस्तुत कर चुका हूं। वह कर इस प्रकार का भी हो सकता है कि जो बच्चे बड़े घरों के, मालदार घरों के बच्चे जो नरसरी, किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ते हैं जो कि 12-12, 20-20 रुपया देकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो 20 नहीं तो 10 रुपया और कम से कम 5 रुपया उन पर शिक्षा-कर लगाया जा सकता है। वह 20 रुपया अपने बच्चों के लिए देते हैं तो 5 रुपया एक्स्ट्रा दें और इस रुपये को पूल कर लिया जाय। उसमें जो टैलेंटेड बच्चे हैं, प्रतिभा-सम्पन्न हैं उनकी शिक्षा उन स्कूलों में हो।

इतना ही नहीं, शिक्षा-कर और भी कई प्रकार का हो सकता है। माध्यमिक विद्यालयों में जिनमें सामान्य बच्चे पढ़ते वहां भी मालदार बच्चे पढ़ते हैं। उनमें यह करदें कि जिनकी 500 रुपये तक आमदनी है उनकी फीस सामान्य रहेगी और अगर उससे ऊपर है तो उनकी फीस में 2 रुपया महीने का इजाफा होगा। मैं एक सुझाव देता हूं। मैं नहीं कहता कि आप 2 रु० करें, आप ढाई करें, तीन करें। जो भी उन स्कूलों में सम्पन्न घरों के बच्चे पढ़ते हैं उन पर थोड़ा सा शिक्षा कर लगाया जाय और उस कर की धनराशि से प्रतिभा सम्पन्न बच्चों को अच्छे विद्यालयों में पढ़ने की व्यवस्था की जाय। शिक्षा-कर की और कई सूरतें हो सकती हैं। इसके बारे में मैं बराबर पिछले तीन वर्षों से इस सदन में सुझाव दे रहा हूं। मैं वित्त मंत्री जी जो भी सुझाव देना चाहता हूं .....

श्री सुरेन्द्र बिक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

व्यवस्था का प्रश्न। नियम 74 में भाषण के लिये समय निर्धारण। चूंकि असरकारी बिबस कभी-कभी आता है, इसलिये आपको अधिकार है कि भाषणों का समय बांध दें ताकि हर एक को अपने विचार व्यक्त करने के लिये समय मिल जाय।

श्री अधिष्ठाता--

15 मिनट का समय दिया जाता है।

श्री सुरेन्द्र बिक्रम--

आप उसे कम कर सकते हैं, आपको अधिकार है। आप 10-10 मिनट कर दीजिये 5-5 मिनट कर दीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

अच्छी बात है।

श्री जगदीश गांधी—

मैं वित्त मंत्री जी से यह निवेदन कर रहा था कि वह स्वयं एक विचारक हैं और बालकों में उनकी रुचि भी है। वह स्वयं आंकड़े देख सकते हैं। 3 करोड़ बच्चों की शिक्षा 110 करोड़ रुपये में नहीं हो सकती। उन्होंने दुनिया के 45—50 देशों का भ्रमण भी किया है। और उन देशों में उन्होंने देखा कि उन देशों के विकास में यदि कोई चीज सहायक हुई है तो वह शिक्षा ही है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह शिक्षा के बजट को बढ़ायें। रुपये की यदि उनके पास कमी है तो शिक्षा-कर लगा कर उसे पूरा करें। लेकिन हर हालत में हमें शिक्षा अच्छी देनी है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो नयी पीढ़ी के बारे में जो हम कल्पना करते हैं कि वह बिगड़ती जा रही है यह समस्या हमारी उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी। समय रहते सावधान हो जाना चाहिये और शिक्षा के संबंध में हमें इस बात को टालने की कोशिश नहीं करनी चाहिये।

अभी मैं रूस गया था और वहां पर छोटे-छोटे और बड़े-बड़े बच्चों के भी स्कूल देखे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां पर प्री-प्राइमरी से लेकर एम० ए० तक सारी पढ़ाई फ्री है। वहां के जितने अच्छे स्कूल हैं मैं कहता हूं कि हमारे नर्सरी, मांटेसरी, किंडरगार्टेन, लोरिटो और कान्वेन्ट स्कूल भी उतने अच्छे नहीं हैं। वहां पढ़ाई के लिये सभी सुविधायें बच्चों को उपलब्ध हैं। वहां टेलीविजन्स हैं, अच्छे से अच्छे साधन हैं और दोपहर का पौष्टिक भोजन शासन की ओर से बच्चों को मिलता है। मैंने जाग्रफी की कैबिनेट देखी, बायोलोजी, फिजिक्स, और कमेस्ट्री की लैबोरेटरीज देखीं। कितनी इक्विप्ड है, कितना उनमें सामान है। उसको यदि शब्दों में मैं वर्णन करूं तो हो सकता है कि माननीय सदस्य आश्चर्य करें। माननीय वित्त मंत्री जी तो स्वयं दुनिया के अनेकों देशों में जाकर वहां की पढ़ाई देख चुके हैं। यही कारण है कि वह देश आज आगे बढ़े हैं। जैसे रूस में आज बच्चों को पौष्टिक आहार मिलता है, सारी शिक्षा फ्री है न उस तरह हो सके तो कम से कम हम इस बजट को चौगुना तो करें। 110 करोड़ रुपये के बजाय 400 करोड़ रु० का बजट शिक्षा-कर लगा कर हो। यदि आप ऐसा नहीं करते तो मैं चेतावनी देता हूं कि वित्त मंत्रीजी को और सरकार को बहुत समय तक इस प्रदेश की जनता और विद्यार्थी इंतजार करने की स्थिति में नहीं हैं। इस प्रदेश में आग लग जायगी। विद्यार्थियों को यदि अच्छी पढ़ाई नहीं दी तो याद रखिये विद्यार्थी तूफान मचा देंगे। आग लगा देंगे और एक भयानक स्थिति पैदा कर देंगे। समाज ऐसे ही जर्जरित हो रहा है और भी जर्जरित हो जायगा। सारी चीजों में सबसे अधिक महत्व शिक्षा को दीजिये। दुनिया के सारे देश इस शिक्षा पर होने वाले व्यय को विनियोजन मानते हैं जबकि आप इस व्यय को खर्चा ही मानते हैं। मेरे दिमाग में शिक्षा संबंधी ही कितने ही विचार हैं और मैं अपने विचारों को शिक्षा समितियों में कह भी चुका हूं। शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ सरकार कर रही है, बन्द कर देना चाहिये। शिक्षा एक ऐसा कोमल विषय है जिस पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। आज 25 वर्ष का समय बीत गया, मगर इस पर विचार नहीं किया गया। आप कहीं से पैसा लाइयें, चाहे केन्द्र से लीजिए, चाहे शिक्षा कर लगा कर लाइये, मगर इस शिक्षा बजट को बढ़ाइये और अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान कीजिये वरना प्रदेश की स्थिति भयानक हो जायेगी।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

माननीया अधिष्ठाता महोदया, अभी जो हमारे साथ बोल रहे थे उन्होंने बताया कि आज प्रदेश के एक बच्चे पर 3 रुपया माहवार खर्च शिक्षा पर किया जा रहा है। माननीय सदस्य स्वयं भी काफी खर्चीले स्कूल चलाये हुए हैं। उनके स्कूलों में 10 रुपये से ऊपर फीस एक बच्चे से ली जाती है। लखनऊ में चारबाग में जो एक शिशु विद्या मन्दिर या ऐसा ही कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी---]

नाम के स्कूल हैं जहां 300 रुपया माहवार एक बच्चे पर खर्च आता है। दून स्कूल में 700 रुपये माहवार खर्च आता है। जो यहां ताल्लुकेदारों का कालिज है वहां पर भी 500 रुपये माहवार खर्च आता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि समाजवाद की यह हवा किधर बह रही है? एक तरफ कामन बच्चे पर 3 रुपया माहवार खर्च हो, दूसरी तरफ 700 रुपये माहवार खर्च हो तो यह क्या है? आपका समाजवाद किधर जा रहा है? इससे लज्जाजनक स्थिति और क्या हो सकती है। मैं माननीय सच्चिदानन्द गुप्त जी का आभारी हूं कि वे इस तरह का प्रस्ताव यहां लाये। मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, इस प्रस्ताव की मूल रूप से 2-3 बातें मुख्य हैं। पहली बात तो यह है कि बराबरी कायम करने के लिये खर्चीले स्कूलों को बन्द किया जाय। दूसरे यह कि शिक्षा की प्रगति के लिये शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय। शिक्षा सब को सामान्य रूप से दी जाय। इतना सीधा-सादा और कोई दूसरा प्रस्ताव हो नहीं सकता। इस प्रस्ताव का भी माननीय सदस्य विरोध कर रहे हैं। आज हम बराबरी का नारा लगाते हैं। बराबरी है क्या? गैर बराबरी माली और दिमागी होती है। दिमागी भी दो प्रकार की है। एक पढ़ाई की है। अभी हमारे एक साथी कह गये कि अगर कोई लड़का धनी स्कूल में पढ़ता है तो उसका कोई असर नहीं होता है? हमें ऐसा लगता है भले ही वह देहात से चुनकर चले आये हों, किन्तु देहाती जीवन और राष्ट्रीय जीवन का उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। हिन्दुस्तान ही ऐसा देश है, जहां बोली और पोशाक का अन्तर करके मानव पर शासन किया जा रहा है। अंग्रेजों ने भारत की जनता पर शासन करने के लिए यही सब किया था जिसे हम लोग भी निभाते चले आ रहे हैं। प्राचीन जमाने में हमारे पुर्वों की भी नीयत साफ नहीं रही, क्योंकि उस समय भी समाज के विशिष्ट वर्ग की बोली संस्कृत थी और आम जनता की बोली अपभ्रंश थी। यह स्कूल भी यही काम कर रहे है। उनमें प्रथम चरण से ही भाषा अंग्रेजी और पोशाक टाई और कोट पेंट प्रचलित होता ह अनिवार्य रूप से ऐसे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका अध्ययन, रूझान विद्या की तरफ कम और भाग की तरफ ज्यादा, पैसे की तरफ ज्यादा हो जाता है। इन स्कूलों में पढ़ कर जो विद्यार्थी निकलते हैं, उन्हें कुर्सी पर बिठा कर यदि आप उनसे यह चाहें कि वह आम जनता के साथ, किसान--मजदूर के साथ समानता और मानवीयता का व्यवहार करेंगे और उनकी दुःख कथा सुन पाएंगे, तो इससे आप को सदैव ही निराश होना पड़ेगा। हम लोग राजनीति में नौकरशाही की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि उस पर किसी का अधिकार नहीं। नौकरशाह जो आज कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, ग्रामीण जनता से उनका कोई तालुक नहीं रहता है, वे समझते हैं कि हम जनता के सेवक नहीं उनके मालिक हैं।

आज हमारे यहां दो प्रकार के स्कूल चल रहे हैं। ये खर्चीले स्कूल हजूर-वंश और ग्रामीण स्कूल मजदूर-वंश पैदा कर रहे हैं। और हिन्दुस्तान की जनता इन दोनों के बीच में पिस रही है। दो प्रकार की शिक्षा पद्धति, दो प्रकार के इन प्राथमिक विद्यालयों को मिटाये बिना इस देश में समाजवाद आ सकना, गरीबी हट सकना, असम्भव है। शिक्षा एक राष्ट्रीय दायित्व होता है। राष्ट्र का कर्त्तव्य होता है कि राष्ट्रीय दायित्व को निभाने के लिये प्रथम श्रेणी से ही सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जाए। परिवार शिक्षा की प्रथम संस्था है और उसके बाद इन स्कूलों का नम्बर आता है। और उन प्राथमिक स्कूलों में गरीब अमीर का इतना विषम अन्तर है कि गरीब का लड़का एक प्रकार के स्कूलों में पढ़े और अमीर का लड़का दूसरे प्रकार के विशेष स्कूलों में पढ़े। इसके चलते आप यह सोचें कि देश से असमानता मिट जाए तो यह हो नहीं सकता है। श्रीकृष्ण राजा के लड़के थे और सुदामा जी एक गरीब ब्राह्मण थे, ये दोनों लड़के--राजा और रंक एक साथ एक गुरु के यहां अध्ययन करते थे। उसका नतीजा यह हुआ कि राजा कृष्ण के पास जब गरीब सुदामा दौड़कर जाते हैं तो कवियों की कवितायें उसके वर्णन से उमड़ पड़ती हैं, कितने आदर, सहानुभूति और आत्मीयता के साथ श्री कृष्ण ने सुदामा को गले

लगाया यह सब को मालूम है। वहां पर भोग नहीं कर्मयोग सिखाया जाता था। गरीब अमीर सब को समान शिक्षा दी जाती थी, वहां पर उन्हें त्याग और बलिदान सिखाया जाता था। वहां बच्चे भिक्षा मांग कर खाने को जमा करते थे और गुरु के लिये लकड़ी और फल-फूल इकट्ठा किया करते थे। सभी परिश्रम करके गुरु के घर में जमा कर गुरु की सेवा किया करत थे। उस समय की जो शिक्षा थी, वह एक उत्पादक शिक्षा थी। आज जो खर्चीले स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है, वह भोगी बनाने का कार्य कर रही है।

श्री हीरासिंह बोरा (जिला पिथौरागढ़)—

हाउस में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गण पूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

तो मान्यवर, मैंने एक उदाहरण यह दिया कि आज समता और मानवता का दृष्टिकोण लाने के लिए जरूरी है कि गरीब और अमीर के लड़के एक स्कूल में पढ़ें। जो खर्चीले स्कूल आज चल रहे हैं उन लड़कों को मानव संतान बनाने के पहले धनी की संतान बना दिया जाता है। वह लड़के यही समझते हैं कि हमें यह शिक्षा इसलिए मिल रही है कि हमारा बाप धनी है। यह उसके दिल में बैठा हुआ है और जिस लड़के के दिल में यह बैठा हुआ हो कि धन के कारण हमे यह शिक्षा मिल रही है, जब जीवन में वह प्रवेश करेगा तो धन के पीछे दौड़ेगा। यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज चोरबाजारी, भ्रष्टाचार, काला बाजार बढ़ता चला जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने में इने गिने थे, छः सात से ज्यादा नहीं थे। आज कोई जिला बाकी नहीं है जहां खर्चीले स्कूल नहीं हैं। बलिया जिले में दो तीन चल रहे हैं। अब कुछ राजनीतिक पार्टियां भी खर्चीले स्कूल खोल रही हैं। कम्युनिस्ट पार्टी कामरेड तैयार करती थी, अब दूसरी राजनीतिक पार्टियां दूसरे कामरेड तैयार कर रही हैं। शायद कोई शहर बाकी नहीं है जहां खर्चीले स्कूल न बढ़ गये हों। गांधी जी ने साफ कहा था। शहर वाले भारत में और गांव वाले भारत में एक को चुनना होगा। महात्मा गांधी की इस वाणी को आप देखें। ग्रामीण भारत में गरीब जनता रही है, किसान मजदूर रहता है। खर्चीले स्कूलों में कितने किसान और मजदूर के लड़के पढ़ते हैं? जगदीश गांधी जी को मालूम है, उनके स्कूलों में कितने गरीबों के लड़के पढ़ते हैं वह आंकड़े दे देंगे। कौन किसान मजदूर उनको फीस देगा जो दस रुपया से अधिक है? जब कि उसकी तीन आने और 11 आने प्रति दिन कमाई पड़ती है। मैं समझता हूं कि शिक्षा मन्त्री सिद्धांततः सहमत होंगे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में। उनके सामने आर्थिक कठिनाइयां हो सकती हैं, अनिवार्य शिक्षा करने में पैसे की कमी हो सकती है लेकिन जब समाजवाद का झोंका बह रहा है और आपकी मजबूरी हो तो कम से कम इस प्रस्ताव को सिद्धांत रूपमें स्वीकार कर लें। जगदीश गांधी कहते थे कि अच्छी शिक्षा हो लेकिन जब दो प्रकार के स्कूल होंगे तो अच्छी शिक्षा हो नहीं सकती। आपके लड़के खर्चीले स्कूलों में पढ़ेंगे और हमारे लड़के गांव के उन स्कूलों म पढ़गे, किसान मजदूर के लड़के उन स्कूलों में पढ़ेंगे जिनके लिये न इमारत है, न अच्छी साज सज्जा है, न ब्लैकबोर्ड है और न अच्छ मास्टरों की व्यवस्था ही है। इसलिये बन्द करो खर्चील स्कूलों को तब मिनिस्टर की निगाह जायगी गांव के उन स्कूलों की तरफ जहां टाट पट्टी की व्यवस्था होती है और पेड़ के नीचे बैठने को मिलता है। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्री सुरेन्द्र विक्रम—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का आपने अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। यह जो प्रस्ताव है इससे मैं अपनी सहमति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

प्रकट नहीं करता। अगर यह होता कि जितने विद्यालय और स्कूल खोल गये हैं उनको वही स्तर कर दिया जाय तो पब्लिक स्कूल्स का है तो ज्यादा अच्छा रहता। हमारे यहां शिक्षा का स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है। किसी विकासशील देश के लिये यह आवश्यक है कि उसकी शिक्षा का स्तर ऊंचा हो क्योंकि जो शिक्षा हमारे छोटे-छोटे बच्चे प्राप्त करते हैं उसे पाकर ही उनमें से कुछ प्रधान मन्त्री तथा मुख्य मन्त्री बनने वाले हैं। यह न हो कि शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर जाय कि 132 देशों में जो हमारा नम्बर 102 है वह और नीचे हो जाय। यह सही है कि पब्लिक स्कूलों की शिक्षा बड़ी खर्चीली है लेकिन वहां अनुशासन भी बहुत अच्छा है। वहां से निकले बच्चे अच्छी सर्विसेज में आते हैं, अनुशासनहीन नहीं बनते, योग्य बनते हैं। हमारे यहां छोटे-छोटे स्कूल हैं और वे प्रत्येक ग्राम सभा तथा न्याय पंचायत में खुलते जा रहे हैं। जितने स्कूल खुले हुए हैं उनका स्टैंडर्ड ऊंचा कर दिया जाय। अच्छे और योग्य अध्यापक उनके लिये मुहइया कर दिये जायं। बहुत से स्कूल छप्परों के नीचे लगते हैं, उनके लिये न इमारत है, न कुर्सी है, न ब्लैकबोर्ड है, न अध्यापक की व्यवस्था है। बेहतर है कि नये स्कूल खोलना बन्द किया जाय और जितने स्कूल खुले हुए हैं उनका स्तर अच्छा किया जाय।

शिक्षा के क्षत्र में हमारा प्रदेश वैसे ही पिछड़ गया है। हमारे विद्यार्थियों में उद्दण्डता है। उसका कारण यह है कि उनकी कुछ आशायें हैं और उनको पूरा करने में हम पूर्ण रूप से असमर्थ रहे हैं। उनके एडमिशन, फीस की समस्या है। अच्छे स्कूलों में सीट्स बहुत कम हैं। उनमें दाखिला नहीं हो सकता। विद्यार्थी अनुशासनहीन होते जा रहे हैं और वे पार्टीबन्दी के शिकार हैं। दिन प्रतिदिन शिक्षा का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। विद्यालयों में जो इन्डिसिप्लिन, इन-सबोर्डिनेशन और आये दिन तमाशा हो रहा है और उसके फलस्वरूप देश के सामने जो संकट पदा हो गया है उसका एक मात्र यही कारण है कि हम अच्छी शिक्षा बच्चों को नहीं दे पाते हैं। किसी भी सरकार का सबसे पहला कर्तव्य यह होना चाहिये कि वह शिक्षा का प्रबन्ध ठीक प्रकार से करे। इसके साथ ही शिक्षण संस्थाओं में मेडिकल फैसिलिटीज का होना भी अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक बच्चें को, चाहे किसी का बच्चा हो, जो टैलेन्टेड हो, उसे समान अवसर और अधिकार दिये जायं। चाहे वह बड़े आफिसर का बच्चा हो अथवा किसी मन्त्री का बच्चा हो, सबको समानरूप से मानना चाहिये। इसके लिये सरकार को एक कमेटी का गठन कर देना चाहिये जो कि इस संबंध में जांच करे और जानकारी हासिल करके यदि नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता भी पड़े, उसकी रिपोर्ट दे। कोई भी टैलेन्टेड बच्चा जो कि फर्स्ट क्लास हो और चाहे नागरिक हो, उसका खर्चा सरकार वहन करे और उसकी पढ़ाई स्वयं अपने खर्चे पर करे। यदि कोई बच्चा स्कूलों में पढ़ने की रुचि न रखता हो तो उसकी पढ़ाई पर रोक लगा कर उसे आई0 टी0 आईज0 में भर्ती किया जाना चाहिये। ताकि वहां से वह उन्नति आगे कर सके। इस विषय पर श्रीमन्, अधिक बोलना चाहता था किन्तु समय की कमी के कारण और हमारे माननीय जायसवाल जी मेरी तरफ बार-बार देख रहे हैं, शायद वे बोलना चाहते हैं, इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री ए0 सी0 ग्राइस (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो इसे लाये हैं मैं उनसे पूछूं कि वे आखिर खाना क्या खाते हैं पराठा खाते हैं या घी की चप्राती खाते हैं या अव्वल दर्जे का चावल खाते हैं? वे यह नहीं सोचते हैं कि वह बेचारा जो कि देश के लिये रो रहा है वह क्या खाता है? क्या वे यह नहीं सोचते हैं कि हजारों के पेट खाली हैं.....

श्री जगदीश गांधी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि माननीय ग्राइस साहब बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। लेकिन एक बात वह गलती से कह गये कि संशोधन का विरोध करता

हूं। यह संशोधन तो मेरा है तो आप प्रस्ताव का विरोध करते हैं और इसकी ताइद करते हैं।

श्री ए० सी० प्राइस--

मैं तो उनसे यह पूछ रहा हूं कि वे क्या खाते हैं और कहां रहते हैं? जब वे घूमने निकल जाते हैं तो यह नहीं देखते हैं कि उनके ऊपर कौन सी छत है और किस किस्म की छत है। एक बेचारा जो कि पेमेन्ट बेसिस पर किराये में रहता है वह कैसे रहता है। ऐसा संशोधन या प्रस्ताव क्यों नहीं लाते हैं कि जितने मकान हैं उन सबको चौपट कर दिया जाय? जिस पेड़ से छाया मिल रही है उसी को काट दिया जाय यह क्यों नहीं सोचते हैं? सरकार सन् 47 से 63 तक जो अनुदान एंग्लो इंडियन स्कूलों को देती रही है उसमें 7 साल रुपये की बचत होती रही है। क्यों नहीं उस ग्रान्ट को दूसरी स्कूलों में लगा दिया गया और उन स्कूलों के स्तर को ऊंचा किया गया? उनको आंखें हैं केवल यह देखने के लिये कि जो अच्छी इमारतें हैं वे सारी की सारी तोड़ डाली जायं, चाहें दूसरी इमारत बनवाये या न बनावें। हम लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हम लोगों का जो दिमागी स्टैन्डर्ड है वह अलग-अलग होता है। सब का एक सा नहीं होता है। पेमेंट पर रहने वाले लोगों की तरह सब का दिमाग होता तो वे ही लोग यहां पर भी आते। आपके लाईयर्स व अन्य पढ़े लिखे लोग नहीं आते। डिफरेंट स्टैन्र्ड के लोग हैं और डिफरेंट स्टैंडर्ड का ही उनका दिमाग है। आप दुनिया के किसी देश को भी ले लें, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, कहीं भी एक स्टैंडर्ड नहीं है। सब जगह डिफरेंट स्टैंडर्ड है। जिसका जैसा दिमाग होगा उसी के माफिक उसको तरक्की मिलेगी। यह कह देना कि जो बड़े-बड़े पागल हैं, उनको रांची, आगरा से निकाल कर इस कुर्सी पर बैठा दिया जाय तो वह हमारा अध्यक्ष बन सकता है। वह कोई भी हो सकता है। जहां कम्युनिज्म है वहां भी एक लेबलिंग नहीं है। रूस ने कोशिश करी लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हो सका। चीन में कम्युनिज्म हुआ लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। जहां बर्बरता करने वाले हैं उनसे तो खुदा ही बचावे लेकिन कहा गया है कि जैसी शिक्षा होगी वैसा ही दिमाग होगा। जहां का जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसी के हिसाब से उसका स्टैंडर्ड भी डिफर करता है। हमारे चौधरी शम्भू नाथ जी ने जो इसके लिये अभी कहा है, वे भी किसान के ही बच्चे हैं और मैं उनसे कहता हूं कि वे मेरे साथ झांसी, आगरा, देहरादून चल कर देखें, आपको मैं बतला दूंगा कि कौन-कौन किसान के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मैंने गरीब किसानों के लिये कहा है, अमीर किसानों के बच्चे ही वहां पढ़ते होंगे।

श्री ए० सी० प्राइस--

हमारे यहां क्राइस्ट चर्च स्कूल में राज्यपाल का लड़का और राज्यपाल के चपरासी का लड़का एक ही साथ-साथ एक मोटर में बैठ कर जाता है और अगल बगल ही बैठते हैं। इस तरह से हमारे यहां टोटल इन्टेगरेशन है, लेकिन आपके किसी स्कूल में टोटल इन्टेगरेशन नहीं है हमारे यहां के स्कूलों में किसी लड़के से कोई यह नहीं पूछता कि कौन हिन्दू है, कौन मुसलमान है या कौन ब्राह्मण या कायस्थ है। आपके स्कूलों में तो पार्टीबाजी और ठाकुरबाजी चलती है। साथ ही जो यहां ज्यादा चिल्लाते हैं वे ही अपने बच्चों अपने स्कूल में ले लेने के लिये हमसे कहते हैं। जो आज अंग्रेजी के खिलाफ हैं उनके 10 पुश्त हमारे स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी बतला दूंगा लेकिन हाउस में उनका नाम लेकर उनको बेइज्जत नहीं करना चाहता।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मैं तो कभी नहीं गया आपके पास इसके लिये?

श्री ए० सी० जाइस—

आपका बच्चा होगा तो आप भी जायेंगे। आप तो यहीं चाहते हैं कि जो अच्छे स्कूल बने हुए हैं, जो अच्छी इमारतें हैं, उनको गोशाला की तरह से बना दिया जाय ताकि गाय भी वहीं रहे, टट्टी भी वहीं करे और पढ़ने वाला बच्चा भी वहीं रहे। आपके यहां शिक्षा में भी पार्टीबन्दी है जब कि शिक्षा में कोई भी पार्टीबन्दी नहीं रहनी चाहिये। आज जो लड़का है वही कल का सिटिजन है। पिछले 25 सालों में क्या हुआ है, केवल हिन्दुस्तान की बर्बादी हुई है। 25 सालों के अन्दर सिवा इसके आपने कुछ और नहीं किया कि चुनाव के मौके पर लड़कों को उसमें घसीट कर उनको पोलिटिक्स सिखलाया। आज क्यों टीचर्स के पीछे भाग रहे हैं, सब कहते हैं कि एजूकेशन अच्छा हो लेकिन दिल में कुछ नहीं है। टीचर्स व स्टूडेंट्स के प्रोटेक्शन के लिये कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स के लिये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। एजूकेशन के लिये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। आप यह चाहते हैं कि जो स्कूल इस्टेबिलश्ड हैं उनको खत्म कर दिया जाये, उनको बर्बाद कर दिया जाय। आप देखिये कि एडमिनिस्ट्रेशन में कहां से लोग आते हैं। चाहे वह मुंसिफ हों, जज हों या एस० पी० हों या आई० ए० एस० या पी० सी० एस० के आफिसर हों, ज्यादातर लोग एंग्लो इंडियन स्कूलों से और हमारे स्कूलों से ही आते हैं। आप लोग उत्तर प्रदेश के आई० ए० एस० और पी० सी० एस० केडर के लोगों को देख लीजिये उनका इनटेक पहले 35 परसेंट था जो अब घटकर केवल ढाई परसेंट ही रह गया है। यह आल इंडिया बेसिस पर है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के आई०ए०एस० आफिसर्स नहीं मिलेंगे। साउथ इंडियन्स, बंगाली वगैरा मिल जायेंगे। इस कैडर में हमारे स्कूलों से ही लड़के आ रहे हैं और आपके स्कूलों से लड़के नहीं आ रहे हैं। इसलिये नहीं आ रहे हैं कि आप लोग शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान नहीं दे रहे हैं। मन्त्री जी खुद गौर करके देख लें कि पहले आई० ए० एस० और पी०सी०एस० आफिसर्स का टोटल इनटेक 35 परसेन्ट था जो अब केवल ढाई परसेन्ट ही रह गया है।

मैं यह कह रहा था कि यह कहा जाता है कि हमारे स्कूलों की फीस ज्यादा है। जब हमारे डाक्टर साहब शिक्षा मन्त्री थे तो उन्होंने भी मुझसे यही बात कही थी कि तुम्हारे स्कूलों में फीस ज्यादा है। मैंने उस वक्त उनसे कहा था कि आप हमारे यहां की फीस को देखिये और अपने स्कूलों की फीस को देखिये और उसमें जो ग्रांट आप देते हैं उसको प्लस कर दीजिये तो आपको मालूम होगा कि हमारे स्कूल की फीस आपके स्कूलों से कम ही निकलेगी। जब डाक्टर साहब ने देखा तो उनको मानना पड़ा कि उनके स्कूलों की फीस हमारे स्कूलों से ज्यादा है। जब सरकार हमको ग्रांट दे रही थी तब तो कह सकती थी कि आपका खर्चा ज्यादा है। हम लोग टीचर्स को पहली तारीख को सेलरी दे देते हैं और हमारे यहां के स्कूलों में टीचर्स का कोई एजीटेशन नहीं है। हम लोग गवर्नमेन्ट ट्रेजरी को फीस नहीं देते हैं। आपके यहां के स्कूलों की 80 परसेन्ट फीस गवर्नमेन्ट ट्रेजरी में जमा होती है और सरकार उसको पूरा करती है। हमारे स्कूलों में बुक्स, स्टेशनरी, ट्यूशन फीस मिलाकर 30 रुपये पड़ती है जब कि आपके यहां ग्रांट मिला कर 38 रुपये पड़ती है। धन्यवाद।

*श्री अनन्त राम जायसवाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय ग्राइस जी का भाषण मैं बड़ी गौर से सुन रहा था। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि वह जो नजरिया उपस्थित कर रहे थे और जो दलील दे रहे थे वह हिन्दुस्तान के 50 लाख बड़े लोगों तक ही सीमित है। यह उनकी दलील और नजरिया है जो ग्राइस साहब के जरिये यहां आ रहा था। लेकिन यह प्रस्ताव हिन्दुस्तान की करोड़ों जनता की ओर से है और इसी प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। श्री ग्राइस ने कहा कि उनके स्कूल हमारे सबके आकर्षण के कारण बने हुए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं और वैसे ही स्कूल जो दूसरे लोग चला रहे हैं उनमें पढ़े लिखे लड़कों को ऊंची सरकारी नौकरियों में जगह मिलती है और उनके अलावा अन्य स्कूल ऐसे हैं जहां पर कि गांवों के गन्दे, गाली बकने वाले गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिनका कि प्रवेश उनमें नहीं हो पाता है। वहां केवल एक ऊंचे स्टेंडर्ड के लोग पढ़ते हैं इसलिये वे केवल 50 लाख बड़े लोगों के आकर्षण केन्द्र बने हुए हैं और वे बराबर उनको आकर्शित करेंगे और जो दलीलें दी गई हैं वे इसी तरह से ऐसे ही दी जाती रहेंगी। मैं माननीय ग्राइस से निवेदन करूंगा कि ऐसे स्कूलों का खास तौर से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बने रहने से न तो देश की तरक्की होगी और न हमारे संविधान की मनशा और आत्मा ही पूरी होगी और न ही देश में लोकशाही की बुनियाद मजबूत होगी और न यहां पर किसी तरह का भी भ्रष्टचार मिट सकेगा।

श्री ए0 सी0 ग्राइस—

मैं एक क्लोरिफिकेशन दे दूं कि यह बात गलत है कि हमारे स्कूलों में खर्च ज्यादा है हमारे स्कूलों में लड़कों के एक्सपेंसेज ज्यादा होते हैं यह बात सही नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह स्कूल आपके हमारा जो संविधान है, जो हमारा दस्तूर है उसकी मंशा के बिलकुल खिलाफ है। हम ने घोषणा की थी कि भारत सम्पूर्ण सत्ता सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनेगा जिसके हर शहरी को राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय मिलेगा। इसी तरह से हर शहरी को और समस्त शहरियों को विचार की अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म के प्रदर्शन की स्वतंत्रता मिलेगी, आजादी होगी। सब के लिये उन्नति के अवसरों की समता रहेगी और शहरी-शहरी के बीच कोई भेदभाव न होगा। इस तरह की घोषणा हमने अपने संविधान में की थी। लेकिन आप देखें कि क्या ऐसे स्कूल आज देश के साधारण लोगों के बच्चों की पहुंच के अन्दर है? और अगर नहीं हैं तो मैं कहता हूं कि देश का जो संविधान है उसकी आत्मा की हत्या होती है, वह मर जाती है और उनके साथ अन्याय होता है।

जहां तक इन स्कूलों की फीस की बात है, खाली ट्यूशन फीस नहीं, बल्कि जितने रेजीडेंशियल स्कूल हैं वहां पर एक बच्चे का औसत खर्च तीन चार रुपये से किसी हालत में कम नहीं आता। मैं पूरे चैलेन्ज के साथ कहूंगा किसी भी रेजीडेंशियल स्कूल में एक लड़के पर तीन चार सौ रुपया मासिक से कम खर्च नहीं आ सकता।

श्री ए0 सी0 ग्राइस—

बिलकुल गलत।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अगर मेरी बात गलत हो तो इस सदन की एक जांच समिति इसी तथ्य के लिये बिठा दी जाय और मालूम किया जाय कि इन प्राइवेट स्कूलों के जो रेजीडेन्शियल है खर्चा तीन चार सौ रुपया मासिक से कम तो नहीं आता है। इन स्कूलों में बच्चे की पोशाक, उनके रहन सहन, खेलकूद वगैरा के जितने भी खर्च हैं उन पर इतने से किसी हालत में कम खर्च नहीं आयगा। अगर पूरे देश की औसत आय 550 रुपया साल है ओर नीचे के लोगों की तीन चार आना रोज ही है और यह निचले दर्जे के लोग 55 करोड़ में से 40 करोड़ के आसपास ही होंगे और दूसरे जो लोग है वह 50 लाख को छोड़कर केवल 2–3–4 रुपया रोज की आय वाले हैं। हमारा यह निश्चित दावा है कि अगर ग्राइस साहब की बात को सही माना जाय तो 50 लाख बड़े लोगों के बच्चों के अलावा और सारे वर्गों के लोग देश में शिक्षा से वंचित रह जायेंगे।

श्री ए० सी० ग्राइस—

मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि इन 55 करोड़ व्यक्तियों में से कितने लोग घी की चपाती खाते हैं?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यदि माननीय ग्राइस साहब को घी की चपाती मिल जाती है तो ये समझते हैं कि सबको मिल रही है।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---

घी की चपाती तो इस देश में करीब-करीब 20-25 लाख व्यक्ति ही खाते हैं लेकिन जो भाई जायसवाल जी कह रहे हैं वे तो ग्राम जनता के बारे में कह रहे हैं। इन्होंने तो 2 फिर्के पैदा कर दिए हैं। एक फिर्का तो वह है समाजवाद में जो रास्ता है, उसमें अमीर और गरीब का फिर्का है। तो कैसे हम माननीय ग्राइस साहब को समझायें कि किस प्रकार से हमारे गरीब भाइयों के बच्चे वहां पढ़ सकते हैं?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो हमारा वीकर सेक्शन है, अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित आदिम जातियां हैं उनकी शिक्षा और अर्थ के हितों की विशेष सुविधाएं की राज्य रक्षा करेगा। संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपिल्स में यह घोषणा की गयी है कि जो पिछड़ा वर्ग है, उसके साथ तर्जीह देने वाली व्यवस्था की जाएगी। जो तर्क माननीय ग्राइस साहब दे रहे हैं, उसी के कारण आज हमारे स्कूल्स नहीं बन पा रहे हैं। आज 2 प्रकार के स्कूल्स हो गये हैं। एक तरफ तो वे स्कूल्स हैं जिनमें अच्छी इमारतें हैं अच्छे पढ़ाने वाले हैं, अच्छी साज-सज्जा है, अच्छी-अच्छी पुस्तकें हैं और अच्छा वातावरण है, दूषित नहीं है, बल्कि शुद्ध वातावरण में वे स्कूल बनाये गये हैं। यह मैं मानता हूं लेकिन अगर हिन्दुस्तान के इने गिने जो लोग हैं, उनके लिए अलग इमारत रहेगी तो हमारे स्कूल कभी भी सुधर नहीं सकते हैं। ये ही लोग मालिक हैं, इनका कब्जा राजनीति में है, व्यापार में है, अफसरों पर कब्जा है। इन्हें ही ऐसे अच्छे स्कूल्स मिल जाते हैं तो वे हमारे स्कूलों में कभी भी पढ़ने नहीं आयेंगे और जब नहीं आयेंगे तो उनकी हालत में कभी सुधार नहीं हो सकता है। हमारे स्कूलों की हालत हमेशा चौपट रहेगी, इमारत नहीं रहेगी, साज सज्जा नहीं रहेगी, कहीं किताबें नहीं होंगी, कहीं पर बैठने के लिए टाट नहीं होगा, तख्ता स्याह नहीं होगा। अगर यह डर पदा हो जाय कि गरीब आदमियों के बच्चों के साथ रह कर वे बच्चे भी गाली देंगे, तब उनको सुधारा जा सकता है। तो पहले आप के स्कूलों को बन्द करके मजदूरों और किसानों के बच्चों के साथ बैठने पर उन्हें मजबूर कीजिए तब आप उनकी हालत में सुधार कर सकेंगे अन्यथा नहीं। भ्रष्टाचार भी नहीं मिटेगा।

आज कौन नहीं चाहता कि उसके बच्चे भी राजा स्कूल में पढ़ें। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अफसर बनें, डिप्टी कमिश्नर बनें लेकिन हर चीज पर इन मालिकों का कब्जा है। मान लीजिए, बदकिस्मती से मुझे अवसर नहीं मिला, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चों को भी यह अवसर मिले। और जो खर्चा है आपके यहां का वह जायज आमदनी से पूरा नहीं कर सकते हैं। नतीजा यह होता है कि उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिये भ्रष्टाचार का सहारा व्यक्ति ढूंढ़ता है यानी राजा स्कूलों में पढ़ाने के लिये। मैं समझता हूं कि जिस दिन उन पर पाबन्दी लगायी जायगी यहां पर बेईमानी और भ्रष्टाचार की मद ही खत्म हो जायेगी। जब यह खत्म हो जायेगी तो क्या जरूरत है उस खर्चे के लिये नाजायज पैसा इकट्ठा करने की।

(लाल बत्ती होने पर)

जब प्रधान मंत्री या राष्ट्रपति या बिरला टाटा से सम्बन्धित उन लोगों के बच्चे हिन्दुस्तान के सारे लोगों के बच्चों के साथ बैठेंगे---जैसा कि कहा गया कि---वे बेचारे तो ऐसे मकानों में रहते हैं जहां आदमी-जानवर एक साथ रहते हैं जिनके भोजनालय और शौचालय में अन्तर कम रहता है। जब इस तरह के बच्चे आपके बच्चों के साथ मिल कर बैठेंगे तभी लोकशाही की नींव पड़ेगी। जो इतनी दूरी हो गई है उनके साथ बैठने की बात भी दिमाग में नहीं लाना चाहते हैं तो जब स्कूल्स एक साथ हो जायेंगे तो आपकी संगति से वे बच्चे भी सुधर जायेंगे।

और वह तभी हासिल होगा जब आप सहयोग देंगे। इसके अलावा जो हमारी पुरानी नीति थी अंग्रेजी को कायम रखने की वह भी वैसी ही है। अंग्रेजी के रहते मातृभाषा आ जाय, जैसे तामिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया तो इस मातृभाषा के जरिये से विषय ज्ञान बढ़ेगा और तब ग्राइस साहब हमको कम्पीट नहीं कर पायेंगे ग्राइस साहब, जब ये मातृभाषा का माध्यम चल जायेगा तो उनके बच्चे हमारे बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर पायेंगे और हमारे बच्चे पिट नहीं सकेंगे तब। लेकिन कम्बख्त सरकार चाहती है कि यह अंग्रेजी चलती रहे। और यही माध्यम सामन्ती भाषा अंग्रेजी का कायम रहे। इसी कारण गरीब जो लड़के हैं वे कम्पीट नहीं कर पाते हैं। गरीब आदमी भी सोचता है कि अंग्रेजी ही क्यों न फिर पढ़ाई जाय। वे अंग्रेजी ही आप्ट करते हैं। वे कहते हैं कि छठी और सातवीं से ही अंग्रेजी क्यों चलाई गई है यहां पर। वकालत से भी हम चाहते हैं कि अंग्रेजी भाषा का माध्यम खत्म हो लेकिन वे उसके लिये भी मांग करने लगते हैं कि अंग्रेजी चले। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान की लोकशाही की नींव को मजबूत करने के लिये संविधान की रक्षा करने के लिये इस तरह के स्कूल बन्द कर दिये जायं।

मान्यवर, जगदीश गांधी की क्या बात है। इन्होंने तो पूरी एक कम्पनी ही खोल रखी है। इनके जैसे लोग कहेंगे कि जब तक स्कूल अच्छे न हो जायं तब तक इनके स्कूल चलते रहेंगे। न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी और जगदीश गांधी की कम्पनी चलती रहेगी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान्यवर, इस प्रकार मैं विचाराधीन संकल्प का पुरजोर समर्थन करता हूं।

*श्री हुकुम सिंह (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, विषय साधारण है। स्पष्ट विषय को भी अस्पष्ट कर दिया है और इसकी जो विशेष महत्व की बात है उसको छोड़कर अपनी-अपनी दलील में अपनी-अपनी सुविधा करने में सदस्य लगे हुए हैं। देश के अन्दर सबसे बड़ी चीज यह है कि यहां की जनता अधिकतर देहातों में रहती है या गरीब है। उसका उत्थान कैसे हो और जो असभ्य कहे जाते हैं उनको सभ्य कैसे बनाया जाय। असभ्यों को सभ्य बनाने के लिये शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा का सबसे पहले प्रचार देहातों में प्राइमरी स्कूलों में होता है जहां पर गरीब लड़के पढ़ते हैं। जिनके पास कोई भी अच्छे साधन नहीं हैं। जैसे अभी ग्राइस साहब और जगदीश गांधी जी के प्रस्ताव चल रहे थे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यह जो प्रस्ताव है कि राज्य में खर्चीले स्कूल बंद कर दिये जांय तो इसकी जगह यह होना चाहिए कि सभी स्कूल एकसा कर दिये जांय तो ज्यादा अच्छा होगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई अच्छी चीज है तो उसे मिटाने की जरूरत नहीं है। हां, जो बुरी चीज है उसको मिटा कर उसकी जगह अच्छी चीज करना चाहिए। हमारे यहां दो तरह के स्कूल हैं। कुछ गरीबों के हैं और कुछ अमीरों के। जो बेसिक स्कूल हैं वह गरीबों के हैं। वहां पढ़ने वाले गरीब, पढ़ाने वाले गरीब, स्कूल गरीब और वहां का वातावरण भी गरीब है। जब तक उनकी तरफ शासन की कृपा दृष्टि नहीं हो पायेगी तब तक मुल्क में समानता नहीं आ सकती है। हो सकता है कि शिक्षा के स्तर को समान करने के लिए सरकार को कुछ अधिक व्यय करना पड़े। इसके लिए चाहे सरकार अधिक टैक्स लगाये या दूसरे व्यय में कटौती करे। अभी 300, चार सौ की दलील चल रही थी।

मुझे स्वयं तजुर्वा है। मैं खुद पढ़ा प्राइमरी में और शिक्षण कार्य किया इंटरमीडिएट कालेज में। मेरा छोटा भाई किंग जार्ज स्कूल में है। मैं इंटर की क्लासेज पढ़ाता था और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकुम सिंह]

मेरा भाई 8 बी क्लास पढ़ाता था लेकिन मेरी और उनकी तनख्वाह में ड्योढ़े का अन्तर था। गांव में जो स्कूल चलते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं जाता। उनके पास टाट पट्टी बैठने के लिए है या नहीं, वह छप्पर में बैठते हैं या कहां बैठते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं या नहीं। इसके अलावा वहां एक ऐसा वातावरण बन गया है कि बालक घर पर ऊधम करेगा तो उसे स्कूल भेज दिया जाता है। माता पिता वगैर पढ़े लिखे होते हैं। वह नहीं देखते कि बच्चा पढ़ कर आया या नहीं। वह तो केवल बच्चे को स्कूल भेज कर देखते हैं कि घर में तीन चार घंटे की शांति पैदा हो गयी। जब गांधी जी ने कहा कि बेसिक शिक्षा दी जाय तो एक नोटिस निकाल दिया गया कि जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं वे बेसिक स्कूल हो गये। दस तकली, एक पौंड रुई और एक धुनका भेज दिया गया।

इसी तरह से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कालेज के लिए एक आर्डर निकाल दिया गया कि आज से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कालेज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो गये। केवल एक कागज चला गया। वहां आज भी दसवीं और बारहवीं तक के स्कूल हैं। कोई ध्यान शिक्षा की तरफ नहीं है। चाहे बेसिक स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो या हाई स्कूल हो, वातावरण पर बहुत निर्भर करता है। आइस साहब हों या कोई और सज्जन हों जिन्होंने गरीबी देखी नहीं और जिन्होंने गरीबी की सुगन्ध और दुर्गन्ध को जाना नहीं तो वह गरीबी का क्या अनुमान लगा सकते हैं। 1969 में विधान सभा में मैंने उधर बैठकर कहा था कि यहां पर कुछ स्कूल्स हैं, जिन्हें आप पब्लिक स्कूल कहें या जिस नाम से भी कहें, जो मिनिस्टर्स और बड़े लोगों के स्कूल हैं। शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए और समानता प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि समान शिक्षा दी जाय। आज आई०ए०एस० या पी०सी०एस० में जो सेलेक्ट हो रहे हैं वे वही हैं जो अच्छे वातावरण के निकले हुए हैं। जो गरीब वातावरण से निकला हुआ लड़का है चाहे वह हाई स्कूल का हो या डिग्री कालेज का हो वह नहीं जानता कि बात करने का ढंग क्या है, खड़े होने और बैठने का ढंग क्या है। वह नहीं जानता की जनरल नालेज क्या होती है। वह तो केवल कागज की खानापूरी के लिए दिखला रखा है कि यहां इतने प्रतिशत शिक्षा हो गई है। इसके लिये यह आवश्यक है कि सभी लोगों को सही शिक्षा दी जाय। पहले 3 और थीं लेकिन अब कोई और नहीं रह गई है। लड़का लिखना या पढ़ना कुछ नहीं जानता है और आगे बढ़ता जाता है। हर कम्पीटीशन के लिये परीक्षा हो रही है। जब परीक्षायें हो रही हैं तो हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट में मेरिट के अनुसार सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं तो इन सभी परीक्षाओं को समाप्त कर दिया जाय, जिससे शिक्षा में हड़ताल समाप्त हो जाय। जहां तक टेकनिकल शिक्षा की बात है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन्स्टीट्यूशन्स में जो लड़के पढ़ते हैं वह मशीन कैसे खोली जाती है, यह भी नहीं जानते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर आप ऊपर की शिक्षा में समानता न ला सकें तो शुरु की शिक्षा जो बच्चों जो दी जाती है, उसमें सभी को मौका दिया जाय जिससे वह आगे बढ़ सकें।

[इस समय 4 बजकर 16 मिनट पर उपाध्याक्ष श्री वासुदेव पुनः पीठासीन हुए।]

*श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प प्रस्तुत है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संकल्प की भावना यह है कि बराबरी आना चाहिये, बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिये यह लक्ष्य तो बहुत अच्छा है परन्तु प्रश्न यह है कि जब तक बड़ों में यानी बच्चों के जो माता पिता हैं, उनमें बराबरी न आये, तो बच्चों में कैसे बराबरी आ सकती है ? केवल बच्चों में ही गैर बराबरी देखने को मिलती हो, ऐसी बात नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को 10,000 रुपया महीना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिलता है, 5000 रुपया महीना मिलता है तो दूसरी तरफ गांव में 150 रुपया वार्षिक आमदनी भी होना मुश्किल होती है। तो आप भले ही इन स्कूलों को तुड़वा दें, फिर भी इन दोनों तरह के बच्चों में समानता नहीं ला सकते हैं। समान अवसर की व्यवस्था नहीं हो सकती है। यह तो आज जो इस प्रकार के स्कूल दिखलाई पड़ते हैं वह तो जो गैर समानता अपने देश में है, उसके फलफूल हैं तो आप फलफूल को तोड़कर परिस्थिति नहीं बदल सकते हैं। यदि वास्तव में आप समानता चाहते हैं तो पूरे समाज में समानता लाइये, फिर बच्चों में लाइये। यह कहा गया कि गांव के बच्चे, गरीब किसान के बच्चे और रिक्शा वालों के बच्चे इन स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोग 25 रुपया रोज भत्ता पाते हैं। अगर आप समानता की बात करते हैं तो केवल बच्चों के लिये क्यों करते हैं? वास्तव में यदि समानता लानी है तो यह निश्चय करना पड़ेगा कि अधिक से अधिक कितनी आय हो सकती है और कम से कम कितनी हो सकती है। अगर इन दोनों में दूरी कम हो तभी हम ऐसी व्यवस्था ला सकते हैं कि बच्चे एक समान स्तर पर अवसर और शिक्षा पावें। वास्तव में जो बुनियादी कारण है उनको दूर करने में हम असफल रहे हैं। केवल उसके बाहरी जो परिणाम दिखलाई देते हैं उसको हम देखते हैं, उससे कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। जो लोग इस तरह का प्रस्ताव लाते हैं, वे यह दुहाई देते हैं कि ये लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन ये लोग जो और सुविधायें आमदनी की प्राप्त किये हैं, उन सुविधाओं के कम करने की ओर ध्यान नहीं जाता। जहां तक इन विद्यालयों का सवाल है, पता नहीं इनको क्यों पब्लिक स्कूल कहते हैं, क्योंकि पब्लिक इनमें पैसा नहीं लगाती है। इन स्कूल के विषय में हमारे माननीय जायसवाल जी स्वीकार करते हैं कि यहां अनुशासन अच्छा है, शिक्षा अच्छी है, ईमानदार लड़के निकलते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर कोई ऐसी संस्था होती जिससे बुरे नतीजे निकलते, जो विकृत स्वभाव के नागरिकों को पैदा करती, और उसके बंद करने की बात होती, तो मैं उसे मान सकता हूं कि इसका कुप्रभाव समाज पर पड़ता है। लेकिन ऐसे विद्यालय जो अनुशासित, चरित्रवान और योग्य नागरिकों को जन्म देते हैं, उनको मिटा दिया जाय, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मान लीजिए मिटा दिया उनको। लेकिन जिस व्यक्ति की 10 हजार रुपये आमदनी है, तो वह अपने बच्चों के लिये 2/4 ट्यूटर रख लेगा, तो फिर उसके लिये क्या करेंगे? इन स्कूलों को अगर देखें तो वास्तव में ये पब्लिक नहीं प्राइवेट स्कूल हैं क्योंकि सरकार उसमें कोई योगदान नहीं करती। कुछ लोग मिलकर अपना एक विद्यालय खोले हैं और अपने खर्चे से इन विद्यालयों को चलाते हैं। इनका प्राइवेट अरेंजमेंट है। इनका नाम पब्लिक स्कूल न रखकर प्राइवेट स्कूल रखा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

माननीय जायसवाल जी ने यह कहा कि ये संविधान के विपरीत है और संविधान में यह कहा गया है कि सब को समान अवसर मिलना चाहिये। मैं उनका ध्यान संविधान में दूसरी ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि नागरिकों को अपने बच्चों को किसी प्रकार से शिक्षा देने की आजादी होगी। बल्कि उसमें यह भी कहा गया कि सरकार उनको अनुदान वगैरह भी देगी। तब मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे स्कूलों को कैसे बन्द किया जा सकता है और इससे क्या लाभ होगा। अगर यह आशा की जाती है कि केवल इन विद्यालयों को रोक देने से समानता आ जायेगी तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि असमानता के अनेकों कारण हैं, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है। सबसे पहला कारण असमानता का जो समाज में है वह है सम्पत्ति में बहुत बड़ा अन्तर। उस अन्तर को बिना समाप्त किये, यह कहना कि हम समानता विद्यालयों को समाप्त करके लायेंगे, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती। यह तो ठीक है कि हमारे विद्यालयों का स्तर बहुत गिरा है। अगर एक हाई स्कूल पास लड़के से कह दिया जाय.... मैं भी एक विद्यालय का मैनेजर हूं। कभी-कभी बड़ी विचित्र परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। मेरे पास एक विद्यार्थी आया कि उसको पास करा दें। मैंने कहा कि यह कालेज के प्रिंसिपल का काम है। वह 11वीं में पढ़ता था। मैंने कहा कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, अंग्रेजी में नाम लिख दो, तो वह नहीं लिख सका। फिर मैंने सोचा अंग्रेजी दूसरी भाषा है, हिन्दी में पूछें।

[श्री भानुप्रताप सिंह]

मैंने पूछा हिन्दी में कितने महीने होते हैं, वह भी नहीं लिख पाया। आज शिक्षा का स्तर कितना गिर गया है। वास्तव में दिक्कत यह है कि जब हम लोग अपने स्कूलों के प्रधानाचार्यों से कहते हैं तो वे कहते हैं कि नीचे से यानी जिला परिषद् के स्कूलों से बच्चे कुछ पढ़ लिखकर नहीं आते हैं। जब उन्हें कुछ आता ही नहीं है तब फिर क्या करें। तो यह एक विशस सर्किल है। परिणाम यह है कि स्टेंडर्ड बहुत गिरा हुआ है। अगर कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां अभी अच्छी शिक्षा मिलती है तो उनको बन्द कर देना वैसे ही होगा जैसे कि मान लीजिए कुछ लोगों के एक आंख हो जाए और वे कहें कि हमें भी दूसरी आंख मिलनी चाहिए समता के आधार पर और अगर न दे पाएं तो कहें कि एक आलपिन ले आओ और जिनके दो आंखें हैं उनकी एक आंख फोड़ दो ताकि सब बराबर हो जाएं और सब काने हो जाएं। अगर यह बात मान ली जाए तो इस माननीय सदन के सब आदमी बड़ी आसानी के साथ काने बनाए जा सकते हैं। अगर हम शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठा सकते हैं तो हम सब को शर्म आनी चाहिये। यह नहीं होना चाहिए कि जहां अच्छी शिक्षा है उसको भी बन्द कर दिया जाए। अब और ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं समझता हूं कि माननीय जायसवाल जी समझ गये होंगे और अब आगे वे विरोध नहीं करेंगे।

(श्री राजमंगल पाण्डेय के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा लगता है कि अभी दोलने वाले और लोग भी हैं। आपको पूरी आजादी है चाहे जो नियम चलाइये। अगर बोलने वाले सदस्य हैं तो आज जरूरी नहीं है कि जवाब दिया जाए। हम समझते हैं कि बोलने वालों की संख्या अधिक है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

चला दीजिए, सब को बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष--

समय नहीं बढ़ा रहे हैं। असरकारी दिवस है। आप जितना बोलना चाहें बोलें, हम उस पर पाबन्दी नहीं लगाते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे जब तक आप (क्लोजर मूव) बहस बन्दी नहीं होती।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

माननीय रूपनाथ सिंह जी का भी संकल्प है। उसको भी ध्यान में रखिए।

श्री उपाध्यक्ष--

हमको इसका भी ध्यान है और उसका भी ध्यान है। तो फिर आप क्लोजर मूव कर दीजिये। जब तक क्लोजर नहीं आता है तब तक बहस हो सकती है, किसी संकल्प पर, हम रोकते नहीं हैं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश की आबादी के आखिरी 40 सालों का इतिहास देखा जाये तो यह साफ जाहिर होगा कि इन 40 सालों में इस देश के रहने वाले गरीब किसान और मजदूर ने, चाहे वह शहर का रहने वाला हो या देहात का रहने वाला हो, सबसे आगे बढ़कर हिस्सा लिया है और एक उम्मीद के साथ लिया कि देश के आजाद होने के बाद, जैसाकि माननीय अनन्त राम जी जायसवाल ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ दि कांस्टीट्यूशन के बारे में कहा, इस देश के अन्दर राजनीतिक बराबरी पैदा होगी, सामाजिक बराबरी मिलेगी और आर्थिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बराबरी की व्यवस्था पैदा हो जायेगी। लेकिन जब 25 साल के सारे कार्यक्रम को देखते हैं तो बडे दुख के साथ इस नतीजे पर पंहुचते हैं कि विषमता और ज्यादा बढ़ी है। चाहे आर्थिक हों या सामाजिक। जिन उद्देश्यों के लिये देश आजाद कराया गया और कांस्टीट्यूशन बनाया गया, वे सब बालाये ताक रख दिये गये।

श्रीमन्, यह संकल्प सदन के सामने आया और मैं तो समझता हूं कि केवल संकल्प से ही काम चलने वाला नहीं है। आजाद होने के बाद प्रजातांत्रिक प्रणालियों को इस्तेमाल करके तरक्की करने की आजादी मिली लेकिन हम देखते हैं कि जो गरीब था वह और गरीब हो गया और जो मालदार था, रईस था वह और रईस हो गया। इसलिये यह ज्यादा जरूरी है कि वे कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से इन 25 सालों के अन्दर इस देश के अन्दर रहने वाला और गरीब हो गया और अमीर और अमीर हो गया। उस दुरावस्था को रोकने के लिये कानून बनाना पड़ेगा। और इसी को मैं एक कड़ी समझता हूं कि जब तक यह कानून नहीं बन जायगा कि तमाम चीजें और किसी जगह पर बैठकर किसी बच्चे के दिमाग की जो एक रचना होती है उसका एक परपज होता है कि जब वह बड़ा होकर सर्विस में किसी पद पर जावे तो उस समाज की रचना उस ढंग पर करे जिसके ऊपर उसके दिमाग की रचना हुई। वह रचना उस जगह पर बनती है, जैसाकि अभी श्री भानु प्रताप जी ने कहा, प्राइवेट स्कूल में, पब्लिक स्कूल के अन्दर नहीं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जिनके अन्दर ढाई सौ, तीन सौ, 400 रुपया खर्च करके एक अपर क्लास के बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है। वह वहां ऐसी शिक्षा हासिल करते हैं ताकि बड़े होकर जब शक्ति आये उनके पास तो जिस तरीके पर उन्होंने तालीम हासिल की है उसी पर देश की गाड़ी को बढ़ाने की बात करें और इसी की वजह से 25 वर्षों के अन्दर देश का यह हाल हो गया।

श्रीमन्, जब यह देखा जाता है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनके अन्दर जैसा कि भिन्न-भिन्न माननीय सदस्यों ने कहा कि शिक्षा अच्छी मिलती है, स्टैन्डर्ड अच्छा होता है, डिसिपलिन अच्छा होता है तो लाजमी बात है कि जब एक तरफ एक बच्चे पर ढाई सौ, चार सौ रुपया खर्च होता है और दूसरी तरफ वे स्कूल जिनको सरकारी और पब्लिक स्कूल कहा जाता है, उनके अन्दर ढाई रुपया भी एक महीने में खर्च करने का मौका न मिले तो दोनों जगहों के बच्चों का मुकाबला क्या होगा ? हां, अगर वह इस बात के लिये तैयार हो जायं जो लोग कि उस क्लास से ताल्लुक रखते हैं, जो मुश्किल से 5 प्रतिशत होंगे, कि हमारे स्कूलों से पढ़ने वाले बच्चे इस देश को चलाने वाली किसी भी ऐसी सर्विस के कम्पटीशन में नहीं बैठेंगे जिसके आधार पर देश का निर्माण डिपेंड करता है और हम ढाई सौ इसलिये खर्च करते हैं कि ताकि अपने बच्चे को एक अच्छा सिटीजन बना सकें, तो शायद कुछ बात समझ में आ जाय कि इनका एम और आब्जेक्ट नहीं है...

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जब बांस रहेगा तो बरेली जाइबे करेगा। स्कूल मिटाइये ? यह कैसे होगा कि वह न जायेंगे ?

श्री रियासत हुसैन—

उसी के लिये मैं कहता हूं कि वह तैयार नहीं होंगे। क्योंकि ढाई सौ, 3 सौ, 4 सौ रुपया खर्च करके तालीम दिलाने का मकसद यही होता है कि इस देश को चलाने वाला जो एक अपर क्लास है जो 2–3 फीसदी है वह हमेशा देश के ऊपर हुकूमत करता रहे। इस लिये इस बात के लिये वह हरगिज तैयार नहीं होंगे, यही बात जायसवाल जी, मैं कह रहा हूं कि कानून बनाना पड़ेगा जब तक कानून नहीं बन जायगा कि इस किस्म के स्कूलों को बन्द कर दिया जाय उस वक्त तब गरीब किसान मजदूर के बच्चे को उठने का मौका

[श्री रियासत हुसैन]

नहीं मिल सकता। कैसे होगा ? एक तरफ हाई स्कूल पास, इन्टरमीडियेट पास उस स्कूल के बच्चे जिन स्कूलों को जिला परिषद् या म्युनिसिपल बोर्ड चलाता हो और दूसरी तरफ कनवेंट का बच्चा—दोनों जब कम्पीटीशन में बैठते हैं तो रोल-नम्बरों से ही उसका पल्ला भारी हो जाता है। तो कुदरती बात है कि जिसके ऊपर ढाई सौ रुपया महीना खर्च नहीं हुआ, जिसको वह वातावरण नहीं मिला वह रोल—नम्बर पर कैसे आवेगा, किस कम्पटेटिव एग्जामिनेशन में आयेगा—चाहे प्रिमेडिकल टेस्ट हो, आई० ए० एस० का पी० सी० एस० का कम्पीटीशन हो, तहसीलदार या इंजीनियरिंग के दाखले के लिये कम्पीटीशन हो, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

इन सारी चीजों को जब देखा जाता है कि हमने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। किसान ने, मजदूर ने, गरीब ने हिस्सा लिया, कुर्बानी दी कि इस देश के अन्दर एक क्लासलेस सोसाइटी पैदा होगी। उस क्लास को खत्म करने के लिये जिसको अंग्रेजी ने हुकूमत करके यहां पैदाकर दिया, जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गयी तो इसी मकसद के लिये लड़ी गयी कि इस देश का निर्माण क्लासलेस सोसाइटी करेगी। लेकिन 25 साल के अन्दर इस नतीजे पर पंहुचे हैं कि क्लासलेस सोसाइटी नहीं बन पायी, बल्कि जो अन्तर था दोनों में....

श्री ए० सी० ग्राइस—

आप भूल जाते हैं कि आप जिन स्कूल्स के खिलाफ कह रहे हैं इनसे हर साल कितना आउट-पुट होता है। कितनी आबादी है स्कूल्स की ? खत्म कर दो, खत्म कर दो, तो उसका नतीजा क्या रहेगा ? जैसा कि जायसवाल जी कह रहे थे, जब उनके लडके बहां जायेंगे तो क्या होगा ? हाफ परसेंट भी स्प्रेड—ओवर नहीं रहेगा। तो कोई फैक्ट्स फिगर्स भी दीजिये कि जिनके विरुद्ध लड़ रहे हैं उनमें कितने लड़के लड़ जाते हैं ?

श्री रियासत हुसैन—

ग्राइस साहब ने एक सवाल पूछ लिया कि उसका नतीजा क्या होगा। मैं इसीलिये इस संकल्प का समर्थन कर रहा हूं कि एक अच्छा परिणाम देश के हित में होगा। मैं चाहता हूं कि जो एक क्लास अंग्रेज यहां पैदा कर गये जो यह समझता है कि वह हाकिम है और बाकी लोग उसके गुलाम हैं यह सोचने का ढंग खत्म हो जाय ? ताकि इस देश को चलाने वाले लोग इन्हीं स्कूलों से पढ़ कर आयें और यह महसूस करें कि वह हाकिम नहीं है बल्कि औरों की तरह ही इस देश के नागरिक हैं। जब तक वह इस बात के लिये कमिटेड नहीं होंगे जब तक इस देश का बनाना असम्भव है।

कांस्टीट्यूशन में जो साफ लिखा हुआ है कि सोशल इक्वालिटी हो तो वह सोशल इक्वालिटी कैसे हो जायेगी जबकि जो लोग सोशल इक्वालिटी को लाने वाले हैं उन्होंने उन स्कूलों में तालीम पायी है कि जिनका इन्वायरमेंट ही दूसरा रहा हो ? क्या शासन में आने के बाद ऐसे लोगों के दिमाग में यह बात आ सकती है कि इस देश में 150 रु० साल की आमदनी वाले कितने लोग हैं, इस देश के अन्दर गरीबों और मजदूरों की हालत क्या है ? वे यह बात नहीं सोचते बल्कि अपने इगो को पूरा करने के लिये वे करप्शन करते हैं। यह सोचना पड़ेगा कि ऐसे कौन लोग हैं जो इसलिये करप्शन करते हैं कि अपने स्टैन्डर्ड आफ लिविंग को दुगना, तिगुना बढ़ायें। ऐसे लोगों पर जब तक कोई रोक नहीं लगायी जायेगी तब तक कैसे मुमकिन है कि करप्शन दूर हो।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

आदर्श की बात तो केवल कहने के लिये कही जाती है। यदि कर्मयोग चलायेंगे या हमारे यहां से चले गये तो मजबूर कर दें सरकार को कि इस प्रस्ताव को मान ले।

अगर आप वहां गये हैं और दल बदल करप्शन नहीं है आपके मुताबिक तो आप कानून बनवा दें और अगर दल बदल करप्शन है तो छोड़ दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा कैसे आपने सोच लिया कि वह वोट आपके खिलाफ देंगे ।

श्री रियासत हुसैन—

यह नान-आफिशियल रेजोल्यूशन है । हर एक को अपने-अपने विचार व्यक्त करने की पूरी आजादी है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं । आप दिखाने के लिये भाषण तो कर देंगे लेकिन जब वोट देने की बात आयेगी तो उधर हाथ उठा देंगे । कम से कम ऐसी बात हो कि जो कहें वह पूरा करें । अगर हमारे पक्ष में कह रहे हैं तो मैं बधाई देता हूं ।

श्री सुरेंद्र विक्रम—

करप्शन से ज्यादा तो डिफैक्शन की बीमारी है ।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

क्या करप्शन की इजाजत इस सदन में नहीं है ?

श्री रियासत हुसैन—

यही एक प्रश्न है कि इस 25 साल के अन्दर इस मुल्क को पीछे ले जाने वाला करप्शन है । कुछ लोग ऐसे हैं जो करप्शन करने के लिये मजबूर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये । एक तबका ऐसा है जो अपनी जिन्दगी को लग्जूरियस बनाने के लिये इन स्कूलों को चाहता है और ऐसे लोग इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं । जब तक कानून द्वारा इन स्कूलों को रोका नहीं जायेगा कोई समस्या हल होने वाली नही है । रूपनाथ जी ने एक बात कही कि शासक दल करता कुछ है कहता कुछ है । मैं कहना चाहता हूं कि समाजवाद का लक्ष्य इस सरकार की मंशा है और इसी को पूरा करने के लिये प्रिवी परसेज को समाप्त किया गया, स्टेट ट्रेडिंग होने वाला है और दो तीन सालों में वह वह काम होने वाले हैं कि उसके बाद आपके पास कहने के लिये कुछ रह भी नहीं जायेगा । (व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय भानु प्रताप सिंह जी यह कहलवाना चाहते हैं कि प्रिवी परसेज को खत्म करके बिड़ला और सिंघानिया जैसे कुछ लोगों को दे दिया गया है ।

श्री रियासत हुसैन—

उनका भी समय आयेगा ।

मैं मान्यवर, यह कहने जा रहा था कि अगर यह कानून बन भी जाय तो इसके एग्जीक्यूशन में रुकावट पड़ेगी क्योंकि जो मशीनरी है इस वक्त वह इसके लिये कभी तैयार नहीं होगी । वह क्लास हमेशा यह समझता है कि वह एक सुप्रीरियर क्लास है, सुपीरियर क्लास आफ सोसाइटी है और उसको सुपीरियर ही रहना है । इसलिये ऐडमिनिस्ट्रेशन में भी और बिजनेस में भी वही लोग आते हैं । और अब तो राजनीति में भी उनका दखल हो गया है । आज मान्यवर, यह सोंचना पड़ेगा कि इसको कैसे रोका जाय ? 25 साल

[श्री रियासत हुसैन]

के बाद आज एक जेनेरेशन पैदा हुई है। उससे हालत बद से बदतर हो गयी है। अगर कानून बनाकर इस हालत को रोका न गया तो 25 वर्ष बाद, जो दूसरी जेनेरेशन पैदा होगी उससे हालत बदतर से बदतरीन हो जायेगी। इसलिये इस पर विचार करने की जरूरत है। आज इस बात की चर्चा है कि गांव के अन्दर जो स्कूल हैं वहां मास्टरों की व्यवस्था अच्छी नहीं है। बैठने के लिये टाट पट्टी तक नहीं है। पेड़ों के नीचे भी बच्चों ने शिक्षा पायी है। शान्ति निकेतक का भी अपना स्टेन्डर्ड रहा है। टाट पट्टी पर भी अच्छी शिक्षा हो सकती है मगर उसके लिये उपाय करना होगा। बड़े बड़े स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते ह वह इसको पसन्द नहीं कर सकते। गांधी जी ने भी इसके अन्दर एक अमेन्डमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि तब तक सरकार निशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध न करें जब तक स्पेलाइज्ड टाईप की शिक्षा है। ठीक है। चाहते तो यह हैं कि सरकार के ऊपर जितना बोझा बढ़े, पब्लिक फंड्स से जितना पैसा जाये, गिरे हुए समाज को उठाने के लिये, जिसे अपने बच्चों को स्कूल में भेजने का अवसर नहीं मिलता है, उसे न मिल सके, उस तक नहीं पंहुच सके। गांधी जी चाहते हैं कि पहले सरकार का पैसा उन ऊंचे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर पड़े, खर्च हो और बाकी नीचे के लोगों के लड़कों पर खर्च करने के लिये कुछ बचे ही नहीं।

श्री जगदीश गांधी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा जो संकल्प में संशोधन है, उसके बारे में रियासत जी गलत प्रचार कर रहे हैं। उसका आशय यह है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे इन स्कूलों में पढ़े, उन पर एक प्रकार का कर लगा कर अन्य बच्चों की पढ़ाई पर व्यय करने के लिये अधिक धन जुटाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। उनको अधिकार है वह आपका संशोधन समझे या न समझ, स्वीकार करें या अस्वीकार करें, उनको सब अधिकार है।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

व्यवस्था के प्रश्न से गांधी जी यही समझते हैं कि उनको बोलने का मौका मिल जाये।

श्री रियासत हुसैन—

इसलिये श्रीमन्, मैं समझता हूं यदि हमें इस देश के अंदर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बराबरी लानी है, जिसके लिये देश ने लड़ाई लड़ी है तो उनको प्राप्त करने के लिये यह जरूरी है कि इस तरह के प्राइवेट स्कूलों पर, जहां पर एक-एक विद्यार्थी की पढ़ाई पर 4–4 और 5–5 सौ रुपया खर्च बैठता है और जहां एक पार्टीक्यूलर क्लास के बच्चों को ही पढ़ने का मौका मिलता है उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। उनको भी वहीं पढ़ने का मौका मिले जो स्कूल म्यूनिसिपल बोर्ड आदि द्वारा जगह-जगह चलाये जाते हैं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

अभी पांच संकल्प शेष हैं। मैं निवेदन करूंगा कि या तो इसका समय एक घंटा बढ़ा दिया जाये या सबको प्रस्तुत हुआ मान लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष—

स्थिति इस पर स्पष्ट कर दूं कि जो अंतरकारी संकल्प या प्रस्ताव हैं उस पर समय की कोई पाबन्दी नहीं होती है। अगर आप चाहे तो क्लोजर मूव कर दें। देखे लेता हूं स्वीकार होगा या अस्वीकार होगा। फिर आगे देखेंगे।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार अब समाप्त किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं इस तरह नहीं, आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री जगदीश गांधी—

इतने महत्वपूर्ण चर्चा पर इस तरह से जल्दी विचार समाप्त न करें।

*श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)—

वास्तव में इस जिस संकल्प पर क्लोजर मूव होने की चर्चा चल रही है। वह इतना महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूं इस विधान सभा में यह सबसे ही उचित संकल्प आया है। इसके द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के विषय में हमारा चिंतन होगा कि किस तरह से हम उनको शिक्षा दे सकते हैं। जहां तक इस संकल्प का सम्बन्ध है इसको आज से 25 वर्ष पहले हो जाना चाहिये था। क्योंकि जब इस देश में आजादी हुई, आजादी के समय ही हम अपने संविधान में इस बात को मान चुके हैं कि हम प्रत्येक आदमी को समान अवसर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हर व्यक्ति, हर बच्चे के लिये एक तरह का अध्यापक हो, एक तरह की पुस्तक हो और एक तरह का विद्यालय हो। लेकिन संकल्प प्रस्तुत करने वालों ने बहुत उचित किया कि रजत जयन्ती के अवसर पर यह संकल्प प्रस्तुत किया। इस लिये शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि आप इस काम को कर लें और शिक्षा के स्तर को एक समान लाये। नहीं तो 25 सालों में कितने मंत्री आये और कितने गये, फिर आप कहेंगे कि—का बरसा जब कृषि सुखानी, समय चूंकि पुनि पछतानी। जब मिनिस्टिरी चली जायगी तो आप कहते रह जायेंगे कि मैं भी नहीं कर पाया। इसलिये यह काम जरूरी है। यह बड़े दुःख की बात है कि आज इन 25 वर्ष में उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत में हमारी कोई शिक्षा की नीति निर्धारित नहीं हो पायी। शिक्षा के लिये कुछ खास चीजें चाहिये। सबसे पहले समानता शिक्षक के साथ है। आज जो शिक्षक है उसको इतना कम वेतन मिलता है, उसके रहने-सहने का ढंग इतना खराब है, आज कोई अच्छा आदमी शिक्षा में आने के लिये तैयार नहीं है। जब शिक्षा में अच्छे आदमी नहीं आयेंगे तो यह सोचें कि अच्छी शिक्षा दें यह हमारी समझ में नहीं आता है। इसलिये सबसे पहले हमें शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिये। आज स्टेट बैंक के दफ्तरी को साढ़े चार सौ रुपये मिलते हैं। आजकल जो लड़का एम0 ए0 फर्स्ट क्लास पास करता है, उसके बाद बी0 एड0 या एल0टी0 करता है उसको ढाई सौ रुपये देते हैं।

तो किस तरीके से आपके यहां शिक्षा में अच्छे लड़के आ सकते है ? यदि शिक्षा है का स्तर ऊंचा करना है तो जिसके पास हम बच्चों को भेजते उसका स्तर ऊंचा करें। जितने भी खर्चीले स्कूल हैं उनको बन्द किया जाय। मेरी राय में हमारे एक साथी है उन्होंने बड़ी वकालत की कि हमारे पी0 सी0 एस0 आफिसर और आई0 ए0 एस0 आफिसर्स, बड़े बड़े आफिसर्स इन स्कूलों से निकले हैं इसलिये वे खत्म नहीं होने चाहिये। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि आज जो भ्रष्टाचार बेरोजगारी फैल रही है और जो हमारा हर प्लान फेल हो रहा है उसके लिये क्या ये पी0 सी0 एस0 और आई0 ए0 एस0 आफिसर्स जिम्मेदार नहीं हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप कितना समय लेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री इन्द्रमणि—

आधा घंटा ।

श्री उपाध्यक्ष—

अधिक समय नहीं है, इसलिये आप दूसरे रोज जारी रखेंगे । अब हम नियम 51 पर आते हैं ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

बकिया संकल्प सब जारी रहेंगे । इनको रखकर प्रस्तुत कर लिया जाय । पांचवें नम्बर का बहुत जरूरी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो नियम से परम अवगत हैं ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

नियम को सस्पेंड करने का भी अधिकार सदन को है ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 की कुल पांच सूचनायें प्राप्त हुई हैं । एक माननीय सुरेन्द्र विक्रम की है । सम्पादक को गिरफ्तार करके जमानत पर छोड़ दिया गया है । मामला न्यायालय के विचाराधीन है । इसलिये इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मेरी बात सुन लें । यह प्रेस की स्वतंत्रता का हनन है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जमानत पर छोड़ा गया है । इसी से जाहिर है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

अखबार निकलवाना बन्द कर दिया है । अदालत में अखबार का मामला नहीं है । चूंकि सम्पादक ने प्रशासन के विरुद्ध अपने अखबार में छापा इसलिये जुल्म किया गया, उसको गली गली में घुमाया गया । प्रेस की स्वतंत्रता के विरुद्ध है । इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर पुनर्विचार करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अदालत के विचाराधीन है उनका मामला । अगर अदालत में न होता, जिस वक्त पकड़ा गया उसी वक्त उठाया होता तो ठीक था । आपको पहले उठाना चाहिये था । 4 जनवरी, 1973 से पत्र पर रोक लगा दी है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

पत्र निकालने पर कलेक्टर ने रोक लगा दी है इस पर स्टेटमेंट दिला दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी यह प्रार्थना नहीं है कि इस पर रोक लगी है । यह अदालत के विचाराधीन न होता तब स्वीकार कर लेता । चूंकि अदालत के विचाराधीन है इसलिये मजबूरी है ।

सर्वश्री श्याम लाल कनौजिया तथा राम विलास पांडेय का एक प्रस्ताव आजमगढ़ जनपद में ओले गिरने से फसल को भारी क्षति तथा किसानों को घोर संकट का सामना करने के सम्बन्ध में है । रेवेन्यु मैनुअल के अधीन इस पर कार्यवाही हो सकती है ।

तीसरा प्रस्ताव तिरमल सिंह तथा राम प्रसाद देशमुख का है एटा जनपद में तहसील कासगंज के ग्राम जमारुद्रपुर में चकबन्दी अधिकारी द्वारा चकबन्दी की अपीलों का निस्तारण न किया जाना के सम्बन्ध में । इस पर पहले आप प्रश्न कर लें । तो जानकारी हो जाय ।

श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)--

मैंने अल्प सूचित प्रश्न भी रखा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

उसे हम स्वीकार कर लेंगे ।

चौथा प्रस्ताव सर्वश्री शम्भूनाथ चौधरी, मोहम्मद असरार अहमद, त्रिलोक चन्द तथा सच्चिदानन्द गुप्त का है बलिया जनपद में प्राइमरी पाठशाला के एक हरिजन अध्यापक की नसबन्दी से मृत्यु के सम्बन्ध में। इसमें माननीय सदस्य प्रश्न कर लें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

नसबन्दी तथा हाइड्रोसील दोनों का आपरेशन एक साथ नहीं होना चाहिये था ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले प्रश्न कर लें तो तथ्य सामने आ जायेंगे ।

पांचवां प्रश्न श्री चन्द्रभान शर्मा का है हापुड़ नगर में ट्रक द्वारा एक विद्यार्थी की हत्या के कारण जनता व विद्यार्थियों में तीव्र रोष के सम्बन्ध में । यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है ।

अब हम उठते हैं और 17 जनवरी, को 11 बजे फिर बैठेंगे ।

इसके बाद सदन 5 बजे बुधवार, 17 जनवरी, 1973 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
12 जनवरी, 1973 ।

नत्थी 'क'

[देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 278 पर ।]

स्वास्थ्य मंत्री जी—

तरह-तरह की बीमारियां व जन संख्या की वृद्धि के कारण यह आवश्यक हो गया है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक मेडिकल कालेज खोला जाये जो सीधे प्रदेश सरकार के अधीन हो और इसमें सभी तरह के आधुनिक विशेषज्ञों की सुविधायें प्राप्त हों ।

बलरामपुर अस्पताल यहां का प्रमुख सरकारी चिकित्सालय है । यदि इस अस्पताल को डफरिन अस्पताल के साथ मिलाकर मेडिकल कालेज का रूप दे दिया जाये तो बड़ी सुविधा होगी । इस समय बलरामपुर में 370 बेड हैं और अगले वर्ष बढ़कर 535 हो जायेंगे । इसी तरह डफरिन अस्पताल में इस समय 169 बेड हैं और जो इस वर्ष बढ़कर 200 हो जायेंगे । इस तरह दोनों अस्पतालों को मिलाकर शय्याओं की संख्या 735 हो जायेगी । इतने बेड्स किसी भी मेडिकल कालेज होने के लिये पर्याप्त हैं । इसके अतिरिक्त सरकार को दवाओं व बेड्स आदि में कोई अलग से रुपया के खर्च की बात नहीं सोचनी पड़ेगी । यहां जो क्वालीफाइड व अनुभवी फिजीशियन व सर्जन हैं वह शिक्षा भी प्रदान करते रहेंगे ।

बलरामपुर अस्पताल में पहले से ही आयुर्वेदिक कालेज के लड़के शिक्षा प्राप्त करने आते हैं । इस चिकित्सालय में प्रमुख विशेषज्ञों की संख्या बहुत कम है । कुछ विशेषज्ञों की तुरन्त आवश्यकता है जैसे पैथालोजिस्ट, एनस्थेटिस्ट, न्यरोलोजिस्ट, कार्डियालोजिस्ट आदि । अस्पताल में इस समय एक सर्जन है, इतने बड़े अस्पताल में एक पैथालोजिस्ट या एक एनस्थेटिस्ट न होने के बराबर है और इसी कारण कितने मरीजों को अपने आपरेशन के लिये इन्तजार करना पड़ता है क्योंकि जब तक एनेस्थेटिस्ट मौजूद न हो सर्जन आपरेशन नहीं कर सकता है ।

राजधानी के डफरिन अस्पताल में जहां कि प्रतिदिन 50 स्त्रियां बच्चों को जन्म देती है रोगियों को बेड मिलना तो दूर रहा जमीन पर बिस्तर मिलना दुर्लभ हो जाता है । विधायक या सरकारी कर्मचारी जो लखनऊ मेडिकल कालेज दिखाने जाते हैं उन्हें फिर दवाओं या एक्सरे कराने के लिये बलरामपुर अस्पताल ही आना पड़ता है क्योंकि मेडिकल कालेज, लखनऊ में फ्री सुविधायें उन्हें प्राप्त नहीं हैं ।

जहां तक अतिरिक्त भूमि का प्रश्न है बलरामपुर व डफरिन से लगी हुई काफी नजल की जमीन पड़ी है । लगभग 15 वर्ष से इस जमीन को एक्वायर करने की पत्रावली चल रही है ।

प्रदेश सरकार के अन्तर्गत कितने ही ऐसे डाक्टर हैं जो एम0 डी0 व एम0 एस0 करना चाहते हैं और उन्हें कोई मेडिकल कालेज अपने यहां अवसर प्रदान नहीं करता। यह सुविधा इस नये मेडिकल कालेज में प्राप्त हो जायेगी।

इस नये अस्पताल में परिवार नियोजन विभाग की अलग शाखा खोलनी चाहिये जिसमें रिसर्च की सुविधा भी पर्याप्त हो और सभी आधुनिक यंत्र और सामानों का प्रबन्ध करना चाहिये ताकि लोगों को दिल्ली, बेल्लोर आदि स्थानों पर न जाना पड़े ।

(ह0) बलराम सिंह यादव,
न्याय मंत्री,
उत्तर प्रदेश ।
23-8-72

(ह0) अनवार अहमद,
एम0 एल0 ए0,
उन्नाव ।
23-8-72

(ह0) अजीत प्रताप सिंह,
मंत्री,
वन पर्यटन एवं
खेलकूद, उत्तर प्रदेश ।
18-8-72

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 294 पर)

जिला बलिया के ग्रामों की सूची जिसमें उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम का प्रसार नहीं हुआ है ।

1--नोबरार रामकिशुन पट्टी	पूर्ण	40--शाहपुर	,,
2--नोबरार रामकिशुन पट्टी 18/3	,,	41--जगदेवा	,,
3--राम किशुन पट्टी पंचथाला	,,	42--बहुआरा	,,
4--बेलसीपाह पंचसाला	,,	43--सिवाल	,,
5--सरवनपुर पंचसाला	,,	44--अधिसीभुवां	,,
6--कुलडिया पंचसाला	,,	45--महाजी अधिसीभुवां	,,
7--पलिया पंचसाला	,,	46--बबऊंच	,,
8--आराजी दियरा कोट	,,	47--गरयां	,,
9--शाहपुर गंगबरार	,,	48--पचरुखियां	,,
10--खुटहा	,,	49--शिवपुरदीयर नम्बरी	,,
11--पांडेपुर भुत-इस्मैला	,,	50--नगवां	,,
12--हसनपुरा	,,	51--जनाडी	,,
13--बांसथाना	,,	52--गोविन्दपुर गंगबरार	
14--इस्मैला	,,	53--आराजी माफी खुटहा	
15--तारनपुर	,,	54--आराजी माफी अजोरपुर	
16--बंगला माफी	,,	55--त्रिलोकपुर माफी	
17--पुरुषोतमपुर	,,	56--आलमचक	
18--बन्धुचक	,,	57--धरनीपुर	
19--बाबूबेल	,,	58--बेलसड़	
20--परसादछपरा	,,	59--मीनापुर	
21--गोविन्दौला,	,,	60--हरदेवछपरा	
22--कोट	आंशिक	61--चौबेछपरा	
23--अंजोरपुर	,,	62--बंशगोपाल छपरा	
24--थन्हनपुर	,,	63--पांडेपुर	
25--शाहपुर खास	,,	64--नौरांगा	
26--अगरौली	,,	65--गोपालपुर	
27--मुरलीछपरा	,,	66--अधोपुर	
28--नरायनपुर	,,	67--गंगवरार शाहपुर	
29--लुटईपुर	,,	68--नोबरार शाहपुर 1873	
30--किसुनपुरा	,,	69--नोबरार बेलसीपाह 1881	
31--टगेरहा राजा	,,	70--नोबरार रामकिसुनपट्टी 1888	
32--दुर्जनपुर	,,	71--नोबरार सरवनपुर 1883	
33--मानगढ़	,,	72--नोबरार कुल्हिडियां 1873	
34--हनुमानगंज	,,	73--शीभापुर	
35--हबतपुर	,,	74--भिखनु पुरा या भिखारीपुरा	
36--गोपालनगर	,,	75--उमेदवा सचकु	
37--बादिलपुर	,,	76--पड़री	
38--क्षीनगर	,,	77--पैरोला	
39--गगौली	,,	78--खाप टिकार	

79--चौबेबेल
80--चौबेबेल गंगवरार
81--परसोतिमपुर
82--आराजी माफी नरायनपुर
83--गंगवरार शिवपुर
84--गंगवरार बिजौरा
85--गंगवरार शीतलपट्टी
86--गंगवरार चतुर्भुजतरी
87--नोवरार बेलीपाह 18/3
88--नौबरार बेलसीपह
89--बेलसीपाह पंचशाला
90--बेलसीपाह वहशाला
91--नौबरार रामकिसुनपट्टी 18/3
92--नौबरार रामकिशुन पट्टी
93--रामकिशुन पंचशाला
94--रामकिशुन पट्टी वहशाला
95--नौबरार सरवनपुर
96--सरवनपुर पंचशाला
97--नोबरार पलिया
98--पलिया पंचशाला
99--पलिया दहशाला
100--कुल्हडियां पंचशाला
101--सरवनपुर दहशाला
102--बुल्हडियां दहशाला
103--मुहम्मदपुर
104--धमौली
105--शिवरामपुर

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ 301 पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1973

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 15, 1948 ई0

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई० में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1 —(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा ।

(2) धारा 31 पहली अक्तूबर, 1958 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी, और धारा 2 की उपधारा (1) और (3), धारा 5, धारा 13 की उपधारा (1) और (2), धारा 15 की उपधारा (1) और (2), धारा 17 की उपधारा (1) और (2), धारा 18 और 19, धारा 20 की उपधारा (1) तथा धारा 26 और 27 तेरह अक्तूबर, 1972 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी, और शेष उपबन्ध अन्यथा स्पष्ट रूप से की गयी व्यवस्था के सिवाय, ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियत करे, और विभिन्न उपबन्धों के सम्बन्ध में विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1948 ई0 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई० (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(1) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात:—

"(क) 'कर निर्धारक अधिकारी' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारक अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिये राज्य सरकार या बिक्री-कर कमिश्नर द्वारा नियुक्त व्यक्ति से है;"

(2) खंड (ग) में, वर्तमान स्पष्टीकरण को पुन: संख्यांकित करके स्पष्टीकरण 1 कर दिया जाय, और इस प्रकार पुन: संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात:—

"स्पष्टीकरण 2—कोई व्यापारी जो फालतू या अनुप्रयोज्य अथवा पुराना स्टोर या सामान, उत्सर्जित पदार्थ, अप्रयुज्यमान अथवा व्यर्थ मशीन, उनके पुर्जे तथा सहायक सामान बेचता है, उसे ऐसे माल को भी बेचने का व्यापार करने वाला व्यक्ति समझा जायगा ।"; और

(3) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जांय, अर्थात:—

"(ङ) किसी माल के सम्बन्ध में, 'आयातकर्ता' का तात्पर्य ऐसे व्यापारी से है जो राज्य में माल का आयात किये जाने के पश्चात प्रथम बार उसकी बिक्री करे;

(ङङ) किसी माल के सम्बन्ध में, 'निर्माता' का तात्पर्य ऐसे व्यापारी से है जो माल का निर्माण किये जाने के पश्चात राज्य में प्रथम बार उसकी बिक्री करे;"

धारा 3 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 3 में,--

(1) उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिये जायें, अर्थात्:--

"स्पष्टीकरण 1--इस उपधारा के अधीन न्यूनतम विक्रय धन की गणना करने के प्रयोजनार्थ, किन्तु उपधारा (1) के अधीन देय कर की धनराशि अवधारित करने के प्रयोजनार्थ नहीं,--

(क) कुल धनराशि जितने का व्यापारी द्वारा माल खरीदा जाय अथवा कुल धनराशि जितने का माल बिक्री के रूप में सम्भरित या वितरित किया जाय अथवा उसके द्वारा बेचा जाय, इनमें जो भी अधिक हो, विक्रय धन समझा जायगा; और

(ख) कुल धनराशि जितने का माल व्यापारी द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान अथवा उत्तर प्रदेश के बाहर या तो सीधे अथवा अपनी शाखा, डिपो या एजेन्ट के माध्यम से बेचा जाय, उसके विक्रय धन में सम्मिलित की जायगी ।

स्पष्टीकरण 2--स्पष्टीकरण 1 में, पद "माल" के अन्तर्गत कोई ऐसा माल भी है जिसके सम्बन्ध में व्यापारी इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के प्रभाव से कर के भुगतान के लिये दायी न हो ।";

(2) उपधारा (3) में, खंड (ख) में, उपखंड (2) में, शब्द "माल का प्रयोग करके" के पश्चात शब्द, अक्षर तथा अंक "या धारा 3--कक के अधीन घोषणा, या धारा 3-घ अथवा धारा 4-ख के अधीन, यथास्थिति, घोषणा या प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात खरीदे गये माल का प्रयोग करके" बढ़ा दिये जायं ।

4--मूल अधिनियम की धारा 3-क में--

धारा 3-क का संशोधन

(1) उपधारा (2) में, शब्द, अंक तथा अक्षर "जो तत्समय प्रथम अनुसूची में या धारा 3-कक अथवा धारा 3-घ के अधीन किसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट न हो," के स्थान पर शब्द " जो तत्समय तदर्थ जारी की गयी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट हो" रख दिये जांय ; और

(2) उपधारा (2) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात :-

"(2-क) उपधारा (1) और (2) में अभिदिष्ट माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में विक्रय धन पर निर्माता या आयातकार्ता द्वारा बिक्री के स्थल पर सात प्रतिशत की दर से कर देय होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी ऐसे माल के सम्बन्ध में विक्रय धन पर कर की दर कम कर सकती है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे माल के सम्बन्ध में, जिसके विक्रय धन पर कर की दर किसी समय सात प्रतिशत से कम हो,राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, कर की दर सात प्रतिशत तक बढ़ा सकती है ।"

5––मूल अधिनियम की धारा 3–कक के स्थान पर, निम्नलिखित धारायें रख दी जायं, अर्थात्:––

धारा 3–कक के स्थान पर नई धारा 3-कक, 3–ककक तथा 3–कककक का रखा जाना

ऐक्ट संख्या 74, 1956

"3–कक कतिपय माल के सम्बन्ध में कर की दर तथा स्थल:––धारा 3–घ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1956 की धारा 14 के अधीन अन्तर्राज्य व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व के घोषित माल के सम्बन्ध में विक्रय धन पर, व्यापारी द्वारा उपभोक्ता को बिक्री-कर के स्थल को छोडकर, कर नहीं लगेगा, और कर की दर उक्त ऐक्ट की धारा 15 में तत्समय निर्दिष्ट अधिकतम दर से अनधिक वह दर होगी जो राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, घोषित करे ।

3––ककक––कतिपय विक्रियों के सम्बन्ध में उपधारणा––

यदि इस अधिनियम के अधीन माल पर कर केवल उपभोक्ता को बिक्री क स्थल पर लगाया जाना हो तो किसी व्यापारी द्वारा––

(क) किसी ऐसे रजिस्टर्ड व्यापारी को, जो उन्हें राज्य के भीतर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, उसी रूप और अवस्था में जिसमें उसने माल क्रय किया हो, पुन: बिक्री के लिये क्रय नहीं करता है; या

(ख) रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति को, की गई प्रत्येक बिक्री तब तक उपभोक्ता को की गयी बिक्री समझी जायगी जब तक कि व्यापारी उसे कर निर्धारक अधिकारी के सन्तोषानुसार अन्यथा प्रमाणित न कर दे, और इस प्रयोजन के लिये, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर जो निर्धारित की जाय, विक्रेता व्यापारी से प्राप्त घोषणा-पत्र भी कर निर्धारक अधिकारी को प्रस्तुत न कर दे ।

3––ककक––कतिपय संव्यवहारों पर क्रय-कर देने का दायित्व––इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई रजिस्टर्ड व्यापारी, जो धारा ३––कक मेंअभिदिष्ट घोषणा-पत्र देकर किसी अन्य व्यापारी से माल क्रय करता है, ऐसे माल की पुन: बिक्री राज्य के भीतर अथवा अन्तर्राज्यीय, व्यापार या वाणिज्य के दौरान, उसी रूप तथा अवस्था में जिसमें उसने माल क्रय किया हो, नहीं करता है तो वह ऐसे माल के सम्बन्ध में क्रय-धन पर उसी दर से कर का देनदार होगा जिस पर विक्रेता व्यापारी द्वारा बिक्री-कर देय होता यदि ऐसा घोषणा-पत्र प्रस्तुत न किया गया होता ।"

धारा 3–घ का संशोधन

6––मूल अधिनियम की धारा 3–घ में,––

(1) उपधारा (1) में,––

(क) खंड (क) में शब्द तथा कोष्टक "खाद्यान्नों (जिसके अन्तर्गत अनाज तथा दालें भी हैं)" के स्थान पर शब्द "ऐसे माल" रख दिये जायं, और शब्द "दो प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "साढ़े तीन प्रतिशत" रख दिये जायं;

(ख) खंड (ख) में, उप खंड (2) में, शब्द "पांच प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "बारह प्रतिशत" रख दिये जायं ।

(2) उपधारा (5) में, शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर "धारा 3–क की उपधारा (2) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड और द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड (इसमें प्रथम बार आने वाले शब्द, "साढ़े तीन प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द, खाद्यान्नों की दशा में दो प्रतिशत व अन्य माल की दशा में पांच प्रतिशत" व दूसरी बार आने वाले शब्द "साढ़े तीन प्रतिशत" के स्थान पर "दो प्रतिशत या पांच प्रतिशत" जैसी भी दशा हो, रखकर)" निकाल दिये जायं ।

धारा 4 ख का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 4—ख में,—

(1) उपधारा (1) में, खंड (क) में, शब्द "अपने प्रथम क्रय के विक्रय धन" के स्थान पर शब्द "अपने क्रय या प्रथम क्रय, जैसी भी दशा हो, के विक्रय धन" रख दिये जांय, और

(2) उपधारा (3) निकाल दी जाय ।

धारा 7—ग के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

8—मूल अधिनियम की धारा 7—ग के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"7—ग—मृत व्यक्ति द्वारा देय कर का भुगतान उसके प्रतिनिधियों द्वारा किया जायगा—

(1) यदि किसी व्यापारी की मृत्यु हो जाय तो उसका निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ व्यापारी समझा जायगा और उक्त मृत व्यापारी के व्यापार के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध उस पर लागू होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे कर या शुल्क के सम्बन्ध में जो निर्धारित किया गया हो अथवा किसी अर्थ-दंड के सम्बन्ध में जो आरोपित किया गया हो और मृत व्यापारी द्वारा देय हो, अथवा किसी ऐसे कर, शुल्क या अर्थ-दंड के सम्बन्ध में जो उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय होता, यदि उसकी मृत्यु न हुई होती, निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि, केवल मृतक की प्राप्त परिसम्पतियों तक देनदार होंगे,

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध किसी ऐसे व्यापारी पर जो भागीदारी फर्म हो और जिसके किसी भागीदार की मृत्यु के फलस्वरूप वह विघटित हो जाय, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, लागू होंगे ।"

धारा 8 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (1—क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(2) यदि किसी कर की वसूली किसी न्यायालय या अधिकारी के किसी आदेश से स्थगित रही हो और ऐसा स्थगन आदेश बाद में विखंडित कर दिया गया हो, तो उपधारा (1) में अभिदिष्ट ब्याज ऐसी किसी अवधि के लिये भी देय होगा जिसमें ऐसा आदेश प्रभावी रहा हो ।"

धारा 8—क का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 8—क में, उपधारा (6) निकाल दी जाय ।

नयी धारा 8—ख और 8—ग का बढ़ाया जाना

11—मूल अधिनियम की धारा 8—क के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्:—

इच्छुक निर्माताओं का अन्तिम रजिस्ट्रीकरण

"8—ख—(1) कोई व्यक्ति जो एक वर्ष में बारह हजार रुपये से अधिक मूल्य की बिक्री किये जाने के लिये माल का निर्माण करने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश में व्यापार स्थगित करने का इच्छुक हो, इस बात के होते हुये भी कि उसको धारा 8—क के अधीन, रजिस्ट्री कराने के लिये आवेदन करना आवश्यक नहीं है, कर निर्धारक अधिकारी को, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जो निर्धारित की जाय, अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है ।

(2) अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण का प्रार्थना-पत्र निर्धारित रीति से सत्यापित किया जायगा और उसके साथ प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष अथवा उसके भाग के लिये जिसके निमित्त वह दिया गया हो दस रुपये का शुल्क भुगतान करने का सन्तोषजनक प्रमाण होगा ।

(3) यदि कर निर्धारक अधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वह आवश्यक समझे, प्रार्थना-पत्र देने वाले व्यक्ति की सदस्यता के सम्बन्ध में समाधान हो जाये तो वह ऐसे व्यक्ति को, ऐसी प्रति भूति देने पर जिसे कर निर्धारक अधिकारी आवश्यक समझें, निर्धारित प्रपत्र में रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र स्वीकृत कर सकता है । इस उपधारा के अधीन मांगी गयी प्रति भूति या अतिरिक्त प्रतिभूति पर धारा 8—ग के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, लागू होंगे ।

(4) इस धारा के अधीन स्वीकृति रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र ऐसी अवधि के लिये प्रवृत्त होगा जो उसमें निर्दिष्ट की जाय, और धारा 8—क के उपबन्ध, यथाशक्य, उसके सम्बन्ध में लागू होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारक अधिकारी उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे और उपधारा (2) में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने पर रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट अवधि को बढ़ा सकता है ।

(5) प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण पत्र स्वीकृत किया गया हो, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ रजिस्टर्ड व्यापारी समझा जायगा और इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार होगा ।

(6) यदि कोई व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र स्वीकृति किया गया हो, अपने द्वारा निर्मित्त माल की बिक्री प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अथवा कर निर्धारक अधिकारी द्वारा बढ़ायी गयी अवधि के भीतर, जैसी भी दशा हो, प्रारम्भ नहीं करता, तो वह यदि उसने धारा 4—ख की उपधारा (1) के अनुसार रियायती दर पर कर का भुगतान करके अथवा कर का भुगतान किये बिना कच्चा माल खरीदा हो, अर्थ-दंड के रूप में एसी धनराशि का देनदार होगा जो ऐसे कच्चे माल, की बिक्री या खरीद पर धारा 3—क या धारा 3—कक या धारा 3—घ, जसी भी दशा हो, के अधीन पूरी दर पर प्रयोज्य कर की धनराशि तथा धारा 4—ख की उपधारा (1) के अनुसार भुगतान की गयी कर की धनराशि, यदि कोई हो, के अन्तर के बराबर होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कर निर्धारक अधिकारी द्वारा कोई अथदंड एसे व्यक्ति की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना आरोपित नहीं किया जायगा ।

8—ग—(1) यदि कर निर्धारक अधिकारी को—

(क) इस अधिनियम के अधीन शोध्य अथवा देय कर, अर्थदंड या अन्य धनराशि की समुचित वसूली के लिये, या

राजस्व के हित में

प्रतिभूति

(ख) इस अधिनियम अथवा तद्धीन निर्मित्त नियमों के उपबन्धों के अधीन निर्धारित प्रपत्रों की समुचित अभिरक्षा या प्रयोग के लिये, ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो तो वह लिखित आदेश द्वारा और उन कारणों से जो उसमें अभिलिखित किये जायेंगे, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-

पत्र या रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र अथवा मान्यता का प्रमाण-पत्र स्वीकृत या नवीकृत करने के लिये या, जैसी भी दशा हो, ऐसे प्रपत्रों को जारी करने के लिये शर्त आरोपित कर सकता है जिसमें व्यापारी से निर्धारित रीति में और ऐसे समय के भीतर जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाय, उपर्युक्त सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिये ऐसी प्रतिभूति, जो इस प्रकार निर्दिष्ट की जाय, देने की अपेक्षा की जायगी ।

(2) यदि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र अथवा रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र या मान्यता प्रमाण पत्र जैसी भी दशा हो, स्वीकृत या नवीकृत करने वाले कर निर्धारक अधिकारी को ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो तो वह किसी समय, जब ऐसा प्रमाण-पत्र प्रवृत्त हो, लिखित आदेश द्वारा और उन कारणों से जो उसमें अभिलिखित किये जायेंगे, उपर्युक्त सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिये उस व्यापारी से जिसे प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया हो, ऐसे समय के भीतर जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाय और निर्धारित रीति से ऐसी प्रतिभूति अथवा, यदि व्यापारी ने इस उपधारा या उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में कोई प्रतिभूति पहले ही दे दी हो तो ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, देने की अपेक्षा कर सकता है ।

(3) कर निर्धारक अधिकारी किसी व्यापारी से उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई प्रतिभूति देने की तब तक अपेक्षा नहीं करेगा जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो और ऐसी प्रतिभूति की धनराशि जिसका किसी व्यापारी द्वारा उपर्युक्त किन्हीं या दोनों उप धाराओं के अधीन दिया जाना अपेक्षित हो कर निर्धारक अधिकारी के अनुमान से उस कर निर्धारण वर्ष के लिये जिसमें ऐसी प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाय, व्यापारी के विक्रय धन पर देय कर से किसी भी दशा में अधिक न होगी ।

(4) यदि किसी व्यापारी द्वारा उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दी गयी प्रतिभूति प्रतिभू-बन्ध-पत्र के रूप में हो और किसी प्रतिभू की मृत्यु हो जाय या वह दिवालिया हो जाय तो व्यापारी उपर्युक्त किसी घटना के होने के तीस दिन के भीतर उसकी सूचना धारा 4-ख या धारा 8-क या धारा 8-ख जैसी भी दशा हो, के अधीन प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने वाले कर-निर्धारक अधिकारी को देगा, और ऐसी घटना होने के नब्बे दिन के भीतर बन्ध-पत्र की धनराशि के लिये नया बन्ध-पत्र देगा अथवा निर्धारित रीति से अन्य प्रतिभूति देगा ।

(5) कर निर्धारक अधिकारी लिखित आदेश द्वारा और समुचित तथा पर्याप्त कारण से किसी व्यापारी द्वारा दी गयी सम्पूर्ण प्रतिभूति अथवा उसके किसी भाग की—

(क) व्यापारी द्वारा देय किसी कर या अर्थ-दंड की धनराशि अथवा अन्य धनराशि को वसूल करने के लिये, या

(ख) यदि यह पाया जाय कि व्यापारी ने उपधारा (1) में अभिदिष्ट किन्हीं प्रपत्रों का दुरुपयोग किया है अथवा उन्हें समुचित अभिरक्षा में नहीं रखा है, जब्त कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी को सुनवाई का अवसर दिये बिना इस उपधारा के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायगा :

(6) यदि उपधारा (5) के अधीन किसी आदेश के कारण किसी व्यापारी द्वारा दी गयी प्रतिभूति अपर्याप्त हो जाय तो वह इसकी प्रति पूर्ति, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जैसा कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निदेश दिया जाय, करेगा ।

(7) कर निर्धारक अधिकारी उपधारा (1) में अभिदिष्ट किन्हीं प्रपत्रों को किसी ऐसे व्यापारी को, जिसने उक्त उपधारा अथवा उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश का या उपधारा (4) या उपधारा (6) के उपबन्धों का पालन न किया हो, तब तक देने से इन्कार कर सकता है जब तक कि व्यापारी ऐसे आदेश या ऐसे उपबन्धों का, जैसी भी दशा हो, पालन न कर दे ।

(8) कर निर्धारक अधिकारी, व्यापारी द्वारा प्रार्थना-पत्र देने पर, इस धारा के अधीन अथवा धारा 10 के अधीन व्यापारी द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा प्रतिभू-बन्ध-पत्र वापस करने अथवा कोई धनराशि या उसका भाग लौटाने का, यदि उसकी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यकता न हो, आदेश दे सकता है ।

(9) इस धारा के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध धारा 9 के अधीन अपील की जा सकेगी ।

(10) कोई व्यक्ति जो अपीलीय अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध हो, अपने पर आदेश तामील किये जाने के तीस दिन के भीतर किन्तु प्रतिभूति देने के पश्चात् धारा 10 के अधीन पुनरीक्षण के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है ।

(11) इस धारा के उपबन्ध, ऐसी प्रतिभूति के सम्बन्ध में, जिसे धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन देने की अपेक्षा की गयी हो, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।"

धारा 9 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(1) उपधारा (1) में प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में, खंड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जांय, अर्थात्:—

"(क) यदि कर-निर्धारण वर्ष के लिये सभी विवरणियां प्रस्तुत कर दी गई हों तो अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में, अथवा इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी प्रक्रम पर, स्वीकार किये गये, यथास्थिति, क्रय-धन या विक्रय धन पर इस अधिनियम के अधीन देयकर या शुल्क की धनराशि, इनमें से जो भी अधिक हो, या

(ख) यदि कर निर्धारण वर्ष के लिये कुछ विवरणियां प्रस्तुत न की गयी हों अथवा ऐसे वर्ष के लिये कोई भी विवरणी प्रस्तुत न की गई हो तो अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में, यदि कोई हो, अथवा इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी प्रक्रम पर, स्वीकार किये गये, यथास्थिति, क्रय-धन या विक्रय-धन पर इस अधिनियम के अधीन देय कर या शुल्क की धनराशि, अथवा निर्धारित कर या शुल्क की धनराशि का 20 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो," और

(2) उपधारा (6) में, शब्द तथा अंक "इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 की धारा 5" के स्थान पर शब्द तथा अंक "परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5" रख दिये जायें ।

धारा 10 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(1) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(4—क) किसी पुनरीक्षण या समाधान के विचाराधीन रहने के दौरान बिक्री-कर कमिश्नर द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, पुनरीक्षण अधिकारी या, जैसी भी दशा हो, अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी, किसी कर निर्धारिक अधिकारी या अपील सुनने वाले अधिकारी के या अपने द्वारा दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में कोई धनराशि वापस किये जाने को तब तक स्थगित करने का निदेश दे सकता है जब तक कि ऐसे पुनरीक्षण या समाधान का निस्तारण न हो जाय।"

(2) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(5) इस धारा के किसी उपबन्ध के अधीन अथवा धारा 11 के अधीन पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी, जैसी भी दशा हो, द्वारा दिये गये आदेश की प्रतिलिपि प्रार्थी तथा विरुद्ध पक्ष, दोनों ही पर तत्काल तामील की जायगी।"

(3) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(6—क) उपधारा (4) के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र, कर निर्धारण और मांग की नोटिस तामील किये जाने अथवा शुल्क लगाये जाने या अर्थदंड आरोपित किये जाने, जैसी भी दशा हो, का आदेश तामील किये जाने के दिनांक से नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं दिया जायगा।"

धारा 10—क का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 10—क में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात:—

"(ख) धारा 13 या धारा 13—क की उपधारा (1) अथवा धारा 28—क की उपधारा (4) अथवा धारा 28—ग की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश या कार्यवाही।"

धारा 11 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

(1) उपधारा (1) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 10 के अधीन" रख दिये जायें, और

(2) जहां कहीं भी शब्द "फिर से कर निर्धारित करने वाला अधिकारी अथवा फिर से कर निर्धारित करने वाले अधिकारी" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "पुनरीक्षण अधिकारी या, जैसी भी दशा हो, अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी" रख दिये जायं, और

(3) उपधारा (9) में शब्द तथा अंक "इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 की धारा 5" के स्थान पर शब्द तथा अंक "परिसीमा अधिनियम, 1968 की धारा 5" रख दिये जाय।

धारा 12 का संशोधन

16--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 12 को पुनः संख्यांकित करके उसे उसकी उपधारा (1) कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्:---

"(2) कोई निर्माता जो, इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार हो, उपधारा (1) में अभिदिष्ट लेखा के अतिरिक्त, कच्चेमाल और उत्पादन के प्रत्येक प्रक्रम पर प्राप्त उत्पाद के सम्बन्ध में भी स्टाक बही रखेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन रखने के लिये अपेक्षित लेखे तथा स्टाक बहियां व्यापारी द्वारा या, जैसी भी दशा हो, निर्माता द्वारा, ऐसी अवधि के लिये, जो निर्धारित की जाय, परिरक्षित की जायेगी ।"

धारा 13 का संशोधन

17---मूल अधिनियम की धारा 13 में,---

(1) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:---

"(3-क) उपधारा (3) में निहित किसी बात के होते हुए भी उक्त उपधारा के अधीन कोई लेखा, रजिस्टर या लेख-पत्र अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, उन कारणों से जो उसके द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे और बिक्री-कर कमिश्नर के पूर्वानुमोदन से, ऐसे लेखे, रजिस्टर या अन्य लेख-पत्र को उनसे संगत वर्षों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियां पूरी होने के दिनांक से तीस दिन से अनधिक अवधि के लिये, जैसा वह आवश्यक समझे, रोक सकता है ।"

(2) उपधारा (4-ख) निकाल दी जाय, और

(3) उपधारा (5) के तश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:---

"(6) किसी सार्वजनिक सेवा वाली मोटर गाड़ी अथवा किसी यान-पात्र से माल का परिवहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक अग्रेषण एजेन्ट, उसे क्षेत्र के जहां से माल भेजा जाय कर निर्धारिक अधिकारी को अपने द्वारा परिवहन किये गये या अग्रेषित सभी माल का ऐसा विवरण-पत्र, जो निर्धारित किया जाय प्रस्तुत करेगा । सम्बद्ध कर निर्धारक अधिकारी को, प्रस्तुत किये गये विवरण पत्रों की शुद्धता का सत्यापन करने के उद्देश्य से, ऐसे परिवाहक या एजेंट के कब्जे में की लेखा बहियों या अन्य लेख-पत्रों को मांगने तथा उनकी जांच करने की शक्ति होगी, और वह परिवाहक या एजेन्ट मांग किये जाने पर लेखा बहियों या अन्य लेखपत्रों को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा । "

धारा 13-क का संशोधन

18---मूल अधिनियम की धारा 13-क, में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें, अर्थात्:---

"(2) उपधारा (1) के अधीन माल अभिग्रहण करने वाला अधिकारी उनकी निरापद अभिरक्षा के लिये सभी आवश्यक उपाय करेगा और

अभिग्रहण से संबंधित अन्य लेख-पत्रों के साथ उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट सूची संबद्ध कर-निर्धारक अधिकारी को भेजेगा ।

(3) उक्त कर निर्धारक अधिकारी, व्यापारी या, जैसी भी दशा हो, अभिग्रहण किये जाने के समय माल के प्रभारी व्यक्ति पर, जिसे आगे इस धारा में प्रभारी व्यक्ति कहा गया है, एक लिखित नोटिस तामील करेगा जिसमें उससे नोटिस तामील किये जाने के तीस दिन के भीतर यह कारण बताने को कहा जायगा कि उस पर ऐसे कर की धनराशि के, जो उस दशा में देय होती जब ऐसे अभिग्रहण के दिनांक को राज्य में माल की बिक्री की गयी होती, तीन गुने से अनधिक ऐसे धनराशि का अर्थदण्ड, जैसा नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, क्यों न आरोपित किया जाय ।

(4) यदि ऐसे अधिकारी का, व्यापारी या, जैसी भी दशा हो, प्रभारी व्यक्ति के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि उक्त माल उपधारा (1) में अभिदिष्ट लेखों, रजिस्टरों तथा अन्य लेख-पत्रों में जान-बूझ कर नहीं दिखाया गया है तो वह नोटिस में निर्दिष्ट धनराशि से अनधिक ऐसा अर्थदंड आरोपित करने का, जिसे वह उचित समझे, आदेश देगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन अर्थ-दंड आरोपित करने के आदेश की प्रति व्यापारी या, जैसी भी दशा हो, प्रभारी व्यक्ति पर तामील की जायगी।

(6) माल अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, उपधारा (2) में अभिदिष्ट सूची और अन्य लेखा-पत्र भेजने के पूर्व अथवा कर निर्धारक अधिकारी, उपधारा (3) और (4) के अधीन कार्यवाहियां विचाराधीन रहने के दौरान किसी समय, ऐसी धनराशि जमा किये जाने पर जो उसकी राय में आरोपित किये जाने के लिये सम्भाव्य अर्थ-दंड को पूरा करने के लिये पर्याप्त हो, व्यापारी या, जैसी भी दशा हो, प्रभारी व्यक्ति के पक्ष में माल छोड़ सकता है ।

(7) अर्थ-दंड या उसका ऐसा भाग जो उपधारा (6) के अधीन जमा की गयी किसी धनराशि का समायोजन करने के पश्चात् शेष रह जाय, अर्थ-दंड आरोपित किये जाने के आदेश की प्रतिलिपि तामील किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, निर्धारित रीति से, जमा किया जायगा । चूक करने पर कर-निर्धारक अधिकारी माल की बिक्री ऐसी रीति से करायेगा जो निर्धारित की जाय और उसका विक्रय-आगम अर्थ-दंड के प्रति समायोजित करेगा और धारा 29 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, शेष धनराशि, यदि कोई हो, व्यापारी या जैसी भी दशा हो, प्रभारी व्यक्ति को वापस कर देगा ।

(8) यदि माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी की, उपधारा (2) में अभिदिष्ट सूची और अन्य लेख-पत्र भेजने के पूर्व, अथवा कर निर्धारक अधिकारी की, उपधारा (3) और (4) के अधीन कार्यवाहियां विचाराधीन रहने के दौरान किसी समय, यह राय हो कि माल शीघ्र और सहज रूप से नष्ट होने वाला है तो वह अर्थ-दंड आरोपित किये जाने से संबंधित कार्यवाहियों के पूरा होने की प्रतीक्षा किये बिना

माल की बिक्री ऐसी रीति से करायेगा जो निर्धारित की जाय और उक्त कार्यवाहियां पूरा होने तक उसके विक्रय-आगमन को जमा रखेगा। इस प्रकार जमा रखी गयी धनराशि ऐसे अर्थ-दंड, यदि कोई हो, जो आरोपित किया जाय, के प्रति समायोजित की जायगी और शेष धनराशि, यदि कोई हो, जो व्यापारी या, जैसी भी दशा हो, प्रभारी व्यक्ति को उपधारा (7) के उपबन्धों के अनुसार वापस कर दी जायगी।

(9) उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक आदेश, धारा 9 और 10 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा।"

नयी धारा 13-ख का बढ़ाया जाना

19—मूल अधिनियम की धारा 13-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"13-ख-पुलिस आदि से सहायता लेने की शक्ति—

धारा 13, धारा 13-क, धारा 28-क या धारा 28-ग के उपबन्धों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी राज्य के किसी पुलिस या अन्य अधिकारी अथवा अधिकारियों की सहायता ले सकता है।"

धारा 14 का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) में—

(1) खंड (खख) निकाल दिया जाय,

(2) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(छछ) धारा 28 के अधीन स्थापित जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं भी कृत्यों को सम्पादन करने में बाधा डाले या उसे करने से रोके; या" और

(3) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(झ) धारा 8-ग के अधीन मांगी गई प्रतिभूति दिये बिना व्यापारी के रुप में व्यापार करे या करता रहे;"

नयी धारा 14-क का बढ़ाया जाना

21—मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

कम्पनियों द्वारा अपराध

"14-क (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी तथा अपराध किये जाने के समय उसके कार्य-संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी, और उसके प्रति उत्तरदायी, प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने का उत्तरदायी होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी गयी किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दंड का उत्तरदायी न होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसा अपराध किये जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक उपाय किये थे।

(2) उपधारा (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी डाइरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग एजेंट या किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है अथवा ऐसे अपराध का किया जाना डाइरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग एजेंट या अन्य अधिकारी की उपेक्षा के कारण आरोप्य हो तो कम्पनी के ऐसे डायरेक्टर, मैनेजर मैनेजिंग एजेंट या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही कि जाने तथा दंडित होने के उत्तरदायी होंगे ।

स्पष्टीकरण---इस धारा के प्रयोजनों के लिये:

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "डाइरेक्टर" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।"

धारा 15 का संशोधन

22---मूल अधिनियम की धारा 15 में, खंड (खख) निकाल दिया जाय ।

धारा 15-क का संशोधन

23---मूल अधिनियम की धारा 15-क में :---

(1) पार्श्व शीर्षक तथा उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायें---

"कतिपय दशाओं में अर्थ-दंड

15-क-(1) यदि कर निर्धारक अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि किसी व्यापारी या अन्य व्यक्ति---

(क) ने युक्तियुक्त कारण के बिना, अपने विक्रय धन का विवरण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है अथवा नियत समय के भीतर और निर्धारित रीति से प्रस्तुत नहीं किया है, अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विवरण-पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व या विवरण-पत्र के साथ इस अधिनियम के अधीन देय कर जमा नहीं किया है; या

(ख) ने इस अधिनियम के अधीन विक्रय-धन का मिथ्या विवरण-पत्र प्रस्तुत किया है; या

(ग) ने अपने विक्रय-धन का व्योरा छिपाया है अथवा जानबूझकर ऐसे विक्रय धन का त्रुटिपूर्ण व्योरा प्रस्तुत किया है; या

(घ) ने मिथ्या लेखा, रजिस्टर या लेख-पत्र रखा है अथवा प्रस्तुत किया है; या

(ङ) ने युक्तियुक्त कारण के बिना, अपने पर निर्धारित कर का भुगतान नियत समय के भीतर नहीं किया है; या

(च) धारा 8-क की उप-धारा (4) के उपबन्धों के अनुसार बिल या कैश मीमो नहीं देता है ; या

(छ) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये उत्तरदायी होते हुए भी रजिस्ट्रीकरण कराये बिना अथवा धारा 8-ग के अधीन मांग की गयी प्रतिभूति दिये बिना व्यापार करे या करता रह; या

(ज) रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना-पत्र पर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के संबंध में मिथ्या सत्यापन या घोषणा करता है; या

(झ) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार किसी बही, लेखा-पत्रों या लेख का निरीक्षण अथवा परीक्षण करने की अनुमति नहीं देता है या निरीक्षण अथवा परीक्षण के लिये उन्हें प्रस्तुत करने से इंकार करता है या उसमें उपेक्षा करता है अथवा उनकी प्रतियां लेने की अभ्यानुज्ञा देने से इंकार करता है; या

(ञ) धारा 13 के अधीन अधिकृत अधिकारी को अथवा धारा 28 के अधीन स्थापित जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने में बाधा डालता है या करने से रोकता है; या

(ट) कोई ऐसी सूचना, जो उसकी जानकारी में या उसके पास हो और जिसकी उससे इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी हो, प्रस्तुत करने से इंकार करता है अथवा उसकी उपेक्षा करता है, अथवा ऐसी सूचना प्रस्तुत करता है जो किन्हीं तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या है; या

(ठ) ऐसा मिथ्या प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र देता है अथवा प्रस्तुत करता है जिसके कारण किसी क्रय या विक्रय पर इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन कर आरोपणीय न रह जाय; या

(ड) निर्धारित घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र के ऐसे प्रपत्र का प्रयोग करता है जिसे उसने या उसके प्रतिनियोक्ता अथवा एजेंट ने इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्राप्त न किया हो, या

(ढ) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन निरीक्षण को रोकने के उद्देश्य से अपना व्यापार स्थान बन्द कर देता है अथवा छोड़ देता है , या

(ण) धारा 28–क या 28–ग के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी माल का आयात या परिवहन करता है अथवा आयात या परिवहन करने का प्रयास करता है, या

(त) अपनी गाड़ी या यान को उस दशा में रोकता नहीं है या खड़ा नहीं रखता है अथवा रोकने या खड़ा रखने से इंकार करता है जब धारा 28 के अधीन स्थापित जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी अथवा धारा 13 के अधीन अधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिये कहा जाय, या

(थ) धारा 28–ख में यथा-व्यवस्थित पारगमन-पत्र प्राप्त नहीं करता है अथवा उसे नहीं देता है, या

(द) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके अन्य प्रकार से कार्य करता है,

तो, वह ऐसी जांच के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, यह निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी या व्यक्ति उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त—

(1) खंड (क), खंड (ख) या खण्ड (ङ) में अभिदिष्ट दशा में देय कर का कम से कम दस प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत यदि देय कर दस हजार रुपये तक हो और देय कर का पचास प्रतिशत यदि देय कर दस हजार रुपये से अधिक हो,

(2) खंड (ग), खंड (घ), खंड (ज), खंड (ठ), खंड (ड) या खंड (ण) में अभिदिष्ट दशा में ऐसे कर की धनराशि का, जो इस प्रकार बचा ली गयी होती, कम से कम पचास प्रतिशत किन्तु उसके डेढ़ गुने से अधिक नहीं,

(3) खंड (च) में अभिदिष्ट दशा में, प्रथम व्यतिक्रम के लिए अन्तर्ग्रस्त कर की धनराशि का पचास प्रतिशत अथवा उसकी दुगुनी धनराशि, जो भी अधिक हो, और द्वितीय तथा प्रत्येक अनुवर्ती व्यतिक्रम के लिये एक सौ रुपया अथवा अन्तर्ग्रस्त कर की धनराशि का चार गुना, जो भी अधिक हो,

(4) खंड (छ) में अभिदिष्ट दशा में, प्रथम तीन महीने में व्यतिक्रम के लिये प्रत्येक महीने या उसके भाग के निमित्त एक सौ रुपया और प्रथम तीन महीने के पश्चात् प्रत्येक महीने या उसके भाग के लिये जिसमें व्यतिक्रम किया जाता रहे, पांच सौ रुपया ,

(5) खंड (झ), खंड (ट), खंड (ढ) या खन्ड (द) में अभिदिष्ट दशा में दो हजार रुपये से अनधिक धनराशि,

(6) खंड (ञ) में अभिदिष्ट दशा में पांच हजार रुपये से अनधिक धनराशि, और

(7) खंड (त) अथवा खंड (थ) में अभिदिष्ट दशा में एक हजार रुपय से अनधिक धनराशि,

अर्थ दंड के रूप में देगा।"

(2) उपधारा (3) में शब्द "व्यापारी" के पश्चात् शब्द "या अन्य संबद्ध व्यक्ति" रख दिये जायं।

धारा 21 का संशोधन

24—मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(1) उपधारा (1) में, उसके प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय और सदैव से इस प्रकार रखा गया समझा जायगा, अर्थात्:—

"(1) यदि कर-निर्धारक अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यापारी का, किसी कर-निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये, सम्पूर्ण विक्रय धन या उसका कोई भाग कर-निर्धारण से रह गया है अथवा कम निर्धारित किया गया है अथवा उस पर ऐसी दर से कर का निर्धारण किया गया है जो इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण किये जाने की दर से कम हो, अथवा उसके संबंध में गलत तौर पर किन्हीं कटौतियों या छूट

की अनुज्ञा दी गयी हो, तो कर निर्धारक अधिकारी व्यापारी को नोटिस जारी करने और ऐसी जांच करने, जिसे वह आवश्यक समझे, के पश्चात उस व्यापारी पर विधि के अनुसार कर का निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है:",

(2) उप धारा (2) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द तथा अंक "धारा 10 या धारा 11" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 10, धारा 11 या धारा 30" रख दिये जायं।

धारा 22 का संशोधन

25—मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) में, उसके प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(1) कर निर्धारक, अपील सुनने वाले, पुनरीक्षण या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी, अपने द्वारा दिये गये आदेश के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर किसी समय किसी भूल का जो अभिलेख पर स्पष्ट हो, सुधार कर सकता है।"

धारा 23 का संशोधन

26—मूल अधिनियम की धारा 23 में, उपधारा (2) में,—

(1) खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(1) इस अधिनियम या भारतीय दंड संहिता, 1860 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन किसी अपराध का अनुसंधान करना हो, अथवा उसके लिये अभियोग चलाना हो, या";

अधिनियम संख्या 5, 1860

(2) खंड (6) में अन्त में, आये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर कामा और शब्द "या" रख दिये जायं, और तत्पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायें, अर्थात्—

"(7) वह केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को, किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई जांच करने के प्रयोजनार्थ हो,

(8) वह लोक लेखों की लेखा-परीक्षा के प्रयोजनार्थ हो।"

धारा 24 का संशोधन

27—मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (3) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण उसे तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है तो वह ऐसे पूर्व प्रकाशन के बिना कोई नियम बना सकती है।"

धारा 28 के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

28—मूल अधिनियम की धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"28—यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि राज्य में माल आयात किये जाने के पश्चात राज्य के भीतर माल की बिक्री के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन देय कर तथा अन्य देयों के अपवंचन को रोकने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक है तो वह गजट

जांच चौकियों तथा नाके की स्थापना

में विज्ञप्ति द्वारा, राज्य के भीतर ऐसे स्थानों पर, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जायं, जांच चौकियों तथा नाके स्थापित करने का निदेश दे सकती है।"

नयी धारा 28-क 28-ख, 28-ग और 28-घ का बढ़ाया जाना।

29—इस अधिनियम द्वारा यथाप्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्:—

घोषणा के प्रति राज्य के बाहर से सड़क द्वारा माल का आयात या उसकी प्राप्ति

"28-क (1)—(क) कोई व्यक्ति, जो राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के भीतर सड़क द्वारा ऐसा माल आयात करना चाहता हो, जो ऐसे परिमाण, माप या मूल्य से, जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे, अधिक हो अथवा जिसको राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के भीतर सड़क द्वारा ऐसा माल भेजा जाना हो, निर्यात कर्त्ता व्यापारी अथवा माल भेजने वाल को, जैसी भी दशा हो (जिसे आगे पारेषक कहा गया है), निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा पत्र, दो प्रतियों में, यथाविधि भरा हुआ और उसके द्वारा हस्ताक्षरित, देगा।

(ख) कोई व्यक्ति, घोषणा का प्रपत्र निर्धारित शुल्क का भुगतान करके उस क्षेत्र पर, जहां उसका मुख्य व्यापार स्थान स्थित हो, अथवा यदि उसके द्वारा कोई व्यापार न किया जाता हो तो जहां वह साधारणतः रहता हो, क्षेत्राधिकार रखने वाले कर निर्धारक अधिकारी से प्राप्त कर सकता है।

(2) उपर्युक्त लाल ले जाने वाली गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति उपधारा (1) में अभिदिष्ट घोषणा पत्र की प्रतियां, जो निर्धारित रीति से पारेषक द्वारा सत्यापित होंगी, तथा ऐसे अन्य लेखपत्र भी, जिसमें ऐसे ब्योरे दिये हों जो निर्धारित किये जायं, पारेषक से लेगा, और उन्हें अपने साथ ले जायेगा और, धारा 28 के अधीन स्थापित किसी जांच चौकी या नाके को पार करने के पहले उसके प्रभारी अधिकारी को उक्त घोषणा-पत्र की एक प्रति देगा और माल सहित दूसरी प्रति तथा शेष लेखपत्र माल आयात करने वाले व्यक्ति अथवा उस व्यक्ति को जिसे माल भेजा जाय, जैसी भी दशा हो, (जिसे आगे इस धारा में पारेषिती कहा गया है) देगा। जांच चौकी या नाके का प्रभारी अधिकारी, जिसे घोषणा-पत्र की एक प्रति दी जाय, उसके लिये एक रसीद देगा और गाड़ी के ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति को किसी अन्य जांच चौकी या नाके पर, जिसे वह पार करे, घोषणा पत्र की प्रति देना आवश्यक न होगा यदि वह उसके प्रभारी अधिकारी को ऐसी रसीद दिखला दे।

(3) किसी ऐसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति प्रत्येक ऐसी जांच चौकी या नाके पर अथवा धारा 13 की उप धारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर किसी अन्य स्थान पर, गाड़ी को रोकेगा, और उसे तब तक रोके रखेगा जब तक कि उस जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी अथवा धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, जैसी भी दशा हो, अपेक्षित हो और

उसे गाड़ी की तलाशी लेने देगा तथा माल और उपधारा (2) में अभिदिष्ट सभी लेख पत्रों का निरीक्षण करने देगा, और यदि अपेक्षित हो, उसे अपना नाम तथा पता और गाड़ी के स्वामी तथा माल के पारेषक तथा पारेषिती का नाम तथा पता देगा ।

(4) जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी अथवा द्वारा 13 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी, जैसी भी दशा हो, को गाड़ी के ऐसे माल को , जो उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट परिमाण, माप या मूल्य से अधिक हो, और—

(क) जो उपधारा (2) में अभिदिष्ट लेख-पत्रों में दिखाया न गया हो अथवा जिसके संबंध में कोई ऐसा लेख-पत्र न हो,

या]

(ख) जिसके संबंध में उक्त लेख-पत्र मिथ्या हों अथवा जिनके मिथ्या होने का समुचित संदेह हो,

रोकने या अभिग्रहीत करने की शक्ति होगी और वह उक्त किसी लेख पत्र को भी रोके या अभिग्रहीत कर सकता है ।

(5) पारेषिती उपधारा (2) के अधीन उसे दिये गये घोषणा-पत्र तथा अन्य लेख-पत्रों की प्रति ऐसी अवधि के लिये रखेगा जो निर्धारित की जाय, और जब कभी उक्त अवधि में कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा मांगी जाय तो उन्हें उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा, और यदि पारेषिती यह दलील दे कि उसने राज्य में माल लाये जाने के पश्चात उसे राज्य के भीतर नहीं बेचा किन्तु या तो वह उसके द्वारा उपभुक्त कर लिया गया या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान अथवा भारत के बाहर निर्यात के दौरान बेचा गया था तो कर-निर्धारक अधिकारी ऐसी अन्य सूचना तथा लेख-पत्र मांग सकता है जिसे वह उचित समझे ।

राज्य से होकर सड़क से माल का प्रेषण तथा पारगमन पत्र का जारी किया जाना

23—ख—जब राज्य के बाहर से आने वाली तथा राज्य के बाहर किसी स्थान को जाने वाली गाड़ी राज्य से होकर गुजरे तो गाड़ी का ड्राइवर अथवा प्रभारी अन्य कोई व्यक्ति राज्य में अपने प्रवेश के पश्चात सबसे पहली जांच चौकी अथवा नाके के प्रभारी अधिकारी से पारगमन पत्र निर्धारित रीति से प्राप्त करेगा और राज्य से निकलने के पूर्व अंतिम जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को वही पारगमन पत्र सौंप देगा, और ऐसा न किये जाने पर यह उपधारण की जायेगी कि उसके द्वारा ले जाये जाने वाला माल गाड़ी के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर बेच दिया गया है ।

रेलवे स्टेशन इत्यादि से माल छुड़ाने तथा बाहर ले जाने का विनियमन

28—ग (1) कोई व्यक्ति जो राज्य के बाहर किसी स्थान से रेल, नदी अथवा वायुमार्ग द्वारा उतनी परिमाण, माप तथा मूल्य से, जिसे राज्य सरकार धारा 28—क के अधीन विज्ञप्ति जारी करके निर्दिष्ट करे, अधिक का माल राज्य के भीतर आयात करना चाहता है अथवा जिसके पास ऐसा माल उपर्युक्त प्रकार से भेजा जाय,—

(क) तब तक उस माल को न तो छुड़ायेगा और न छुड़वायेगा जब तक कि वह एसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया गया हो, एक घोषणा निर्धारित प्रपत्र में, दो प्रतियों में भर कर

तथा अपने द्वारा हस्ताक्षरित करके ऐसे अधिकारी द्वारा पृष्ठाकन के लिये न प्रस्तुत कर दे;

(ख) छुड़ाने के उपरान्त माल को, यथास्थित, रेलवे स्टेशन, स्टीमर या बोट स्टेशन, या एयरपोर्ट से तब तक ले जायगा जब तक कि उसके पास खंड (क) में अभिदिष्ट अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित घोषणा की प्रतियां न हों।

(2) धारा 28-क की उपधारा (1) में अभिदिष्ट माल ले जाने वाली किसी गाड़ी की तलाशी लेने तथा ऐसे माल को रोकने या अभिग्रहण करने तथा उसमें उल्लिखित घोषणा के अनुरक्षण तथा प्रस्तुतीकरण संबंधी उक्त धारा की उपधारा (3), (4) तथा (5) के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उपधारा (1) में अभिदिष्ट माल ले जाने वाली किसी गाड़ी तथा तत्संबंधी घोषणा के संबंध में लागू होंगे ।

(3) इस धारा में किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उससे किसी रेल प्रशासन अथवा रेल सेवक पर कोई आभार आरोपित होता है अथवा इंडियन रेलवेज ऐक्ट, 1890 में यथा-परिभाषित रेलवे पर माल की तलाशी लेने, रोक रखने या अभिग्रहीत करने की शक्ति दी गयी हो । ऐक्ट संख्या 9, 1890

धारा 13 अथवा 13-क के उपबन्धों का लागू होना

23-घ---यथास्थित, धारा 13 की उपधारा (3) तथा (3-क) अथवा धारा 13-क की उपधारा (2) से (9) के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, धारा 23-क अथवा धारा 28-ग के अधीन अभिग्रहीत अथवा प्रस्तुत माल अथवा लेखपत्रों पर लागू होंगे ।"

धारा-29 का संशोधन

30---मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 29 को पुनःसंख्यांकित करके उसे उसकी उपधारा (1) कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप धारा (1) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:---

(2) यदि उपधारा (1) के अनुसार वापस करने योग्य पायी गयी धनराशि उस आदेश के दिनांक से जिसके आधार पर धनराशि वापस की जाती है, अथवा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ होने के दिनांक से, जो भी पश्चातवर्ती हो, छः महीने की अवधि के भीतर वापस नहीं की जाती है तो व्यापारी ऐसे आदेश के दिनांक से अथवा, जैसी भी दशा हो, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से वापसी के दिनांक तक के लिये छः प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का हकदार होगा ।

स्पष्टीकरण---वापसी का दिनांक वह समझा जायगा जब वापसी का वाउचर तैयार करने की सूचना निर्धारित रीति से व्यापारी को दे दी जाय।"

नई धारा 29-ख का बढ़ाया जाना

31---मूल अधिनियम की धारा 29-क के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्---

"29-ख---(1) यदि सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1956 की धारा 14 में अभिदिष्ट किसी माल की बिक्री या क्रय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर लगाया गया हो और बाद में ऐसे माल की अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री की जाय, और ऐसे माल की अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री के

घोषित माल के संबंध में प्रतिपूर्ति

ऐक्ट संख्या 74, 1956

सम्बन्ध में उक्त सेन्ट्रल ऐक्ट के अधीन कर का भुगतान कर दिया गया हो तो इस अधिनियम के अधीन लगाये गये कर की प्रतिपूर्ति, कर निर्धारक अधिकारी को कर का भुगतान करने के दिनांक से अथवा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1973, के प्रारम्भ होने के दिनांक से, जो भी पश्चातवर्ती हो, छः महीने के भीतर लिखित रूप में प्रार्थना-पत्र देने पर अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान ऐसी बिक्री करने वाले व्यक्ति को की जायेगी ।

(2) यदि कर निर्धारक अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि प्रार्थना-पत्र उपधारा (1) के अधीन चलने योग्य है तो वह ऐसे कर की धनराशि की प्रतिपूर्ति प्रार्थी को निर्धारित रीति से कर देगा और, किसी अन्य दशा में, प्रार्थना -पत्र अस्वीकृत कर देगा:

प्रतिबन्ध यह है कि प्रार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र पूर्णतः अथवा अंशतः अस्वीकृत न किया जायगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि प्रतिपूर्ति करने योग्य पायी गयी धनराशि प्रथमतः इस अधिनियम के अधीन प्रार्थी द्वारा देय कर अथवा किसी अन्य धनराशि के प्रति समायोजित की जायगी और केवल शेष धनराशि की, यदि कोई हो, प्रतिपूर्ति की जायगी ।"

नई धारा 34 का बढ़ाया जाना

32—मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात निम्नलिखित नई धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"34—राजस्व को कपट-वंचित करने के लिये किये गये अन्तरण का शून्य होना—(1) जहां कि इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों की विचार-अवधि में कर अथवा अन्य देयों का देनदार कोई व्यक्ति अपने स्वामित्व में किसी स्थावर सम्पत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में प्रभार उत्पन्न करता है अथवा उसे अन्तरित करता है और ऐसा इस इरादे से करता है कि ऐसा कर अथवा अन्य देय कपट-वंचित हो जायं तो ऐसा प्रभार अथवा अन्तरण उक्त कार्यवाहियों के समापन के परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतान किये जाने वाले किसी कर या अन्य देयों के सम्बन्ध में दावे के प्रति शून्य होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात सद्भावी तथा प्रतिफल दाता अन्तरिती के अधिकारों को कम नहीं करेगी ।

ऐक्ट संख्या 10, 1949

(2) उपधारा (1) की कोई बात बैंकिंग रेग्यूलेशन ऐक्ट, 1949 में यथापरिभाषित बैंकिंग कम्पनी अथवा तदर्थ विज्ञप्ति द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य वित्तीय संस्था के पक्ष में किसी प्रभार या अन्तरण पर लागू न होगी ।

प्रथम अनुसूची का संशोधन

33—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में:—

(1) क्रम संख्या 2, 7, 12, 13, 17, 19, 20, 30, 35, 40, 53, 54, 57, 58, 60, 62, 67, 78, 79, 84, 89—क, 98, 101 और 102

के सामने की वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखि प्रविष्टियां रख दी जायं, अर्थात्:—

"

क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
1	2	3
2—सभी आयुध, जिसके अन्तर्गत रायफलें, रिवाल्वर, पिस्तौल, उनके पुर्जे तथा सम्बद्ध सामान और उनका गोला बारूद भी हैं किन्तु खुखरी, भाला, छुरा तथा तलवार नहीं हैं	.. .. ..	नि0 अथवा आ0
7—भांग, गांजा, अफीम अथवा चरस	.. ..	उपभोक्ता के हाथ बिक्री
12—सभी प्रकार की पालिश	.. ..	नि0 अथवा आ0
13—ईन्ट, तापसह ईंट (फायर ब्रिक्स) ईंट के टुकड़े और ईंट की रोड़ी		नि0 अथवा आ0
17—सूती कालीन तथा पाइल दरियों को छोड़ कर सभी प्रकार के कालीन	.. ..	नि0 अथवा आ0
19—सीमेन्ट—		
(क) यदि उत्तर प्रदेश के बाहर से आयात की गई हो	..	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा, आयात की गई सीमेन्ट लेने के लिए नियुक्त स्टाकिस्ट द्वारा बिक्री ।
(ख) यदि उत्तर प्रदेश में निर्मित की गई हो	..	निर्माता द्वारा बिक्री
29—सीमेंट जो उपर्युक्त मद 19 से भिन्न हो, किन्तु जिसके अन्तर्गत सफेद सीमेन्ट, हाई एल्युमिना सीमेंट, सीमेंट की चादरें (सादी अथवा नालीदार), सीमेंट की जालियां और सीमेंट वाटर प्रूफिंग कम्पाउन्ड भी हैं	..	नि0 अथवा आ0
30—डिक्टाफोन, टेप रिकार्डर तथा इसी प्रकार के ध्वनि-अभिलेखन करने वाले अन्य उपकरण और उनके टेप, पुर्जे तथा सम्बद्ध सामान	.. .. ..	नि0 अथवा आ0
35—फोम रबर की वस्तुयें, रबरयुक्त क्वायर तथा फाइबर-फोम की वस्तुयें	.. .. ..	नि0 अथवा आ0
40—ग्रामोफोन रिकार्ड प्लेयर, रिकार्ड चेंजर, उनके पुर्जों तथा सम्बद्ध सामान और ग्रामोफोन रिकार्ड तथा ग्रामोफोन की सुइयां	.. .. ..	नि0 अथवा आ0
53—दियासलाई, खाली दियासलाई की डिब्बियां, दियासलाई की तीलियां तथा दियासलाई शल्कल	..	नि0 अथवा आ0
54—प्लास्टिक अथवा उसके मिश्रण से बने हुए गद्दे, कुशन और तकिये	.. .. ..	नि0 अथवा आ0

क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
1	2	3
57—सभी प्रकार के तम्बू तथा मिल की बनी और हथकरघे की दरियां		नि0 अथवा आ0
58—मिल के स्टोर तथा लोहे से बनी वस्तुयें जिसके अन्तर्गत लोहे या इस्पात के तार नहीं हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत लोहे या इस्पात का ऐसा माल है जो इस अनुसूची की किसी अन्य मद अथवा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन जारी की गयी किसी विज्ञप्ति के अन्तर्गत न आता हो		नि0 अथवा आ0
60—मोटर साइकिल और मोटर साइकिल कम्बीनेशन, मोटर स्कूटर और मोटरेट, तथा मोटर साइकिलों, मोटर साइकिल कम्बीनेशनों, मोटर स्कूटरों एवं मोटरेटों के टायर और ट्यूब तथा पुर्जे और सम्बद्ध सामान ..		नि0 अथवा आ0
62—मोटर गाड़ियां जिसके अन्तर्गत मोटर गाड़ियों के चेसिस भी हैं, और सभी आकार अथवा डिजाइन की मोटरबाडीज जिसके अन्तर्गत मोटर कारवां और टैंकर भी हैं, चाहे ये चेसिस पर बने हों या अलग से		उपभोक्ता के हाथ बिक्री अथवा उपभोक्ता द्वारा क्रय के लिए वित्त व्यवस्था करने वाली क्रय विक्रय कम्पनी के हाथ बिक्री ।
67—पेंट तथा वार्निश और पेंट अथवा वार्निश करने में उपयोग में लायीजाने वाली सभी सामग्री जो इस अनुसूची की किसी अन्य मद के अन्तर्गत आने वाली सामग्री से भिन्न हो ..		नि0 अथवा आ0
78—रेफ्रिजरेटर, शीत-ताप-नियंत्रक यन्त्र, वाटर-कूलर, रूम कूलर और उनके पुर्जे तथा सम्बद्ध सामान और प्रशीतन सामग्री जिसके अन्तर्गत पोलिस्ट्रीन फोम भी है ..		नि0 अथवा आ0
79—रबर के गद्दे, रबर के कुशन तथा रबर के तकिये ..		नि0 अथवा आ0
84—सिलाई की मशीन, और उनके पुर्जे तथा सम्बद्ध सामान		नि0 अथवा आ0
89—क—लोहे या स्पात के तार		नि0 अथवा आ0
98—टाइप राइटर, टैबुलेटिंग मशीनें, कैलकुलेटिंग मशीनें और डुप्लीकेटिंग मशीनें तथा उनके पुर्जे और सम्बद्ध सामान जिसके अन्तर्गत रिबन भी है		नि0 अथवा आ0
101—किसी अन्य एलाय (धातु मिश्र) सहित अथवा रहित निर्मित सोने अथवा चान्दी की वस्तुयें एवं किसी अन्य एलाय (धातु मिश्र) सहित अथवा रहित निर्मित सोने और चान्दी की वस्तुयें		नि0 अथवा आ0
102—स्टेनलेस स्टील से निर्मित बरतुएं		नि0 अथवा आ0

"

(2) क्रम संख्या 112 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां बढ़ा दी जायं, अर्थात्—

क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
1	2	3
113	सभी प्रकार के पट्टे	नि0 अथवा आ0
114	बुलडोजर, क्रेन तथा अन्य गाड़ियां या मशीनें तथा उनके टायर और ट्यूब से भिन्न पुर्जे तथा सम्बद्ध सामान, जो इस अनुसूची के किसी अन्य मद में सम्मिलित नहीं हैं ..	नि0 अथवा आ0
115	सूती कालीन जिसके अन्तर्गत पाइल दरियां भी हैं ..	नि0 अथवा आ0
116	तेंदू पत्ता	राज्य सरकार, गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण या उनके अभिकर्त्ताओं द्वारा बिक्री
117	किसी धातु या मिश्र धातु से बनाए गये बांट तथा माप	नि0 अथवा आ0
118	वेल्डिंग रोड तथा वेल्डिंग इलैक्ट्रोड ..	नि0 अथवा आ0

34—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

देश
श

17,
का

उद्देश्य और कारण

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में कुछ वस्तुयें अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य में विशेष महत्व की घोषित की गई हैं। इन वस्तुओं पर राज्य बिक्री कर विधि के अधीन कर लगाने पर एक प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि ऐसे माल की राज्य के भीतर की गयी बिक्री अथवा खरीद पर कोई कर लगाया गया है और वह माल बाद में अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान बेचा जाता है और उस पर केन्द्रीय अधिनियम के अधीन कर लगाया जाता है, तो राज्य बिक्री कर विधि के अधीन लगाया गया कर राज्य बिक्री कर विधि में उपबंधित रीति से वापस कर दिया जायगा। उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, 1948 में इस सम्बन्ध में अब तक कोई प्राविधान नहीं था। तिलहन पर लगाये गये कर की वैधता जो एक मामले में उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। अतः ऐसा प्राविधान तुरन्त करना और इसे 1 अक्तूबर, 1958 से, अर्थात् उस दिनांक से जब से केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 15 प्रवृत्त हुई, प्रभावी करना आवश्यक समझा गया। चूंकि राज्य विधान-मण्डल सत्र में नहीं था, अतः राज्यपाल द्वारा 10 अक्तूबर, 1972 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1972, प्रख्यापित किया गया, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, 1948 में एक नई धारा 29-ख जोड़ी गई।

2—उक्त अध्यादेश द्वारा उक्त ऐक्ट में, पारिणामिक एवं मामूली संशोधनों के अतिरिक्त कुछ अन्य संशोधन भी किये गये। अन्य संशोधनों में से "आयातकर्त्ता" एवं निर्माता की परिभाषायें जोड़ा जाना, धारा 3-कक के स्थान पर धारा 3 कक, 3-ककक तथा 3-कककक रखा जाना जिनमें बिक्री के अन्तिम स्थल पर कर-योग्य वस्तुओं के सम्बन्ध में कर से मुक्ति प्राप्त करने के लिये घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने तथा ऐसा घोषणा-पत्र प्रस्तुत करके खरीदे गये माल की राज्य के भीतर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री न करने की दशा में क्रय कर लगाने की व्यवस्था की गई, कर-निर्धारक, अपीलीय अथवा पुनरीक्षण अधिकारी के किसी आदेश के अनुसरण में की जाने वाली वापसी के किसी पुनरीक्षण या समाधान का निस्तारण होने तक स्थगन की व्यवस्था करना, तथा खातों में न दिखाये गये और अभिग्रहीत किये गये माल के सम्बन्ध में अर्थ-दण्ड लगाने और अर्थदंड का भुगतान न करने पर उस माल की बिक्री किये जाने की व्यवस्था करना मुख्य थे।

3—यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये है। इस अवसर का उपयोग उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 में कुछ अन्य संशोधन करने के लिये भी किया गया है, जिनमें उक्त ऐक्ट की प्रथम अनुसूची में कुछ प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करना और कुछ नई प्रविष्टियां जोड़ना भी है। इनमें, धारा 3-क में संशोधन करके यह व्यवस्था करना कि सरकार द्वारा जारी की गई किसी विज्ञप्ति में विशेष रूप से उल्लिखित वस्तुओं पर बहु-सूत्री कर देय होगा और अन्य सभी माल पर, जो इस प्रकार विज्ञप्त न किया गया हो अथवा प्रथम अनुसूची में या ऐक्ट के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन जारी की गई किसी विज्ञप्ति में सम्मिलित न हो, सात प्रतिशत की दर से एक-सूत्री कर देय होगा; धारा 3-घ का संशोधन करके राज्य सरकार को किसी माल पर क्रमशः साढ़े तीन या बारह प्रतिशत से अनधिक दर पर बहु-सूत्री या एक-सूत्री क्रय कर लगाने का अधिकार देना; तथा धारा 29 का संशोधन करके राज्य सरकार द्वारा 6 महीने के अन्दर व्यापारी को वापस न की गई धनराशि पर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज दिये जाने की व्यवस्था करना मुख्य है।

4—तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,

वित्त मंत्री।

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 305 एल0ए0—1973—835.